अप्रैल, 2019
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Cover II

प्रस्तावित संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

परामर्शदाता : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN- 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2019 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

पी एल डी (पी. डी)-4-2019 आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अप्रैल, 2019 अंक - 4

प्रधान संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक

असलम खान

सत्यमेव जयते

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2019) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on Website → https://bharatkosh.gov.in/product/product

---

विक्रय कार्यालय : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

हमारे देश में अपराध रोकने के भरसक प्रयास किए जाते हैं किंतु नागरिकों का योगदान उतना नहीं है जितनी उनसे प्रत्याशा की जाती है । अन्य देशों की तुलना में भारत में महिलाओं को अधिक सम्मान दिए जाने के बावजूद उनके विरुद्ध आपराधिक मामले कम नहीं हैं । विवाहोपरांत नारी को अधिक सुरक्षा मिलना प्रत्याशित होता है किंतु इसके विपरीत घटनाएं दिखाई पड़ती हैं । 'घरेलू हिंसा' का अपराध अत्यंत निंदनीय है । शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात् शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैंगिक दुर्व्यवहार अर्थात् महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, अर्थात् अपमान, उपहास, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात् आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिसकी वह हकदार है, से वंचित करना मानसिक रूप से परेशान करना आदि सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं । ऐसे मामलों में जब एक अबला नारी को शिकायत घरेलू हिंसा संबंधी कानून के तहत फाइल करती है तो उसे न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता को लेकर कष्ट भोगना पड़ता है कि उसका मुकदमा उसके अस्थायी निवास स्थान वाले नगर में चल सकता है या नहीं । **जेबा खान** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** (2019) 1 दा. नि. प. 459 वाला मामला इस स्थिति को बखूबी स्पष्ट करता है जिसमें पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत शिकायत फाइल की और खर्चों की मांग की । इस मामले में प्रत्यर्थी अर्थात् पति ने उसके विरुद्ध अपर सेशन न्यायालय में अपील की और यह अभिवाक् किया कि क्षेत्राधिकारिता को तय करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 178 के उपबंध लागू होंगे । अपर सेशन न्यायालय ने पति की अपील मंजूर कर ली कि मुकदमा रामपुर में नहीं अपितु अलीगढ़ में चलाया जाना चाहिए । पत्नी ने अपर सेशन न्यायाधीश के इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की । उच्च न्यायालय ने अपर सेशन न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि पत्नी रामपुर में अस्थायी रूप से रहती है और वाद हेतुक रामपुर में भी सृजित हुआ है

और साथ ही वाद हेतुक को भली प्रकार इस निर्णय के पैरा 31 में समझाते हुए पत्नी का पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया और अपर सेशन न्यायाधीश का आदेश अपास्त किया । अत: घरेलू हिंसा के मामले में न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता स्वयं इसी अधिनियम की धारा 27 के अनुसार ही तय की जाएगी ।

हम जानते हैं कि वैवाहिक मामलों में न्यायालय को बहुत सूझबूझ से काम लेना होता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन पति न तो भरणपोषण का संदाय करने से बच सकता है और न ही पत्नी इस धारा का दुरुपयोग कर मनचाही रकम भरणपोषण के नाम पर पति से प्राप्त कर सकती है । इस स्थिति को **देवेन्द्र सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** (2019) 1 दा. नि. प. 559 वाले मामले में स्पष्ट किया गया है ।

समाज में किसी भी कानून का दुरुपयोग उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है । बलात्संग के बहुत से मामलों में महिलाएं अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर पुरुषों को मिथ्या फंसा लेती हैं । जब अभियोक्त्री के पास अभियुक्त के चंगुल से निकल भागने का अवसर हो और वे उसकी संगति में बनी रहती है तब इसे उस अभियोक्त्री की स्वीकृति कहा जा सकता है । **जीवन कुमार संपंग** बनाम **बिहार राज्य** (2019) 1 दा. नि. प. 517 वाला मामला इसका एक अच्छा उदाहरण है ।

इस अंक में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अप्रैल, 2019

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
कुंवर पाल सिंह **बनाम** राज्य	425
गिरीश बयान **बनाम** असम राज्य	509
जीवन कुमार संपंग **बनाम** बिहार राज्य	517
जेबा खान **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	459
देवेन्द्र सिंह **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	559
भाटो पासवान **उर्फ** नारायण पासवान और अन्य **बनाम** बिहार राज्य	531
सिंगरिया भूमिज **बनाम** उड़ीसा राज्य	500

संसद् के अधिनियम

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 30

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43)

– धारा 27 – अधिकारिता – व्यथित पक्षकार राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता वाले न्यायालय के भीतर घरेलू हिंसा से संबंधित परिवाद फाइल कर सकता है और न्यायालय संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता की रिपोर्ट के न होते हुए भी स्वप्रेरणा से परिवाद की सुनवाई कर सकता है ।

जेबा खान बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 459

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 125 – भरणपोषण के लिए आदेश – पत्नी की उपेक्षा करना – पत्नी का अपने माता-पिता के साथ मायके में रहना – पति द्वारा यह अभिवाक् किया जाना कि पत्नी ने अपनी इच्छा से उसका घर छोड़ा है – पति का पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार न होना – पति ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है और पत्नी ने यह कथन किया है कि वह अपने पति के साथ रहने को तैयार है किन्तु इच्छुक नहीं है, इससे पति द्वारा पत्नी की उपेक्षा किया जाना साबित होता है और पत्नी के लिए पति से अलग रहने का एक पर्याप्त आधार है, अतः पति भरणपोषण का संदाय करने के लिए जिम्मेदार है ।

देवेन्द्र सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 559

– धारा 125 – भरणपोषण की मात्रा – पत्नी द्वारा भरणपोषण के लिए 10,000/- रुपए प्रतिमाह की मांग किया

पृष्ठ संख्या

जाना – पत्नी की ओर से कथन किया जाना कि उसके पिता द्वारा उस पर 5 से 6 हजार रुपए प्रतिमाह खर्च किया जाता था – पिता की परीक्षा न कराना – अनुमान के आधार पर पत्नी ने बताया कि उसके पिता उस पर प्रतिमाह 5 से 6 हजार रुपए खर्च किया करते थे और उसने इस गणना का कोई आधार नहीं बताया है और न ही उसके पिता की परीक्षा कराई गई है अतः निचले न्यायालय द्वारा नियत की गई भरणपोषण की रकम 3 हजार रुपए प्रतिमाह ही उचित है ।

देवेन्द्र सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 559

– धारा 154 – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – दर्ज करने में विलंब – प्रभाव – मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में कहीं भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने का उल्लेख नहीं किया जाना – मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार किए जाने तक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का अस्तित्व में न होना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को पूर्व-दिनांकित होना साबित किया गया है ।

कुंवर पाल सिंह बनाम **राज्य** 425

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य – विश्वसनीयता – दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन में हमलावर की हत्या करने व हमले की रीति का विभेदकारी होना – यह संभावना प्रकट होती है कि दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी वास्तविक हमले के समय पर घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, इस बात को अस्वीकार नहीं

पृष्ठ संख्या

किया जाता है – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है ।

कुंवर पाल सिंह बनाम **राज्य** 425

– धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में पूर्व दुश्मनी की वजह से बन्दूक से गोली चलाए जाने का अभिकथन किया जाना, परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु होना – बस के ड्राइवर, क्लीनर और कंडक्टर का हमले के दौरान मौजूद होना, उनकी परीक्षा नहीं कराया जाना – उस बात का कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना – दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का कथन हत्या करते समय हमलावर की गतिविधि हमले की रीति के बारे में गंभीर विभेद जो उनके परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है – अन्वेषक अधिकारी का हमले के ब्यौरे तथा घटनास्थल को चिन्हित करने में विफल होना – बन्दूक की गोली की दूरी के बारे में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का परिसाक्ष्य का चिकित्सा साक्ष्य से तीव्र विरोध होना – अभियुक्त की दोषिता सिद्ध नहीं की गई – अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

कुंवर पाल सिंह बनाम **राज्य** 425

– धारा 302 और 304, भाग-I – हत्या का अभिकथन – हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – मृतक का घटनास्थल पर बीच-बचाव करने के लिए पहुंचना – मुख्य अभियुक्त द्वारा मृतक के सिर पर गंडासे से तीन वार किया जाना – मृतक को धारदार

पृष्ठ संख्या

आयुध से मुख्य अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई क्षति के आधार पर ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता है कि सभी अभियुक्तों का सामान्य उद्देश्य मृतक की हत्या करने का था किन्तु मुख्य अभियुक्त को हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के लिए दायी ठहराया जा सकता है और हत्या के अपराध के लिए की गई दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

भाटो पासवान उर्फ **नारायण पासवान और अन्य** बनाम **बिहार राज्य** 531

– धारा 302, 323, 324 और 149 – हत्या – सामान्य उद्देश्य – अभियोजन पक्ष की ओर से मृतक की हत्या किए जाने का अभिकथन – अभियुक्तों द्वारा मृतक और आहत पर घातक आयुधों से हमला – चिकित्सा रिपोर्ट से हत्या का सामान्य उद्देश्य साबित न होना – रामदेव प्रसाद मंडल पर हमला किए जाने के समय पर उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया फिर भी उसको कारित क्षतियां साधारण प्रकृति की पाई गई हैं, अतः अभियुक्तों का उद्देश्य स्पष्टतः उसकी हत्या नहीं अपितु केवल क्षति पहुंचाना था, इसलिए अभियुक्तों को धारा 302 के अधीन नहीं अपितु धारा 149 के साथ पठित धारा 323 और 324 के अधीन ही दोषसिद्ध किया जा सकता है ।

भाटो पासवान उर्फ **नारायण पासवान और अन्य** बनाम **बिहार राज्य** 531

– धारा 304-II [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक

पृष्ठ संख्या

मानव वध – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त के बारे में यह अभिकथन किया जाना कि उसने अपनी पत्नी पर लाठी से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी हत्या हुई – शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह दर्शित होना कि मृत्यु का कारण मानसिक आघात और एनिमिया है – मृतका पर अधिकांश क्षतियां पैर के अग्र भाग और दोनों पैरों के जांघों पर पाई गई थीं जो शरीर के महत्वपूर्ण भागों पर नहीं थीं – डाक्टर के साक्ष्य के साथ मृत्युसमीक्षा साक्षियों के साक्ष्य से मृतका के बच्चों द्वारा केवल हमले के बारे में सुना न कि अपनी मां पर अभियुक्त द्वारा हमले करने की वारदात को देखा, अत: अभियुक्त-अपीलार्थी दोषमुक्त होने का हकदार है ।

सिंगरिया भूमिज बनाम **उड़ीसा राज्य** 500

– धारा 304-II [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – पुलिस द्वारा घटनास्थल पर दो लाठियों की बरामदगी – लाठियों की बरामदगी से अभियुक्त को अंगुलि को दर्शाना पर्याप्त नहीं है – रक्त परीक्षा रिपोर्ट के अभाव के कारण अभियुक्त और मृतका के रक्त समूह की साक्ष्य में कमी है – अभियुक्त के प्रत्यक्ष कार्य से मृतका के शरीर पर कारित की गई क्षतियों को साबित करने के लिए कोई अकाट्य प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक साक्ष्य मौजूद नहीं है – अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेह के परे घटना और आरोप को साबित करने में विफल हुआ है – अभियुक्त-अपीलार्थी संदेह का फायदा प्राप्त करने का हकदार है ।

सिंगरिया भूमिज बनाम **उड़ीसा राज्य** 500

पृष्ठ संख्या

– धारा 323 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – चोट – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त के बारे में यह अभिकथन किया जाना कि उसने दूसरे के उकसाने पर इत्तिलाकर्ता पर उसके मकान में नुकीले आयुध से हमला किया – अभियोजन साक्षियों द्वारा मकान से 150 मीटर दूर घटना घटने का कथन किया जाना – जबकि स्वतंत्र साक्षी द्वारा यह कथन किया जाना कि इत्तिलाकर्ता तार की घेराबंदी में उलझ कर गिर गया जिस कारण से चोट लगी – अभियोजन साक्षियों और स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य में घटना के स्थान और रीति के बारे में तात्विक विभेद प्रकट होना – अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में विफल हुआ है, अत: अभियुक्त संदेह का फायदा प्राप्त करने का हकदार है ।

गिरीश बयान बनाम **असम राज्य** 509

– धारा 376 [सपठित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5] – बलात्संग – वेश्यावृत्ति के लिए उकसाना – विदेश में अधिक कमाने का प्रलोभन देकर संभोग किए जाने का अभिकथन – पीड़िता का अपीलार्थी की शनाख्त न करना – बलपूर्वक ले जाए जाने के संबंध में पीड़िता का बस, रेलगाड़ी आदि में बैठे लोगों को न बताना – प्रत्यक्षदर्शी के परिसाक्ष्य का अभियोजन पक्षकथन से मेल न खाना – पीड़िता ने यह साक्ष्य नहीं दिया है कि उसे अधिक धन कमाने के लिए कुवैत भेजने को कहा गया था और न ही उसने बस, आटोरिक्शा और रेलगाड़ी में यात्रा करने के दौरान वहां बैठे यात्रियों को उसे बलपूर्वक ले जाने के संबंध में

पृष्ठ संख्या

बताया था और साथ ही उसने अपीलार्थी की शनाख्त भी नहीं की है, ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्षकथन संदिग्ध हो जाता है और अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

जीवन कुमार संपंग बनाम **बिहार राज्य** 517

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 3, 45 और 59 – मौखिक साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य – विचलन – शवपरीक्षण रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर बुलेट प्रविष्ट घाव, निकास घाव गोदन और कालेपन का अभाव – इनके अभाव से यह प्रकट होता है कि बन्दूक से गोली 3 (तीन) फीट से भी अधिक दूरी से चलाई गई थी – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार, 5-6 इंच की दूरी से बन्दूक की गोली चलाई गई थी – अतिनिकट से गोली चलाने पर गोदन और कालापन आ जाता है – मौखिक साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के विचलन पर विचार करने पर मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है, अत: अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

कुंवर पाल सिंह बनाम **राज्य** 425

(2019) 1 दा. नि. प. 425 इलाहाबाद

कुंवर पाल सिंह

बनाम

राज्य

तारीख 2 नवंबर, 2018

न्यायमूर्ति बालकृष्णन् नारायण और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 154 – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – दर्ज करने में विलंब – प्रभाव – मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में कहीं भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दर्ज करने का उल्लेख नहीं किया जाना – मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार किए जाने तक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का अस्तित्व में न होना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को पूर्व-दिनांकित होना साबित किया गया है ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य – विश्वसनीयता – दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन में हमलावर की हत्या करने व हमले की रीति का विभेदकारी होना – यह संभावना प्रकट होती है कि दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी वास्तविक हमले के समय पर घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, इस बात को अस्वीकार नहीं किया जाता है – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3, 45 और 59 – मौखिक साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य – विचलन – शवपरीक्षण रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर बुलेट प्रविष्ट घाव, निकास घाव गोदन और कालेपन का अभाव – इनके अभाव से यह प्रकट होता है कि बन्दूक से गोली 3 (तीन) फीट से भी अधिक दूरी से चलाई गई थी – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार, 5-6 इंच की दूरी से बन्दूक की गोली चलाई गई थी – अतिनिकट से गोली चलाने पर गोदन और कालापन आ जाता है –

मौखिक साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के विचलन पर विचार करने पर मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है, अतः अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में पूर्व दुश्मनी की वजह से बन्दूक से गोली चलाए जाने का अभिकथन किया जाना, परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु होना – बस के ड्राइवर, क्लीनर और कंडक्टर का हमले के दौरान मौजूद होना, उनकी परीक्षा नहीं कराया जाना – उस बात का कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना – दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का कथन हत्या करते समय हमलावर की गतिविधि हमले की रीति के बारे में गंभीर विभेद जो उनके परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है – अन्वेषक अधिकारी का हमले के ब्यौरे तथा घटनास्थल को चिन्हित करने में विफल होना – बन्दूक की गोली की दूरी के बारे में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का परिसाक्ष्य का चिकित्सा साक्ष्य से तीव्र विरोध होना – अभियुक्त की दोषिता सिद्ध नहीं की गई – अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

इस मामले में प्रकट तथ्य जो इस तथ्य से संबंधित नहीं है कि श्री अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) द्वारा हत्या की घटना के बारे में तारीख 16 जून, 1987 को बड़ागांव जिला झांसी के पुलिस थाने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसमें कुल मिलाकर चार अभियुक्तों द्वारा हत्या की गई जिनके नाम अपीलार्थियों के रूप में रिपोर्ट में सम्मिलित किए गए हैं, लगभग 6.15 बजे पूर्वाह्न रोड़वेज बस के अन्दर जब यह बस, बस स्टैण्ड बराठा पर पहुंची तब मामले में यह वर्णन किया गया है कि इत्तिलाकर्ता दातिया-सामधर बस सं. यू टी पी 2171 से तारीख 16 जून, 1987 को 5.30 बजे पूर्वाह्न न्यायालय में उपस्थित होने के लिए अपने बड़े भाई कृष्ण पाल सिंह (मृतक) और सह-गांव वासी मलखान सिंह, चतुर सिंह, पूरन सिंह, राजेन्द्र सिंह, राम दास, अच्छे लाल, प्रतिपाल सिंह (जो ग्राम बकवा के निवासी हैं) के साथ अग्रसर हुए थे । वे मोथ से झांसी की ओर आ रहे थे । ग्राम अमरा के रास्ते पर अभियुक्त अर्थात् सुन्दरभान, रघुवीर, भरत सिंह और कुंवर

पाल अपने गांव जाने के लिए बस में चढ़े थे । चार अभियुक्तों में से दो सुन्दरभान और रघुवीर के पास बन्दूक थी । पक्षकारों के बीच लम्बी मुकदमेबाजी के कारण पुरानी दुश्मनी विद्यमान थी । लगभग 6.15 बजे पूर्वाह्न का समय था जब बस, बस स्टैण्ड बराठा पर पहुंची, भरत सिंह और रघुवीर सिंह ने घटनास्थल पर बातचीत करने के लिए कुंवर पाल को प्रबोधित किया जिस पर कुंवर पाल, सुन्दरभान से बन्दूक लेकर उस स्थान से आगे बढ़ गया जहां इत्तिलाकर्ता का भाई कृष्ण पाल ड्राइवर के पीछे बस की अगली वाली सीट पर बैठा हुआ था और उस पर बन्दूक से गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप कृष्ण पाल को क्षतियां पहुंचीं और वह सीट से बस के फर्श पर गिर गया और इत्तिलाकर्ता और अन्य लोगों ने अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया परन्तु वे सफल नहीं हो सके क्योंकि अपराधी ने बन्दूक के नोक पर उन्हें धमकी दी थी और इस प्रकार ग्राम बराठा की ओर जाने के लिए बस से उतरने के पश्चात् वे भागने में सफल हो गए । लिखित रिपोर्ट में यह भी वर्णन किया गया है कि अति आवश्यकता की वजह से बस पीड़ित को उपचार के लिए चिकित्सा महाविद्यालय झांसी की ओर ले जाया गया जहां डाक्टर ने इत्तिलाकर्ता के भाई को मृत घोषित कर दिया । इत्तिलाकर्ता द्वारा शव को चिकित्सा महाविद्यालय के पीछे की ओर छोड़ दिया गया और वह रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाना बड़ागांव पर पहुंचा । लिखित रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु से तारीख 16 जून, 1987 को 8.00 बजे पूर्वाह्न पुलिस थाना बड़ागांव जिला झांसी पर दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन 1987 का अपराध सं. 92 में संबंधित चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखी गई थी । चिक के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति प्रदर्श क-18 है । परिणामस्वरूप चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इस तरह की गई प्रविष्टि पर पूर्वोक्त अपराध सं. में पारित 16 जून, 1987 को बड़ागांव पर अभियुक्त के विरुद्ध मामला दंड संहिता की पूर्वोक्त धाराओं के अधीन दर्ज किया गया था जिसकी प्रविष्टि संबंधित साधारण डायरी रपट सं. 10 में की गई थी । सुसंगत साधारण डायरी प्रविष्टि प्रदर्श क-19 है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के शीघ्र पश्चात् अन्वेषण की कार्यवाही प्रारंभ हुई और प्रथम अन्वेषक अधिकारी योगेन्द्र सिंह अभि. सा. 8 द्वारा अन्वेषण का जिम्मा लिया था । उसने पुलिस थाना बड़ागांव पर

दर्ज की गई रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेने के पश्चात् चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त की और कांस्टेबल शिव शंकर अग्निहोत्री से संबंधित साधारण डायरी प्रविष्टि भी प्राप्त की गई और उन बातों को ध्यान में रखने के पश्चात् वह कांस्टेबल मखमूर खान और चन्द्र पाल सिंह के साथ घटनास्थल की ओर गया । अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल के क्षेत्र के नजदीक भिन्न-भिन्न दुकानदारों से घटना के बारे में पूछताछ की और चिकित्सा महाविद्यालय की ओर गया जहां संबंधित बस सं. यू टी पी 2171 खड़ी थी । उसने बस के ड्राइवर आनंद कुमार कंडक्टर सुदामा प्रसाद और क्लीनर सलीम से घटना के बारे में भी पूछताछ की थी तथा उनके कथन अभिलिखित किए । इत्तिलाकर्ता अवधेश प्रताप सिंह का कथन भी अभिलिखित किया गया था क्योंकि वह घटना के समय पर उस स्थान पर मौजूद था । उसने घटना के स्थल यानि पूर्वोक्त बस के अन्दर के भाग का भी निरीक्षण किया था तथा उस सीट कवर को लिया जिस पर फायरिंग के निशान मौजूद पाए गए थे । उन्होंने बस के फर्श पर रक्तरंजित टीन के टुकड़े को भी कब्जे में लिया और इन वस्तुओं को काटने के पश्चात् प्राप्त किया गया था तथा बस के फर्श के टीन के टुकड़ों को भी नमूने के रूप में एकत्रित किया था और उन वस्तुओं का मेमो भी तैयार किया गया था और उन्होंने बस के फर्श से एक छर्रा और बुलेट भी प्राप्त किया था और अपने द्वारा तैयार किए गए मेमो में इस बात का उल्लेख भी किया । पूर्वोक्त सभी कागजातों को तैयार करने के पश्चात् वह बस स्टैण्ड बराठा पर पहुंचे जिस स्थान पर बस के अन्दर घटना घटी थी तथा घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया गया था जो प्रदर्श क-23 है और जिस स्थान के बारे में अवधेश प्रताप सिंह द्वारा बताया गया था । प्रथम अन्वेषक अधिकारी के परिसाक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि आधे दिन के पश्चात् अन्वेषण की कार्यवाही द्वितीय अन्वेषक अधिकारी उप निरीक्षक सूर्य प्रकाश अग्निहोत्री अभि. सा. 5 पुलिस थाना बड़ागांव द्वारा तारीख 16 जून, 1987 को अभि. सा. 8 उप निरीक्षक योगेन्द्र सिंह से अन्वेषण का जिम्मा लिया था । उन्होंने सह अभियुक्त रघुवीर सिंह की गिरफ्तारी की और साक्षियों के कथन अभिलिखित किए । इसके अतिरिक्त एस. बी. बी. एल. बन्दूक अन्वेषण के दौरान बरामद की गई थी और उसे

न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था जिसके बारे में रसायनिक परीक्षा रिपोर्ट भी प्राप्त की गई थी जो प्रदर्श क-25 है । तारीख 21 जून, 1987 को अभियुक्त कुंवर पाल सिंह को अन्य सह अभियुक्तों के साथ अन्वेषक अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और संबंधित केस डायरी में इसके बारे में सुसंगत प्रविष्टि की गई थी । कई अन्य अभियोजन साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए गए थे । अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभियुक्तों का न्यायालय में चालान किया गया । जिसमें प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, झांसी द्वारा अभियुक्त कुंवर पाल सिंह को दोषसिद्धि करके दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त ने दंड से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह बात विचारणीय है कि यदि रिपोर्ट 8.00 बजे पूर्वाह्न दर्ज की गई थी और मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार करने का स्थान चिकित्सा महाविद्यालय झांसी का शवगृह था तब अन्वेषक अधिकारी की मौजूदगी में जिसने अपने पास केस डायरी रखी हुई थी तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु को भी रखा था और संबंधित साधारण डायरी में सुसंगत प्रविष्टि की गई थी तब यह बात कैसे असामान्य हो गई और पुलिस थाना बड़ागांव पर 8.00 बजे पूर्वाह्न किए गए मामले की रिपोर्ट के बारे में कोई कानापूसी नहीं हुई थी, यद्यपि, मृत्युसमीक्षा के शीर्ष पर वर्णन किया जाना प्रतीत होता है जिसका परिक्षेत्र यह है कि मामला पुलिस थाना बड़ागांव से संबंधित है । इसके अतिरिक्त, इतना ही नहीं बल्कि पूर्वोक्त कागजात का परिशीलन करने से यह तथ्य भी उपदर्शित होता है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट को तारीख 16 जून, 1987 को 10.30 बजे पूर्वाह्न तैयार किया जाना प्रारंभ किया गया जिसे 11.40 बजे पूर्वाह्न पूरा किया गया था । संपूर्ण मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के बारे में जिसे पुलिस थाना बड़ागांव पर विशिष्ट अपराध सं. में मामला दर्ज किया गया । इस पर किसी तरह की कोई कानापूसी नहीं की गई थी जब मामले का अन्वेषक अधिकारी चिकित्सा महाविद्यालय में मौजूद था और वह प्रथम इत्तिलाकर्ता से मिला उस वक्त 10.00 बजे पूर्वाह्न का समय था और उसने उसका कथन

अभिलिखित किया । यह भी प्रकट हुआ है कि सुस्पष्ट सुसंगत समय 8.00 बजे पूर्वाह्न संबंधित साधारण डायरी प्रविष्टि जो तारीख 16 जून, 1987 को पुलिस थाने बड़ागांव पर की गई थी । संभवत: उसे पीछे रोक दिया गया था अर्थात् इस परिधि में दी गई दलील कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पूर्व-दिनांकित है, बहुत बड़ा प्रमाण दिया गया है, न केवल चारों ओर की प्रबल परिस्थितियों द्वारा बल्कि, इस सामग्री पर दोनों अन्वेषक अधिकारियों (अभि. सा. 8 और अभि. सा. 5) के अस्पष्ट परिसाक्ष्य है जो घटनास्थल के नक्शे को तैयार करने का महत्वपूर्ण पहलू पर तथा अभि. सा. 6 बी. एस. वाजपेयी के परिसाक्ष्य पर भी जिन्होंने शवगृह, चिकित्सा महाविद्यालय इतने पर मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की । हम उन बातों से आश्वस्त हैं कि मामले में जानबूझकर मोड़ लाया गया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पूर्व-दिनांकित है । जब हम अभियोजन साक्षियों, खास तौर पर अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) और चतुर सिंह (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक समीक्षा करते हैं तब ऐसी घटना की रीति के प्रश्न पर हम अवधेश प्रताप सिंह अभि. सा. 1 के विनिर्दिष्ट परिसाक्ष्य पर यह निष्कर्ष निकालते हैं जब उसने यह कथन किया कि अपीलार्थी जिस स्थान पर स्थिर अवस्था में रहा था और वह कृष्ण पाल सिंह पर गोली चलाते वक्त आगे नहीं बढ़ा । कागज-पुस्तिका के पैरा 44 में उसने अभियुक्त कुंवर पाल के खड़े होने की स्थिति के बारे में अपने परिसाक्ष्य में यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्त कुंवर पाल बस के अन्दर था और वह घटना के समय पर कृष्ण पाल सिंह के सामने खड़ा था और वह उस स्थान से आगे नहीं बढ़ा । इस विनिर्दिष्ट परिसाक्ष्य का जब हमलावर की गतिविधियों के बारे में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु की तुलना करते हैं जब कृष्ण पाल सिंह पर गोली चलाई गई थी तब विरोध प्रकट होना प्रकट हुआ है और चतुर सिंह अभि. सा. 2 का परिसाक्ष्य जो एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, उसके परिसाक्ष्य पर इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि कुंवर पाल ने अपनी मुख्य स्थिति से घूमने के पश्चात् कृष्ण पाल सिंह पर गोली चलाई और वह पीड़ित के सामने खड़े हुए स्थिति में पाया गया । यह दो वर्णन सही और गलत भी हो सकते

हैं परन्तु हमलावर की गतिविधियों के बारे में विभेदकारी कथन की मौजूदगी में जब हत्या की गई तब हमले की रीति के वृत्तांत में तात्विक विभेद प्रकट होता है जिसके बारे में यह विश्वास किया जाना प्रकट है और जो विश्वास योग्य भी नहीं है । यह बात विचार किए जाने का मुख्य प्रश्न है । यहां पर, चतुर सिंह अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि घटना के दिन को वह मुन्ना लाल पावर हाउस को जा रहा था और उसने यह कथन किया कि उसने दरोगा जी को यह कथन दिया था कि वह मुन्ना लाल पावर हाउस में कार्य करने के लिए गया हुआ था । परन्तु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन ऐसा कथन विलुप्त है और यह साक्षी उस बात का कोई कारण नहीं दे सका । उसने प्रश्नगत बस में यात्रा करने के लिए प्राधिकृत बस का टिकट भी नहीं दिखा सका और अन्वेषक अधिकारी के समक्ष किसी भी टिकट को नहीं दिखा सका । अतः, चतुर सिंह अभि. सा. 2 के वर्णन में कि वह मुन्ना लाल पावर हाउस में कार्य करने के लिए बस में घटना के दिन यात्रा कर रहा था । यह बात घटना के समय पर बस के अन्दर घटनास्थल पर अपनी छग्न मौजूदगी का दावा करने के लिए युक्ति के रूप में चरितार्थ की गई । इसके अतिरिक्त, उसका परिसाक्ष्य जैसाकि कागज-पुस्तिका के पृष्ठ 58 में प्रकट है, उसकी प्रतिपरीक्षा से यह दर्शित होता है कि बन्दूक से गोली चलाते समय बस का ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर बस के अंदर थे । तथापि, यह तथ्य अन्वेषक अधिकारी के परिसाक्ष्य से नकारात्मक रूप में प्रकट हुआ है जब उनके परिसाक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि अन्वेषण के दौरान उनकी जानकारी में यह तथ्य आया है कि बस का ड्राइवर, कंडक्टर और कलीनर उस वक्त बस के अंदर नहीं थे जब बस, बस स्टैण्ड बराठा पर रुकी हुई थी क्योंकि कंडक्टर समान उतारने के लिए बस की छत पर गया हुआ था तथा क्लीनर उसकी मदद कर रहा था जबकि ड्राइवर अपनी सीट छोड़ चुका था और वह कहीं गया हुआ था । यदि ऐसा हुआ है तो तब अपराध के स्थान जगह के बारे में परिसाक्ष्य को छुपा दिया गया और चतुर सिंह अभि. सा. 2 तथा अवधेश प्रताप सिंह अभि. सा. 1 ने जानबूझकर इस बात को छुपा लिया था और इन दो साक्षियों की मौजूदगी घटनास्थल पर

घटना के समय मिथ्या प्रकट होती है । हमने तथ्य के सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के सम्पूर्ण परिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है और घटना के स्थान के अपराध स्थल की उपस्थित परिस्थितियों पर विश्लेषण करके विचार भी किया है । तब हमें यह पता चला है कि अभियोजन साक्षियों का घटनास्थल पर मौजूद होने का दावा किए जाने पर, उनके द्वारा पीड़ित से पूछताछ की जानी चाहिए थी कब हमलावरों ने उस पर हमला किया और घटनास्थल से भाग खड़े हुए । मृतक की वास्तविक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था कि बन्दूक की गोली लगने के पश्चात् पीड़ित के साथ क्या घटित हुआ था और वह बस सीट से लुढ़क कर गिर गया था और इत्तिलाकर्ता पीड़ित का भाई का आचरण उस वक्त यह रहा था कि अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) और उसके साथी घटनास्थल पर मौजूद थे और वे विरोध करने की स्थिति में असमर्थ पाए गए और उन्होंने घटनास्थल पर पीड़ित की ओर ध्यान देना चाहिए था । कम से कम वे लोग घटना के तुरंत पश्चात् पीड़ित व्यक्ति को ले जाते और उसकी वास्तविक स्थिति को सुनिश्चित करना चाहिए था, परंतु उनके द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था । इत्तिला कर्ता के बारे में घटनास्थल मौजूद होने के संबंध में नैसर्गिक पहलू प्रकट नहीं होता है । अभि. सा. 5 साक्षियों की घटना के समय पर घटनास्थल पर अभियोजन साक्षी द्वारा घटना देखा जाना न केवल एक काल्पनिक बात है बल्कि उस तार्किक दृष्टिकोण पर पूर्वोक्त निष्कर्ष प्रकट होते हैं जिससे उपरोक्त निष्कर्ष को बल मिलता है कि दोनों अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 8 उप निरीक्षक योगेन्द्र सिंह और सूर्य प्रकाश अग्निहोत्री अभि. सा. 5 ने क्रमश: घटनास्थल का नक्शा तैयार करने में सावधानी नहीं बरती जो स्थान बस सं. यू टी पी 2171 के अन्दर का होना स्वीकार किया गया है । यह भी कथन किया गया है कि उप निरीक्षक योगेन्द्र सिंह अभि. सा. 8 प्रथम अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल जो बस सं. यू टी पी 2171 के अन्दर का भाग है, उसका वर्णन करके केवल संगम ज्ञापन तैयार किया परन्तु उक्त संगम ज्ञापन वास्तविक स्थान का वर्णन करता है जिस स्थान पर हमलावर ने हमला किया तथा मृतक और साक्षियों को उस

स्थान पर दिखाया गया है । ऐसा न केवल अन्वेषक अधिकारी की ओर से लोप हुआ है परन्तु इससे यह और तथ्य के साक्षियों की स्थिति प्रकट होती है जिसमें इत्तिलाकर्ता अनुपस्थित प्रबल रूप से प्रकट होती है और घटनास्थल पर तथ्य के अभियोजन साक्षी अवधेश प्रताप सिंह अभि. सा. 1 और चतुर सिंह अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य विभेदकारी होने के कारण दूर नहीं किया जा सकता जो हमले की रीति के बारे में उनके द्वारा प्रकट किया गया है । हमें इस तथ्य के बल से भी विश्वास होता है कि शव-परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क-2 मृत्युपूर्व घाव अर्थात् एक बन्दूक की गोली का प्रविष्ट घाव और दूसरा बन्दूक की गोली से प्रविष्ट घाव प्रकट होता है । डा. साक्षी से इस प्रश्न पर गहन प्रतिपरीक्षा की गई कि कैसे क्षति पर कालापन, गोदन और झुलसना क्षति का भागरूप कैसे हो सकती है या यह क्षति का भागरूप नहीं हो सकती और तब वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए विशिष्ट रूप से मृतक की शवपरीक्षण रिपोर्ट पर डा. ने अपनी प्रतिपरीक्षा के अंत में राय व्यक्त की है जो कागज-पुस्तिका के पृष्ठ 86 पर प्रकट है कि मृतक को कारित की गई बन्दूक की गोली के घाव पर कालापन, गोदन और झुलसने का अभाव से इस तथ्य की ओर समनुदेशित हो सकता है कि बन्दूक से चलाई गई गोली 3 फुट से अधिक की दूरी प्रकट करता है । इस मामले में, यह भी स्वीकृत स्थिति है कि मृत्युपूर्व बन्दूक की गोली के घाव पर कोई कालापन, गोदन और झुलसने के चिन्ह प्रकट नहीं हुए हैं । यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या बन्दूक/राइफल्स की टोंटी तथा क्षतिग्रस्त व्यक्ति की सीट के बीच क्या दूरी हो सकती है जिस पर मृतक कृष्ण पाल के वक्ष पर क्षति किए जाने का कथन किया गया है तब वास्तविक दूरी के बारे में विनिर्दिष्ट परिसाक्ष्य को चतुर सिंह अभि. सा. 2 द्वारा स्पष्ट किया गया है । उसने यह भी कहा है कि टोंटी और मृतक के वक्ष के बीच दूरी लगभग 5-6 इंच की थी यदि इस दूरी को दोहरा भी कर दिया जाए तब यह बात मुश्किल से प्रकट होती है कि 12 इंच से बन्दूक की गोली चली तब उस दशा में बन्दूक की गोली से हुआ प्रविष्ट घाव पर कालापन, गोदन और झुलसने के चिन्ह होने चाहिए । परन्तु मृतक के वक्ष के बाईं ओर कारित प्रविष्टि घाव के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता । इससे यह

अभिप्रेत है कि चतुर सिंह अभि. सा. 2 द्वारा वर्णित दूरी का विनिर्दिष्ट वर्णन अनुमान पर है और उसने कभी भी बन्दूक की टोंटी और क्षतिग्रस्त व्यक्ति की सीट मृतक के वक्ष के बीच दूरी गोली चलने के समय वास्तविक दूरी नहीं देखी । इस तरह, यहां पर बातों में सुधार करके पेश करने की कोशिश की गई और उसका परिसाक्ष्य पूर्ण रूप से बढ़ा-चढ़ाकर की गई बातों पर आधारित है । अतः, दोनों साक्षी अवधेश प्रताप सिंह अभि. सा. 1 और चतुर सिंह अभि. सा. 2 के बारे में घटनास्थल पर मौजूद होने का विश्वास नहीं किया जा सकता और उनका परिसाक्ष्य घटना के परिसाक्ष्य पर विश्वसनीय नहीं है । जहां तक बस सं. यू टी पी 2171 के कंडक्टर, ड्राइवर और क्लीनर की परीक्षा का संबंध है, उस पर यह स्पष्ट है कि वास्तविक घटना के बारे में उनके परिसाक्ष्य से सच्चाई प्रकट होती और उनके साक्ष्य को आसानी से पेश किया जा सकता जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा रोक दिया गया । ऐसी परिस्थितियों में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 जी के संघटक मामले में सामने आते हैं कि उक्त साक्ष्य जिसे पेश किया जा सकता और उसे पेश नहीं किया गया, यदि उस साक्ष्य को पेश किया जाता तो यह उन व्यक्तियों के अनुकूल नहीं होता जिन्होंने उसे रोका था । वास्तव में यदि तथ्य के अभियोजन साक्षियों द्वारा घटना को देखा गया था तब इस मामले का अन्वेषक अधिकारी ने बस सं. यू टी पी 2171 के अंदर घटनास्थल के नक्शे को तैयार करना चाहिए परंतु बस के अंदर वास्तविक घटनास्थल का अभाव है जिससे अभियोजन साक्षियों की निर्योग्यता परिलक्षित होती है जिससे कि हमलावरों द्वारा कब्जे में लिए गए स्थान का संक्षेप में उल्लेख करने की जरूरत नहीं है और मृतक जिस पर गोली दागी गई थी वह कृष्ण पाल सिंह है । यह बात संपूर्ण पक्षकथन का केन्द्र बिन्दु है और बस के अंदर घटना घटने के समय पर तथ्य के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की मौजूदगी के बारे में संदेह प्रकट होता है । (पैरा 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 49 और 52)

पक्षकारों के बीच शत्रुता होना स्वीकार किया गया है और इत्तिलाकर्ता सह-अभियुक्त सुन्दरभान के पुत्र की हत्या के मामले में कार्रवाइयों में उपस्थित होने के लिए जा रहा था और इत्तिलाकर्ता उस

हत्या के मामले में केवल एकमात्र अभियुक्त था । अभियोजन पक्ष मृतक को चिकित्सा महाविद्यालय ले जाने के तथ्य के बारे में विनिर्दिष्ट परिसाक्ष्य का पता लगाने में विफल हुआ है और इस बारे में यह प्रश्न कि कौन व्यक्ति घटना घटने के पश्चात् मृतक को चिकित्सा महाविद्यालय में लाया था, इस बात को अभियोजन पक्ष द्वारा समुचित रूप से साबित नहीं किया गया है । घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की मौजूदगी के बारे में विचारण न्यायालय द्वारा निश्चित रूप से उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है और हमला करने की रीति के बारे में तात्विक प्रकट विभेद के संबंध में भी विचार नहीं किया गया है । चिकित्सा साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी के परिसाक्ष्य के प्रतिकूल है । दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रतिपरीक्षा की कसौटी में खरे नहीं उतर सके हैं और उनके बारे में घटना घटने की रीति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मूक रहना दर्शित होता है । इस तरह उनका परिसाक्ष्य कल्पना से अत्यधिक प्रवाहित होना प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि घटना के बारे में सच्चाई की अपेक्षा जानबूझकर और सिखाने पढ़ाने की तरह कार्य किया गया है । मामले के इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जब समीक्षा की जाती है और तथ्य के अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य तथा दोनों अन्वेषक अधिकारियों अभि. सा. 8 उप निरीक्षक योगेन्द्र सिंह और अभि. सा. 5 सूर्य प्रकाश अग्निहोत्री के परिसाक्ष्य पर विचार किया जाए तब उनकी सुसंगति प्रतीत नहीं होती है और घटना की पूरी तस्वीर जैसाकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की मौजूदगी में घटित होने की बात कही गई है कि तारीख 16 जून, 1987 को 6.15 बजे पूर्वाह्न यू टी पी 2171 बस के अंदर घटित होने का अभिकथित रीति में वर्णन किया गया है जब बस, बस स्टैण्ड बराठा पर पहुंच कर रुकी हुई थी । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों का मूल्यांकन करते हुए और परिसाक्ष्य तथा मामले की परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करते हुए संपूर्ण मामले का गलत रूप से परिशीलन किया है और ऐसे विचलित होने वाले साक्ष्य पर दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभिलिखित किया है जो पूरी तरह दुर्बलता पर आधारित है । परिणामस्वरूप, दोषसिद्धि के निष्कर्ष में विधिक बल की कमी है और हम उनकी दोषसिद्धि को कायम रखने में असमर्थ हैं । यहां पर कुछ विनिर्दिष्ट पैरा प्रकट हैं जिस पर हम पुलिस थाना बड़ागांव, जिला झांसी के अपराध मामला सं. 92/1987 से उद्भूत

राज्य बनाम सुन्दरभान और अन्य सेशन विचारण सं. 142/1987 में प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश झांसी द्वारा तारीख 22 अप्रैल, 1991 को पारित किए गए दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं । (पैरा 53, 54, 56 और 57)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1991 की दांडिक अपील सं. 1070.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री यदुवंश कुमार शुक्ला, रघुवंश मिश्रा और राहुल मिश्रा

प्रत्यर्थी की ओर से उप सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने दिया ।

न्या. मिश्रा – अपीलार्थी की ओर से श्री राहुल मिश्रा अधिवक्ता जिनकी श्री रघुवंश मिश्रा द्वारा सहायता की गई है तथा राज्य की ओर से श्री सगीर अहमद और कुमारी मीना विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता को सुना और इस अपील के अभिलेख का परिशीलन किया ।

2. वर्तमान दांडिक अपील के माध्यम से 1987 के सेशन विचारण सं. 142, राज्य बनाम सुन्दरभान और अन्य जो मामला पुलिस थाना बड़ागांव जिला झांसी के 1987 का अपराध सं. 92 से उद्भूत हुआ था, उस पर प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश झांसी द्वारा तारीख 22 अप्रैल, 1991 को पारित किए गए निर्णय और आदेश की विधिमान्यता और कायमयोग्यता को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी कुंवर पाल सिंह को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए आजीवन कारावास भोगने के लिए दोषसिद्ध व दंडादिष्ट किया गया था ।

3. यह उल्लेख करना सुसंगत है कि पूर्वोक्त आक्षेपित निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय ने चार अभियुक्तों में से तीन सह अभियुक्तों अर्थात् रघुवीर पुत्र विराजे, भरत सिंह पुत्र नारायण सिंह और सुन्दरभान पुत्र भूरे को दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था ।

4. इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) द्वारा हत्या की घटना के बारे में तारीख 16 जून, 1987 को बड़ागांव जिला झांसी के पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसमें कुल मिलाकर चार अभियुक्तों द्वारा हत्या की गई जिनके नाम अपीलार्थियों के रूप में रिपोर्ट में सम्मिलित किए गए हैं, लगभग 6.15 बजे पूर्वाह्न रोड़वेज बस के अन्दर जब यह बस, बस स्टैण्ड बराठा पर पहुंची तब मामले में यह वर्णन किया गया है कि इत्तिलाकर्ता दतिया-सामधर बस सं. यू टी पी 2171 से तारीख 16 जून, 1987 को 5.30 बजे पूर्वाह्न न्यायालय में उपस्थित होने के लिए अपने बड़े भाई कृष्ण पाल सिंह (मृतक) और सह-ग्राम वासी मलखान सिंह, चतुर सिंह, पूरन सिंह, राजेन्द्र सिंह, राम दास, अच्छे लाल, प्रतिपाल सिंह (जो ग्राम बकवा के निवासी हैं) के साथ चले थे । वे मोथ से झांसी की ओर आ रहे थे ।

5. ग्राम अमरा के रास्ते पर अभियुक्त अर्थात् सुन्दरभान, रघुवीर, भरत सिंह और कुंवर पाल अपने गांव से बस में चढ़े थे । चार अभियुक्तों में से दो सुन्दरभान और रघुवीर के पास बन्दूक थी । पक्षकारों के बीच लम्बी मुकदमेबाजी के कारण पुरानी दुश्मनी थी ।

6. लगभग 6.15 बजे पूर्वाह्न का समय था जब बस, बस स्टैण्ड बराठा पर पहुंची, भरत सिंह और रघुवीर सिंह ने घटनास्थल पर नियत कार्य करने के लिए कुंवर पाल को प्रबोधित किया जिस पर कुंवर पाल ने सुन्दरभान से बन्दूक ली और उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां इत्तिलाकर्ता का भाई कृष्ण पाल ड्राइवर के पीछे बस की अगली वाली सीट पर बैठा हुआ था और उस पर बन्दूक से गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप कृष्ण पाल को क्षतियां पहुंचीं और वह सीट से बस के फर्श पर गिर गया और इत्तिलाकर्ता और अन्य लोगों ने अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया परन्तु वे सफल नहीं हो सके क्योंकि अपराधी ने बन्दूक दिखाकर उन्हें धमकी दी थी और इस प्रकार ग्राम बराठा की ओर जाने के लिए बस से उतरने के पश्चात् वे भागने में सफल हो गए । लिखित रिपोर्ट में यह भी वर्णन किया गया है कि अति आवश्यकता की वजह से बस पीड़ित को उपचार के लिए चिकित्सा महाविद्यालय झांसी

की ओर ले जाया गया जहां डाक्टर ने इत्तिलाकर्ता के भाई को मृत घोषित कर दिया । इत्तिलाकर्ता द्वारा शव को चिकित्सा महाविद्यालय के पीछे की ओर छोड़ दिया गया और वह रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाना बड़ागांव पर पहुंचा ।

7. लिखित रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु से तारीख 16 जून, 1987 को 8.00 बजे पूर्वाह्न पुलिस थाना बड़ागांव जिला झांसी में दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन 1987 के अपराध सं. 92 में संबंधित चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखी गई थी । चिक के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति प्रदर्श क-18 है । परिणामस्वरूप चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में इस तरह की गई प्रविष्टि पर पूर्वोक्त अपराध संख्या में 16 जून, 1987 को पुलिस थाना बड़ागांव में अभियुक्त के विरुद्ध मामला दंड संहिता की पूर्वोक्त धाराओं के अधीन दर्ज किया गया था जिसकी प्रविष्टि संबंधित साधारण डायरी रपट सं. 10 में की गई थी । सुसंगत साधारण डायरी प्रविष्टि प्रदर्श क-19 है ।

8. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के शीघ्र पश्चात् अन्वेषण की कार्यवाही प्रारंभ हुई और प्रथम अन्वेषक अधिकारी योगेन्द्र सिंह (अभि. सा. 8) द्वारा अन्वेषण का जिम्मा लिया था । उसने पुलिस थाना बड़ागांव पर दर्ज की गई रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेने के पश्चात् चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त की और कांस्टेबल शिव शंकर अग्निहोत्री से संबंधित साधारण डायरी प्रविष्टि भी प्राप्त की गई और उन बातों को ध्यान में रखने के पश्चात् वह कांस्टेबल मखमूर खान और चन्द्रपाल सिंह के साथ घटनास्थल की ओर गया । अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल के क्षेत्र के नजदीक भिन्न-भिन्न दुकानदारों से घटना के बारे में पूछताछ की और चिकित्सा महाविद्यालय की ओर गया जहां संबंधित बस सं. यू टी पी 2171 खड़ी थी । उसने बस के ड्राइवर आनंद कुमार, कंडक्टर सुदामा प्रसाद और क्लीनर सलीम से घटना के बारे में भी पूछताछ की थी तथा उनके कथन अभिलिखित किए । इत्तिलाकर्ता अवधेश प्रताप सिंह का कथन भी अभिलिखित किया गया था क्योंकि वह घटना के समय पर उस स्थान पर मौजूद था । उसने घटना के स्थल यानि पूर्वोक्त बस के अन्दर के भाग का भी निरीक्षण किया था तथा उस

सीट कवर को लिया जिस पर फायरिंग के निशान मौजूद पाए गए थे । उन्होंने बस के फर्श पर रक्तरंजित टीन के टुकड़े को भी कब्जे में लिया और इन वस्तुओं को काटने के पश्चात् प्राप्त किया गया था तथा बस के फर्श के टीन के टुकड़ों को भी नमूने के रूप में एकत्रित किया था और उन वस्तुओं का मेमो भी तैयार किया गया था और उन्होंने बस के फर्श से एक छर्रा और बुलेट भी प्राप्त किया था और अपने द्वारा तैयार किए गए मेमो में इस बात का उल्लेख भी किया । पूर्वोक्त सभी कागजातों को तैयार करने के पश्चात् वह बस स्टैण्ड बराठा पर पहुंचा जिस स्थान पर बस के अन्दर घटना घटी थी तथा घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया गया था जो प्रदर्श क-23 है और जिस स्थान के बारे में अवधेश प्रताप सिंह द्वारा बताया गया था ।

9. प्रथम अन्वेषक अधिकारी के परिसाक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि आधे दिन के पश्चात् अन्वेषण की कार्यवाही द्वितीय अन्वेषक अधिकारी उप निरीक्षक सूर्य प्रकाश अग्निहोत्री (अभि. सा. 5) पुलिस थाना बड़ागांव द्वारा तारीख 16 जून, 1987 को उप निरीक्षक योगेन्द्र सिंह (अभि. सा. 8) से अन्वेषण का जिम्मा लिया था । उन्होंने सह अभियुक्त रघुवीर सिंह की गिरफ्तारी की और साक्षियों के कथन अभिलिखित किए । इसके अतिरिक्त एस. बी. बी. एल. बन्दूक अन्वेषण के दौरान बरामद की गई थी और उसे न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था जिसके बारे में रसायनिक परीक्षा रिपोर्ट भी प्राप्त की गई थी जो प्रदर्श क-25 है । तारीख 21 जून, 1987 को अभियुक्त कुंवर पाल सिंह को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ अन्वेषक अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और संबंधित केस डायरी में इसके बारे में सुसंगत प्रविष्टि की गई थी । कई अन्य अभियोजन साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए गए थे ।

10. अभिलेख से यह भी प्रकट हुआ है कि उप निरीक्षक बी. एस. वाजपेयी (अभि. सा. 6) ने मृतक कृष्ण पाल सिंह की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श क-12) भी तैयार की और उसमें मृत्युसमीक्षा साक्षियों को भी नियुक्त किया गया । मृत्युसमीक्षा कार्यवाही 10.30 बजे पूर्वाह्न प्रारंभ की गई और तारीख 16 जून, 1987 को 11.40 बजे पूर्वाह्न उसे पूरा

किया गया था, और यह कार्यवाही चिकित्सा महाविद्यालय झांसी के शवगृह पर की गई थी । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में एक मत से यह राय व्यक्त की गई थी कि शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए ताकि मृत्यु का वास्तविक कारण उचित रूप से सुनिश्चित किया जा सके । इस कार्यवाही में कतिपय सुसंगत कागजात तैयार किए गए थे जो फोटो नाश प्रदर्श क-16, चालान नश प्रदर्श क-15, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र प्रदर्श क-14 और मुहर का नमूना प्रदर्श क-17 थे । उन्होंने मुहरबंद शव प्राप्त किया था और इसे शवपरीक्षण के लिए जिला अस्पताल झांसी भेज दिया गया था ।

11. मृतक कृष्ण पाल सिंह के शव-परीक्षा डाक्टर बी. सी. गुप्ता अभि. सा. 4 द्वारा तारीख 16 जून, 1987 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न की गई थी जिन्होंने मृतक के शव पर निम्नलिखित क्षतियों का उल्लेख किया है :-

> 1. चौथे अन्तरापुर्शक के स्थान में वक्ष के बाईं ओर बन्दूक की गोली का प्रविष्ट घाव, मध्य लाइन से 2 से. मी. दूर जो 2.5 × 2.5 से. मी. जो चौथे अन्तरापुर्शक स्थान में उरोस्थि के दाहिने ओर वक्षीय गुहिका के ट्रैक प्रविष्टि की बाईं ओर मांसपेशी की गहराई तक है जिसके किनारे टूटे हुए हैं और अनियमित हैं । कोई गोदन और कालापन मौजूद नहीं है ।
>
> 2. सातवीं पसली के मध्य वक्षीय लाइन में वक्ष के दाहिनी ओर पार्श पहलू पर बन्दूक की गोली का प्रविष्ट घाव जो आकार में 3 से. मी. × 2.5 से. मी. गुहिका की गहराई तक है । सातवीं पसली का अस्थिभंग हुआ था । किनारे उलटे हुए थे और उपांत अनियमित थे । दोनों प्रवेश और प्रविष्ट घाव आपस में मिले हुए थे ।

12. डा. ने यह राय व्यक्त की है कि मृत्यु का कारण बन्दूक की गोली के क्षति के कारण आघात और रक्तस्राव से हुई थी । यह शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क-2 है ।

13. उप निरीक्षक सूर्य प्रकाश अग्निहोत्री (अभि. सा. 5) (द्वितीय

अन्वेषक अधिकारी) द्वारा अन्वेषण कार्य पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-12 प्रस्तुत किया गया था ।

14. मामले की कार्यवाहियों को सेशन न्यायालय में सुपुर्द किया गया था और इस क्रम पर पूरा मामला विचारण किए जाने के लिए द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, झांसी के न्यायालय में निपटारे के लिए भेजा गया था । अपीलार्थी को आरोप के प्रश्न पर सुना गया था तथा विचारण न्यायालय अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध मामला होने से प्रथमदृष्ट्या समाधान पर पहुंचा है, इसलिए, अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया गया । अभियुक्त के समक्ष आरोपों को पढ़ा गया और उसका स्पष्टीकरण भी दिया गया जिसमें आरोप से इनकार किया गया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

15. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 8 साक्षियों की परीक्षा की, उसका संक्षेप में निम्न प्रकार उल्लेख किया जा रहा है :–

अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) जो मृतक का भाई है तथा प्रथम इत्तिलाकर्ता है, उसने घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा किया है ।

चतुर सिंह (अभि. सा. 2) मृतक का नातेदार है और उसने घटना को देखे जाने का दावा किया है ।

राजेन्द्र सिंह (अभि. सा. 3) ने घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा किया है ।

डा. पी. सी. गुप्ता (अभि. सा. 4) ने तारीख 16 जून, 1987 को 4.00 बजे अपराह्न मृतक कृष्ण पाल सिंह के शव का शवपरीक्षण किया है ।

सूर्य प्रकाश अग्निहोत्री (अभि. सा. 5) इस मामले में द्वितीय अन्वेषक अधिकारी है ।

बी. एस. वाजपेयी (अभि. सा. 6) ने मृत्युसमीक्षा की थी ।

रामदास (अभि. सा. 7) पुलिस थाना बड़ागांव में कांस्टेबल लिपिक है उसने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तैयार की और संबंधित साधारण डायरी में उसकी प्रविष्टि का उल्लेख किया है ।

उप निरीक्षक योगेन्द्र सिंह (अभि. सा. 8) इस मामले का प्रथम अन्वेषक अधिकारी है ।

16. उपरोक्त के सिवाय कोई अन्य परिसाक्ष्य पेश नहीं किया गया था इसलिए, अभियोजन के साक्ष्य को समाप्त कर दिया गया था और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया था जिसमें उसने शत्रुता की वजह से मिथ्या फंसाए जाने का दावा किया है । उसने अपने कथन में यह भी कहा है कि दंड संहिता की धारा 307 में अन्तर्वलित किसी मामले में वह अवधेश प्रताप सिंह (इस मामले का इत्तिलाकर्ता) के विरुद्ध वह साक्ष्य के रूप में उपस्थित हुआ था, इसलिए, उसे उसके द्वारा इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है ।

17. प्रतिरक्षा पक्ष ने किसी प्रकार का कोई भी साक्ष्य नहीं दिया है तथापि, कागजात प्रदर्श ख 1 को अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में बल दिया गया है जिसे सूर्य प्रकाश अग्निहोत्री (अभि. सा. 5) के माध्यम से साबित किया गया है जो अन्वेषक अधिकारी द्वारा राजेन्द्र सिंह पुत्र करन सिंह के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन के टुकड़े से संबंधित है ।

18. विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने मामले में गुणागुण पर विचार करने के पश्चात् दोषसिद्धि के दंडादेश के पूर्वोक्त निष्कर्ष जिसमें अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास दिया गया था जिसके विरुद्ध यह अपील फाइल की गई है ।

19. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा अपनी दलील को विस्तार देते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह भी दावा किया है कि अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) और चतुर सिंह (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य पर विचारण न्यायालय द्वारा विश्वास से प्रेरित होकर गलत रूप से विश्वास किया गया है । उनका परिसाक्ष्य संपूर्ण रूप से विभेदकारी है

जिसमें पूर्ण रूप से सुधार करके बढ़ी-चढ़ी बातें कही गई हैं जो अनुमान पर आधारित है । वे लोग घटना के समय पर घटनास्थल में मौजूद नहीं थे । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पूर्व दिनांकित है क्योंकि परिस्थितियों से यह बात संदेह से परे साबित होती है जिसके लिए किसी अन्य साक्ष्य पर विचार किया जाना जरूरी नहीं है । यदि उस पर सही होने का विश्वास किया जाए तो तब घटना की रिपोर्ट तारीख 16 जून, 1987 को 8.00 बजे पूर्वाह्न पुलिस थाना बड़ागांव में दर्ज की गई थी, तब मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट को तैयार किया जाना स्वत: इस तथ्य से उपदर्शित होता है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट को चिकित्सा महाविद्यालय झांसी में तारीख 16 जून, 1987 को 10.30 बजे पूर्वाह्न तैयार करना प्रारंभ किया गया था परंतु पुलिस थाना बड़ागांव पर दर्ज की गई रिपोर्ट के पश्चात् अपराध की अपराध संख्या के बारे में मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श क 12क) के बारे में तनिक भी उल्लेख नहीं है । इस तथ्य से यह साबित होता है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में मृतक कृष्ण पाल सिंह की मृत्यु की सूचना के बारे में वर्णन किया गया था जिसे वार्ड बाय करनजु द्वारा पुलिस थाना नवाबाड, झांसी के पुलिस चौकी विश्वविद्यालय पर दिया गया था और उप निरीक्षक योगेन्द्र सिंह (अभि. सा. 8) प्रथम अन्वेषक अधिकारी के परिसाक्ष्य से जो कुछ भी प्रकट हुआ है, उससे यह दर्शित होता है कि उसने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु का उल्लेख किया है और 16 जून, 1987 को लगभग 8.30 बजे पूर्वाह्न की रिपोर्ट की जानकारी हुई जिस पर उसने घटनास्थल की ओर प्रस्थान किया और उस क्षेत्र (बस स्टैण्ड बराठा के आस-पास का क्षेत्र) के दुकानदारों से पूछताछ करने के पश्चात् चिकित्सा महाविद्यालय झांसी की ओर प्रस्थान किया और तारीख 16 जून, 1987 को लगभग 10.00 बजे पूर्वाह्न वे वहां पर पहुंचे, ऐसी दशा में रिपोर्ट दर्ज की गई थी, तब मामले की अपराध संख्या का मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट पर वर्णन किया जाना चाहिए था और वार्ड बाय द्वारा पुलिस को सूचना के ब्यौरों की जानकारी दी गई और जो मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट पर अंकित नहीं की गई होगी । इस स्वतन्त्र परिस्थिति से भिन्न कहानी यह प्रकट होती है कि तारीख 16 जून, 1987 को पूर्वाह्न लगभग 11:40 बजे मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार किए

जाने तक कोई भी प्रथम इतिला रिपोर्ट दर्ज नही कराई गई थी और यह प्रतीत होता है कि रोजनामचे में की गई सुसंगत प्रविष्टि को पहले रिक्त रखा गया था ताकि इत्तिलाकर्ता और पुलिस द्वारा विचार विमर्श किए जाने के बाद इसे भरा जा सके ।

20. इसी तरह, जब अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) और चतुर सिंह (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य को विश्वसनीय और सत्य होना माना गया है तब उनके परिसाक्ष्य से घटना के वर्णन का कोई मेल नहीं होता है और चिकित्सा साक्ष्य से भी मेल नहीं होता है क्योंकि बन्दूक की गोली का घाव जिसके बारे में कृष्ण पाल के शव पर किया जाना अभिकथित है, उस घाव पर किसी तरह का कालापन, गोदन या झुलसने का कोई चिन्ह नहीं प्रकट होता है जिससे यह अभिप्रेत है कि बन्दूक की गोली 3 फिट से अधिक दूरी से चलाई गई थी । इस संबंध में डाक्टर की राय की अनदेखी नहीं की जा सकती है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के मौखिक परिसाक्ष्य का प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में वर्णित वास्तविक तथ्यों से तुलना की जाती है और मामले की परिस्थितियों की चिकित्सा साक्ष्य से भी तुलना की जाती है तो उनमें विभेद प्रकट होता है ।

21. यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है कि घटनास्थल जो स्थान बस यू टी पी 2171 के अन्दर है उस स्थान का दोनों अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 8 और अभि. सा. 5) द्वारा नक्शा नहीं बनाया गया था और बस के अन्दर घटना के वास्तविक स्थान का नक्शा तैयार नहीं किया गया था । तथापि, घटनास्थल से संबंधित बातों को इस प्रकार दर्शाने का प्रयास किया गया है जैसे बस के अन्दर घटना घटित होने का वर्णन किया जा रहा हो और इसके विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण बिन्दुओं को भी दिखाया नहीं गया है जहां से गोली चलाई गई थी और घटना के समय पीड़ित/मृतक की वास्तविक स्थिति को भी नहीं दर्शाया गया है । घटना के वास्तविक घटनास्थल का नक्शा तैयार नहीं किया गया जिससे स्वत: यह तथ्य प्रकट होता है कि अभियोजन साक्षियों में से किसी ने भी वास्तव में प्रश्नगत घटना नहीं देखी थी ।

22. दूसरी यह दलील दी गई कि संबंधित बस का ड्राइवर और

कंडक्टर और क्लीनर को साक्षियों के रूप में पेश करके उनके सुसंगत परिसाक्ष्य को अभिलिखित करने का प्रयास नहीं किया गया जिससे उनकी सच्चाई स्पष्ट हो जाती परंतु यह तो अभियोजन पक्ष ही जानता होगा कि इन साक्षियों की परीक्षा क्यों न और उनके परिसाक्ष्य के अभाव में, अन्य अभियोजन साक्षियों (अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3) के परिसाक्ष्य का स्वतंत्र साक्षियों से सम्पुष्टि न होने के कारण कोई महत्व नहीं रह जाता है । यदि अभियोजन कहानी को सही मान लिया जाए तब अपराध किए जाने के हेतु में सह-अभियुक्त सुन्दरभान को भी दोषी माना जाता जिसके बारे में अपराध कारित किए जाने का पर्याप्त कारण था और उसने बस के अन्दर कुंवर पाल को अपनी लाइसेंसी बंदूक दी थी ताकि वह मृतक की हत्या कर दे तथा अपीलार्थी (कुंवर पाल) का अपराध करने का कोई हेतु नहीं था और यह कहना कि उसने मृतक पर रघुवीर और भरत सिंह द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर गोली चलाई थी पूर्णतया मिथ्या है । अपीलार्थी को मिथ्या रूप से फंसाने का हेतु इस तथ्य पर आधारित है कि वह दंड संहिता की धारा 307 के अधीन हत्या के प्रयत्न से संबंधित मामले में प्रथम इत्तिलाकर्ता के विरुद्ध साक्षी था ।

23. इसके विपरीत, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अभियोजन साक्षी विश्वसनीय साक्षी हैं उनके परिसाक्ष्य से अपीलार्थी द्वारा मृतक पर गोली चलाए जाने की घटना का तथ्य साबित होता है जिसकी बस सं. यू टी पी 2171 बस के अन्दर घटनास्थल पर हत्या कर दी गई । चिकित्सा परिसाक्ष्य घटना के साक्षियों के मौखिक परिसाक्ष्य के प्रतिकूल नहीं हैं । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में अपराध सं. का वर्णन नहीं किए जाने से वास्तव में उससे अपराध की प्रमाणिकता शून्य नहीं हो जाती है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पूर्व दिनांकित नहीं है । अभियोजन साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है और घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता है ।

24. हमने प्रतिस्पर्धी दलीलों पर भी विचार किया है ।

25. मुख्य प्रश्न यह है कि जो इस अपील में न्यायनिर्णयन किए जाने के लिए उद्भूत हुआ है कि क्या अभियोजन पक्ष दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप को

साबित करने में समर्थ हुआ है ?

26. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु में सरसरी रूप से दृष्टि डालते हुए संक्षेप में यह परिलक्षित होता है कि यह घटना तारीख 16 जून, 1987 की प्रात: लगभग 6.15 बजे पूर्वाह्न घटित हुई थी और घटना का स्थान बस सं. यू टी पी 2171 के अंदर का है जो बस दातिया सामथार की ओर जा रही थी और वह वास्तविक स्थान जहां घटना के समय पर पहुंची थी बराठा बस स्टैण्ड है जहां बस के अंदर हत्या की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार इत्तिलाकर्ता अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) न्यायालय कार्यवाहियों में हाजिर होने के लिए मृतक अपने बड़े भाई कृष्ण पाल सिंह के साथ जिला न्यायालय झांसी की ओर जा रहे थे और अन्य सह-ग्रामवासी मलखान सिंह, चतुर सिंह, पूरन सिंह, राजेन्द्र सिंह, राम दास, अच्छे लाल और प्रतिपाल सिंह ग्राम बकवा के निवासी भी उनके साथ थे ।

27. रास्ते पर अभियुक्त कुंवर पाल के साथ तीन अन्य लोग भी थे अर्थात् सुन्दरभान, रघुवीर, भरत सिंह पूर्वोक्त बस पर चढ़े थे जब बस ग्राम अमरा पहुंची तो चार अभियुक्तों में से दो अर्थात् सुन्दरभान और रघुवीर ने अपने हाथ में बन्दूक ले रखी थी । पक्षकारों के बीच पुरानी रंजिश विद्यमान होने का कथन किया गया था जो गंभीर मुकदमेबाजी के कारण थी । जैसे ही बस बराठा बस स्टैण्ड पर रुकी तब यह कथन किया गया कि उसी समय सह-अभियुक्त भरत सिंह और रघुवीर ने कुंवर पाल जो वर्तमान अपीलार्थी है, को प्रबोधित किया और उससे यह कहा कि कुंवर पाल, सुन्दरभान से बन्दूक ले ले और मृतक कृष्ण पाल के सामने की ओर आगे बढ़े जो बस की अगली सीट पर बैठा हुआ था जो सीट बस ड्राइवर के पीछे थी और इसने बन्दूक से मृतक के छाती पर गोली चला दी । इससे इत्तिलाकर्ता का भाई कृष्ण पाल को क्षति पहुंची जो अपनी सीट से बस के फर्श पर लुढ़क कर गिर गया । यह घटना इत्तिलाकर्ता और उसके साथ बैठे हुए लोगों ने देखी । इत्तिलाकर्ता और उसके साथियों ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की परंतु वे बन्दूक की नोंक पर धमकी देते हुए भागने में कामयाब हो गए और ग्राम बराठा की ओर भाग गए । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह भी वर्णन किया गया है कि इत्तिलाकर्ता उसी बस में अपने भाई को उपचार के लिए चिकित्सा

महाविद्यालय झांसी ले गया जहां डा. ने उसे मृत घोषित कर दिया । चिकित्सा महाविद्यालय में शव को छोड़ दिया गया था और तारीख 16 जून, 1987 को पुलिस थाना बड़ागांव पर 8.00 बजे पूर्वाह्न रिपोर्ट दर्ज की गई थी जहां दंड संहिता की धारा 302/34 के अन्तर्गत 1987 के अपराध सं. 92 में अपीलार्थी सहित कई व्यक्तियों के विरुद्ध मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।

28. उप निरीक्षक योगेन्द्र सिंह (अभि. सा. 8) द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज होने के बारे में पता चलने के पश्चात् अन्वेषण का जिम्मा लिया गया था जो उसी दिन अर्थात् 16 जून, 1987 को लगभग 10.00 बजे पूर्वाह्न चिकित्सा महाविद्यालय झांसी में पहुंचा । उप निरीक्षक योगेन्द्र सिंह (अभि. सा. 8) जो प्रथम अन्वेषक अधिकारी है, ने इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) अवधेश प्रताप सिंह के कथन चिकित्सा महाविद्यालय झांसी के शवगृह पर अभिलिखित किया था जहां तारीख 16 जून, 1987 को 10.30 बजे से 11.40 बजे पूर्वाह्न पर मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई थी । इससे यह अभिप्रेत है कि उप निरीक्षक योगेन्द्र सिंह-प्रथम अन्वेषक अधिकारी लगभग 10.00 बजे पूर्वाह्न शव-गृह पर मौजूद था और इसके पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (8.00 बजे पूर्वाह्न) दर्ज की गई थी । हमारे समक्ष यहां पर यह तथ्य भी प्रकट है कि मामले की रिपोर्ट तारीख 16 जून, 1987 को 10.00 बजे पूर्वाह्न से पूर्व दर्ज की गई थी और वह समय 8.00 बजे पूर्वाह्न का हो सकता है और इस रिपोर्ट में कृष्ण पाल की हत्या के बारे में पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था तथा पुलिस थाना बड़ागांव पर 1987 का अपराध सं. 92 रजिस्ट्रीकृत किया गया था तब इत्तिलाकर्ता ने कृष्ण पाल सिंह की मृत्यु के बारे में पुलिस की चौकी, विश्वविद्यालय पुलिस थाने पर चिकित्सा महाविद्यालय के वार्ड बाय करनजू द्वारा संस्थित किया गया था । ऐसी स्थिति में यदि अन्वेषक अधिकारी तारीख 16 जून, 1987 को 10.00 बजे पूर्वाह्न चिकित्सा महाविद्यालय में था तब कैसे और क्यों अपराध सं. मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट नहीं डाली गई थी । तथ्यों से वास्तव में यह दर्शित होता है कि मृतक कृष्ण पाल सिंह की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट को बी. एस. वाजपेयी (अभि. सा. 6) द्वारा स्वयं चिकित्सा महाविद्यालय के शवगृह पर तारीख 16 जून, 1987 को तैयार

किया गया था और अभि. सा. 6 द्वारा मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श क 12-क के रूप में साबित की गई है तथा इस कागज का परिशीलन करने से यह उपदर्शित होता है कि इस घटना की सूचना चिकित्सा महाविद्यालय झांसी के वार्ड बाय श्री करनजू द्वारा दी गई थी । घटना/अपराध के बारे में कोई अपराध सं. का उल्लेख नहीं किया गया है कि कोई रिपोर्ट पुलिस थाना बड़ागांव पर 8.00 बजे पूर्वाह्न से पहले ही दर्ज की गई थी और मृत्यु की सूचना पूर्वोक्त पुलिस चौकी-विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन नवाबाद पर लगभग 10.00 बजे पूर्वाह्न इस बारे में संसूचित की गई थी ।

29. यह बात विचारणीय है कि यदि रिपोर्ट 8.00 बजे पूर्वाह्न दर्ज की गई थी और मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार करने का स्थान चिकित्सा महाविद्यालय झांसी का शवगृह था तब अन्वेषक अधिकारी की मौजूदगी में जिसने अपने पास केस डायरी रखी हुई थी तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु को भी रखा था और संबंधित साधारण डायरी में सुसंगत प्रविष्टि की थी तब यह बात कैसे असामान्य हो गई और पुलिस थाना बड़ागांव पर 8.00 बजे पूर्वाह्न किए गए मामले की रिपोर्ट के बारे में तनिक भी उल्लेख नहीं है, यद्यपि, मृत्युसमीक्षा के शीर्ष पर वर्णन से यह प्रतीत होता है कि उस मामले का क्षेत्र रिपोर्ट-प्रदर्श क-12ए पुलिस थाना बड़ागांव से संबंधित है ।

30. इसके अतिरिक्त, इतना ही नहीं बल्कि पूर्वोक्त कागजात का परिशीलन करने से यह तथ्य भी उपदर्शित होता है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट को तारीख 16 जून, 1987 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से तैयार किया जाना प्रारंभ हुआ था जिसे 11.40 बजे पूर्वाह्न पूरा किया गया था । संपूर्ण मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जिसे पुलिस थाना बड़ागांव में विशिष्ट अपराध सं. में दर्ज किया गया, के बारे में तनिक भी उल्लेख नहीं था जब मामले का अन्वेषक अधिकारी चिकित्सा महाविद्यालय में मौजूद था और वह पूर्वाह्न लगभग 10.00 बजे प्रथम इत्तिलाकर्ता से मिला और उसका कथन अभिलिखित किया । यह प्रतीत होता है कि चीजें अंधेरे में रखी गई थीं और तब तक प्रश्नगत घटना के बारे में कोई रिपोर्ट, जो भी हो, नहीं की गई थी, ऐसी स्थिति में, मृत्युसमीक्षा तैयार और पूरी की गई थी । सुस्पष्ट सुसंगत समय 8.00 बजे पूर्वाह्न संबंधित साधारण डायरी प्रविष्टि जो तारीख 16 जून, 1987

को पुलिस थाने बड़ागांव पर की गई थी । संभवत: उसे पीछे रोक दिया गया था अर्थात् इस परिधि में दी गई दलील कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पूर्व-दिनांकित है, बहुत बड़ा प्रमाण दिया गया है, न केवल चारों ओर की प्रबल परिस्थितियों द्वारा बल्कि, इस सामग्री पर दोनों अन्वेषक अधिकारियों (अभि. सा. 8 और अभि. सा. 5) के अस्पष्ट परिसाक्ष्य है जो घटनास्थल के नक्शे को तैयार करने का महत्वपूर्ण पहलू पर तथा अभि. सा. 6 बी. एस. वाजपेयी के परिसाक्ष्य पर भी जिन्होंने शवगृह, चिकित्सा महाविद्यालय पर मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की । हम उन बातों से आश्वस्त है कि मामले में जानबूझकर मोड़ लाया गया और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पूर्व-दिनांकित है ।

31. घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य में मृतक कृष्ण पाल पर बन्दूक की गोली चलाकर हमला करने की रीति के बारे में विभेद प्रकट होता है जो घटना बस सं. यू टी पी 2171 के अंदर घटित हुई थी जब उक्त बस बराठा बस स्टैण्ड पर रुकी हुई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार, कृष्ण पाल सिंह पर बन्दूक की गोली चला कर हमला किए जाने की रीति के बारे में जो वर्णन किया गया है, उस पर यह कहा गया है कि अभियुक्त कुंवर पाल सिंह अन्य सह-अभियुक्त सुन्दरभान से बन्दूक लेने के पश्चात् मृतक कृष्ण पाल के सामने की ओर गया जो बस ड्राइवर के पीछे बस के अगली वाली सीट पर बैठा हुआ था और उसने मृतक के छाती पर बन्दूक से गोली दाग दी जिस पर कृष्ण पाल सिंह बस के फर्श पर सीट से लुढ़क कर गिर गया ।

32. जब हम अभियोजन साक्षियों, खासतौर पर अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) और चतुर सिंह (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक समीक्षा करते हैं तब ऐसी घटना की रीति के प्रश्न पर हम अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) के विनिर्दिष्ट परिसाक्ष्य पर यह निष्कर्ष निकालते हैं जब उसने यह कथन किया कि अपीलार्थी जिस स्थान पर स्थिर अवस्था में रहा था और वह कृष्ण पाल सिंह पर गोली चलाते वक्त आगे नहीं बढ़ा । कागज-पुस्तिका के पैरा 44 में उसने अभियुक्त कुंवर पाल के खड़े होने की स्थिति के बारे में अपने परिसाक्ष्य में यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्त कुंवर पाल बस के अन्दर था और वह घटना के समय पर कृष्ण पाल सिंह के सामने खड़ा था और वह उस

स्थान से आगे नहीं बढ़ा । इस विनिर्दिष्ट परिसाक्ष्य के बारे में हमलावर की गतिविधियों के बारे में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु की तुलना करते हैं जब कृष्ण पाल सिंह पर गोली चलाई गई थी तब पूर्ण विषमता प्रतीत होती है और चतुर सिंह (अभि. सा. 2) का परिसाक्ष्य जो एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, उसके परिसाक्ष्य पर इस पहलू में विचार किया जाना चाहिए । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि कुंवर पाल ने अपनी मुख्य स्थिति से घूमने के पश्चात् कृष्ण पाल सिंह पर गोली चलाई और वह पीड़ित के सामने खड़े हुए स्थिति में पाया गया । यह दो वर्णन सही और गलत भी हो सकते हैं परन्तु हमलावर की गतिविधियों के बारे में विभेदकारी कथन मौजूद है जब हत्या की गई तब हमले की रीति के वृत्तांत में तात्विक विभेद प्रकट होते हैं जिसके बारे में यह विश्वास किया जाना प्रकट है और जो विश्वास योग्य भी नहीं है । यह बात विचार किए जाने का मुख्य प्रश्न है ।

33. यहां पर, चतुर सिंह (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि घटना के दिन को वह मुन्ना लाल पावर हाउस को जा रहा था और उसने यह कथन किया कि उसने दरोगा जी को यह कथन दिया था कि वह मुन्ना लाल पावर हाउस में कार्य करने के लिए गया हुआ था । परन्तु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन ऐसा कथन विलुप्त है और यह साक्षी उस बात का कोई कारण नहीं दे सका । वह प्रश्नगत बस में यात्रा करने के लिए प्राधिकृत बस का टिकट भी नहीं दिखा सका और अन्वेषक अधिकारी के समक्ष किसी भी टिकट को नहीं दिखा सका ।

34. अतः, चतुर सिंह (अभि. सा. 2) के वर्णन में कि वह मुन्ना लाल पावर हाउस में कार्य करने के लिए जाने हेतु बस में घटना के दिन यात्रा कर रहा था । यह बात घटना के समय पर बस के अन्दर घटनास्थल में अपनी छग्न मौजूदगी का दावा करने के लिए युक्ति के रूप में चरितार्थ की गई । इसके अतिरिक्त, उसका परिसाक्ष्य जैसाकि कागज-पुस्तिका के पृष्ठ 58 में प्रकट है, उसकी प्रतिपरीक्षा से यह दर्शित होता है कि बन्दूक से गोली चलाते समय बस का ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर बस के अंदर थे । तथापि, यह तथ्य अन्वेषक अधिकारी के परिसाक्ष्य में नकारात्मक रूप में प्रकट हुआ है जब उनके परिसाक्ष्य से

यह प्रकट हुआ है कि अन्वेषण के दौरान उनकी जानकारी में यह तथ्य आया है कि बस का ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर उस वक्त बस के अंदर नहीं थे जब बस, बस स्टैण्ड बराठा पर रुकी हुई थी क्योंकि कंडक्टर समान उतारने के लिए बस की छत पर गया हुआ था तथा क्लीनर उसकी मदद कर रहा था जबकि ड्राइवर अपनी सीट छोड़ चुका था और वह कहीं गया हुआ था । यदि ऐसा हुआ है तो तब अपराध के स्थान के बारे में परिसाक्ष्य को छुपा दिया गया और चतुर सिंह (अभि. सा. 2) तथा अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) ने जानबूझकर इस बात को छुपा दिया था और इन दो साक्षियों की मौजूदगी घटनास्थल पर घटना के समय मिथ्या प्रकट होती है ।

35. इस मामले में यदि साक्षी घटनास्थल पर मौजूद हैं तो इस पर पुन: उनके नैसर्गिक आचरण पर विचार किया जाना चाहिए ।

36. हमने तथ्य के सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के सम्पूर्ण परिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है और घटना के स्थान के अपराध स्थल की उपस्थित परिस्थितियों पर विश्लेषण करके विचार भी किया है । तब हमें यह पता चला है कि अभियोजन साक्षियों का घटनास्थल पर मौजूद होने का दावा किए जाने पर, उनके द्वारा पीड़ित से पूछताछ की जानी चाहिए थी कब हमलावरों ने उस पर हमला किया और क्यों घटनास्थल से भाग खड़े हुए । मृतक की वास्तविक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था कि बन्दूक की गोली लगने के पश्चात् पीड़ित के साथ क्या घटित हुआ था और वह बस सीट से लुढ़क कर गिर गया था और इत्तिलाकर्ता पीड़ित का भाई का आचरण उस वक्त यह रहा था कि अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) और उसके साथी घटनास्थल पर मौजूद थे और वे विरोध करने की स्थिति में असमर्थ पाए गए और उन्होंने घटनास्थल पर पीड़ित की ओर ध्यान देना चाहिए था । कम से कम वे लोग घटना के तुरंत पश्चात् पीड़ित व्यक्ति को ले जाते और उसकी वास्तविक स्थिति को सुनिश्चित करना चाहिए था, परंतु उनके द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था । इत्तिलाकर्ता के बारे में घटनास्थल पर मौजूद होने का नैसर्गिक पहलू प्रकट नहीं होता है । अभि. सा. 5 साक्षियों की घटना के समय पर घटनास्थल पर अभियोजन साक्षी द्वारा घटना देखा जाना न केवल एक काल्पनिक

बात है बल्कि उस तार्किक दृष्टिकोण से पूर्वोक्त निष्कर्ष प्रकट होते हैं परन्तु उपरोक्त निष्कर्ष को इससे बल मिलता है कि दोनों अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 8) उप निरीक्षक योगेन्द्र सिंह और सूर्य प्रकाश अग्निहोत्री अभि. सा. 5 ने क्रमश: घटनास्थल का नक्शा तैयार करने में सावधानी नहीं बरती जो स्थान बस सं. यू टी पी 2171 के अन्दर का होना स्वीकार किया गया है । यह भी कथन किया गया है कि उप निरीक्षक योगेन्द्र सिंह (अभि. सा. 8) प्रथम अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल जो बस सं. यू टी पी 2171 के अन्दर का भाग है, उसका वर्णन करके केवल संगम ज्ञापन तैयार किया परन्तु उक्त संगम ज्ञापन वास्तविक स्थान के वर्णन के बारे में है जिस स्थान पर हमलावर ने हमला किया तथा मृतक और साक्षियों को उस स्थान पर दिखाया गया है । ऐसा न केवल अन्वेषक अधिकारी की ओर से लोप हुआ है परन्तु इससे तथ्य के साक्षियों की स्थिति प्रकट होती है जिसमें इत्तिलाकर्ता की अनुपस्थिति प्रबल रूप से प्रकट होती है और घटनास्थल पर तथ्य के अभियोजन साक्षी अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) और चतुर सिंह (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य विभेदकारी होने के कारण दूर नहीं किया जा सकता जो हमले की रीति के बारे में उनके द्वारा प्रकट किया गया है । हमें इस तथ्य के बल से भी विश्वास होता है कि शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क-2 मृत्युपूर्व घाव अर्थात् एक बन्दूक की गोली का निकास घाव और दूसरा बन्दूक की गोली से प्रविष्ट घाव को प्रकट होता है ।

37. इस शवपरीक्षण रिपोर्ट को डा. पी. सी. गुप्ता (अभि. सा. 4) द्वारा सिद्ध किया गया है उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कथन किया है कि मृत्यु पूर्व क्षतियों पर कोई कालापन, गोदन और झुलसने के चिन्ह नहीं हैं ।

38. चिकित्सक साक्षी से इस प्रश्न पर गहन प्रतिपरीक्षा की गई कि कैसे क्षति पर कालापन, गोदन और झुलसना क्षति का भागरूप कैसे हो सकती है या यह क्षति का भागरूप नहीं हो सकती और तब वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए विशिष्ट रूप से मृतक की शवपरीक्षण रिपोर्ट पर डा. ने अपनी प्रतिपरीक्षा के अंत में राय व्यक्त की है जो कागज-पुस्तिका के पृष्ठ 86 पर प्रकट है कि मृतक को कारित की गई बन्दूक की गोली के घाव पर कालापन, गोदन और झुलसने का अभाव से इस तथ्य की ओर समनुदेशित हो सकता है कि बन्दूक से

चलाई गई गोली 3 फुट से अधिक की दूरी प्रकट करता है ।

39. इस मामले में, यह भी स्वीकृत स्थिति है कि मृत्यु पूर्व बन्दूक की गोली के घाव पर कोई कालापन, गोदन और झुलसने के चिन्ह प्रकट नहीं हुए हैं ।

40. यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या बन्दूक/राइफल्स की टोंटी तथा क्षतिग्रस्त व्यक्ति की सीट के बीच क्या दूरी हो सकती है जिस पर मृतक कृष्ण पाल के वक्ष पर क्षति किए जाने का कथन किया गया है तब वास्तविक दूरी के बारे में विनिर्दिष्ट परिसाक्ष्य को चतुर सिंह (अभि. सा. 2) द्वारा स्पष्ट किया गया है । उसने यह भी कहा है कि टोंटी और मृतक के वक्ष के बीच दूरी लगभग 5-6 इंच की थी यदि इस दूरी को दोहरा भी कर दिया जाए तब यह बात मुश्किल से प्रकट होती है कि 12 इंच से बन्दूक की गोली चली तब उस दशा में बन्दूक की गोली से हुआ प्रविष्ट घाव पर कालापन, गोदन और झुलसने के चिन्ह होने चाहिए । परन्तु मृतक के वक्ष के बाईं ओर कारित प्रविष्ट घाव के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता ।

41. इससे यह अभिप्रेत है कि चतुर सिंह (अभि. सा. 2) द्वारा वर्णित दूरी का विनिर्दिष्ट वर्णन अनुमान पर है और उसने कभी भी बन्दूक की टोंटी और क्षतिग्रस्त व्यक्ति की सीट, मृतक के वक्ष के बीच दूरी, गोली चलने के समय वास्तविक दूरी नहीं देखी ।

42. इस तरह, यहां पर बातों में सुधार करके पेश करने की कोशिश की गई और उसका परिसाक्ष्य पूर्ण रूप से बढ़ा-चढ़ाकर किए जाने पर आधारित है । अत:, दोनों साक्षी अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) और चतुर सिंह (अभि. सा. 2) के बारे में घटनास्थल पर मौजूद होने का विश्वास नहीं किया जा सकता और उनका परिसाक्ष्य घटना के परिसाक्ष्य पर विश्वसनीय नहीं है ।

43. प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दिया गया यह सुझाव कि वास्तव में इत्तिला कर्ता हत्या होने के एक दिन पूर्व झांसी में शाम को पहुंचा था और घटना के दिन झांसी के न्यायालय में उपस्थित होते हुए उसे अपने भाई की हत्या के बारे में पता चला तब वह कुछ वकीलों के साथ वहां पर पहुंचा और उनसे परामर्श किया तथा अन्वेषक अधिकारी की मदद से

और अपने को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की स्थिति में रखते हुए उसने मिथ्या कहानी बनाई थी । अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) और चतुर सिंह (अभि. सा. 2) का घटनास्थल पर सामान्य आचरण को दृष्टिगत करते हुए, उन्हें कुछ बातों का सुझाव दिया गया था । उन्होंने घटना के तत्काल पश्चात् पीड़ित के शरीर को छुआ भी नहीं जो घटना पूर्वोक्त बस के अंदर घटी और अन्वेषक अधिकारी बस के अन्दर वास्तविक घटनास्थल के बारे में विनिर्दिष्ट घटनास्थल नक्शा में निष्कर्ष निकालने में विफल हुआ और उसने हमलावर और मृतक की विनिर्दिष्ट स्थिति के बारे में भी कुछ नहीं बताया जैसाकि अभियोजन साक्षियों द्वारा उससे कथन किया गया था ।

44. यदि यह उपधारणा भी कर ली जाए कि अभियुक्त का अपराध करने का हेतु था तो भी प्रारंभिक हेतु कृष्ण पाल को मिटाने का था जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रकट नहीं होता है कि हत्या का मामला जिसमें अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) भी अन्तर्वलित था क्योंकि केवल उसे सह-अभियुक्त सुन्दरभान के पुत्र की हत्या के संबंध में अभियुक्त बनाया गया था, सुन्दरभान के कब्जे में बन्दूक थी और वह बस के अन्दर मौजूद था तब प्रांरभिक लक्ष्य में अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) जो वहां पर आसानी से उपलब्ध था और कृष्ण पाल ने सुन्दरभान के पुत्र की हत्या को करने में कुछ भी नहीं किया था । वह केवल उस हत्या के मामले में अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) का केवल पैरोकार था, इसलिए, घटनास्थल पर अवेधश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) की मौजूद होने की आशा नहीं की जा सकती जैसा कि अभिकथन किया गया । क्या वह वहां पर मौजूद था तब उसे कृष्ण पाल सिंह के बजाय हमले का लक्ष्य बनाया जाता ।

45. मृत्युसमीक्षा साक्षी राजेन्द्र सिंह जो पेशे से अधिवक्ता है । वह घटना घटने के पश्चात् कई अन्य अधिवक्ताओं के साथ में था और इत्तिलाकर्ता भी मौजूद था जैसाकि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा सुझाव दिया गया, अत:, अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने के लिए जानबूझकर विधिक सलाह लेकर परामर्श की संभावना की अनदेखी नहीं की जा सकती जो परिस्थितियों के अन्तर्गत प्रकट है ।

46. जहां तक राजेन्द्र सिंह (अभि. सा. 3) पुत्र सुरेन्द्र सिंह के

परिसाक्ष्य का संबंध है तब यह ध्यान देने योग्य है कि सूर्य प्रकाश अग्निहोत्री (अभि. सा. 5) (द्वितीय अन्वेषक अधिकारी) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कुछ निश्चित महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट किया है जिससे यह तथ्य उपदर्शित होता है कि वह (अभि. सा. 5-अन्वेषक अधिकारी) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन राजेन्द्र सिंह पुत्र करन सिंह (कागजात पुस्तिका के पृष्ठ 106 पर अभि. सा. 5 के कथन का निर्देश) का कथन अभिलिखित किया इसलिए, राजेन्द्र सिंह (अभि. सा. 3) पुत्र सुरेन्द्र सिंह का परिसाक्ष्य कागज का व्यर्थ टुकड़ा है क्योंकि अन्वेषक अधिकारी ने कभी भी राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह से इस बारे में कभी भी कोई पूछताछ नहीं की, अतः, अभि. सा. 3 राजेन्द्र सिंह का परिसाक्ष्य को सावधानी की दृष्टि से मामले के गुणागुण पर विचार में नहीं लिया जा सकता ।

47. यद्यपि आरोप पत्र में भी राजेन्द्र सिंह पुत्र करन सिंह का नाम जो ग्राम रेब, पुलिस थाना मूठ, जिला झांसी का निवासी है, अभियोजन साक्षियों की सूची में क्रम संख्या 5 में दिखाया गया है । राजेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह के रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है तथापि, राजेन्द्र सिंह का परिसाक्ष्य की घटना के मुद्दे पर अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य के विरुद्ध है ।

48. यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या अभियोजन साक्षी, विशिष्ट रूप से अवधेश प्रताप सिंह (अभि. सा. 1) और चतुर सिंह (अभि. सा. 2) घटनास्थल पर मौजूद थे तब उनके परिसाक्ष्य की उपरोक्त रूप में की गई समीक्षा से मामले में प्रकट तथ्य, उपस्थित परिस्थितियां घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी को अस्वीकार करती है । यह उचित होता कि अभियोजन पक्ष को बस के कंडक्टर, ड्राइवर और क्लीनर को पेश करना चाहिए था जिनकी मौजूदगी में अपराध के किए जाने का कथन किया गया है और उनका परिसाक्ष्य भी नैसर्गिक होता और घटना के प्रश्न पर सफाई दी जाती और ऋजु के रूप में प्रकट किया जाता और उससे मामले की सच्चाई भी प्रकट होती ।

49. जहां तक बस सं. यू टी पी 2171 के कंडक्टर, ड्राइवर और क्लीनर की परीक्षा का संबंध है, उस पर यह स्पष्ट है कि वास्तविक घटना के बारे में उनके परिसाक्ष्य से सच्चाई प्रकट होती और उनके

साक्ष्य को आसानी से पेश किया जा सकता जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा रोक दिया गया । ऐसी परिस्थितियों में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 जी के संघटक मामले में सामने आते हैं कि उक्त साक्ष्य जिसे पेश किया जा सकता और उसे पेश नहीं किया गया, यदि उस साक्ष्य को पेश किया जाता तो यह उन व्यक्तियों के अनुकूल नहीं होता जिन्होंने उसे रोका था ।

50. अन्वेषक अधिकारी ने स्वयं इस तथ्य की पुष्टि की है कि उसे अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि घटना किसी व्यक्ति द्वारा कारित की गई थी जब बराठा बस स्टैण्ड पर बस रुकी हुई थी और उस समय यह भी पता नहीं लग पाया कि घटना को किसने अंजाम दिया ।

51. सूर्य प्रकाश अग्निहोत्री (अभि. सा. 5) ने कागज-पुस्तिका के पृष्ठ 96 में यह बताया है कि उस सुसंगत समय को जब घटना घटी, तब बस का ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर बस के अंदर मौजूद नहीं थे और उन्होंने बस के अंदर उनकी मौजूदगी के तथ्य के बारे में स्पष्ट रूप से इनकार किया है और अन्वेषण के दौरान उसके द्वारा ऐसी सूचना एकत्र की गई है । यह ध्यान देने योग्य है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में पुलिस थाना बड़ागांव, झांसी पर घटना घटने के बारे में मामले की अपराध सं. को दर्ज करने के बारे में किसी रिपोर्ट के तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि इसमें यह वर्णन किया गया है कि सूचना चिकित्सा महाविद्यालय के वार्ड बाय करनजू के माध्यम से प्राप्त की गई थी, तब यह सुस्पष्ट है कि सामान्य अनुक्रम में उक्त बातों का घटित होना प्रकट नहीं होता है जैसाकि साक्षियों द्वारा कथन किया गया है ।

52. वास्तव में यदि तथ्य के अभियोजन साक्षियों द्वारा घटना को देखा गया था तब इस मामले का अन्वेषक अधिकारी ने बस सं. यू टी पी 2171 के अंदर घटनास्थल के नक्शे को तैयार करना चाहिए परंतु बस के अंदर वास्तविक घटनास्थल का अभाव है जिससे अभियोजन साक्षियों की निर्योग्यता परिलक्षित होती है जिससे कि हमलावरों द्वारा कब्जे में लिए गए स्थान का संक्षेप में उल्लेख करने की जरूरत नहीं है और मृतक जिस पर गोली दागी गई थी वह कृष्ण पाल सिंह है । यह

बात संपूर्ण पक्षकथन का केन्द्र बिन्दु है और बस के अंदर घटना घटने के समय पर तथ्य के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की मौजूदगी के बारे में संदेह प्रकट होता है ।

53. पक्षकारों के बीच शत्रुता होना स्वीकार किया गया है और इत्तिलाकर्ता सह-अभियुक्त सुन्दरभान के पुत्र की हत्या के मामले में कार्रवाइयों में उपस्थित होने के लिए जा रहा था और इत्तिलाकर्ता उस हत्या के मामले में केवल एकमात्र अभियुक्त था । अभियोजन पक्ष मृतक को चिकित्सा महाविद्यालय ले जाने के तथ्य के बारे में विनिर्दिष्ट परिसाक्ष्य का पता लगाने में विफल हुआ है और इस बारे में यह प्रश्न कि कौन व्यक्ति घटना घटने के पश्चात् मृतक को चिकित्सा महाविद्यालय में लाया था, इस बात को अभियोजन पक्ष द्वारा समुचित रूप से साबित नहीं किया गया है ।

54. विचारण न्यायालय द्वारा घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की मौजूदगी के मुद्दे पर और हमला करने की रीति के मुद्दे पर तात्विक विभेदों के बारे में निश्चित तौर पर उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है । चिकित्सक साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी के परिसाक्ष्य के प्रतिकूल है । दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रतिपरीक्षा की कसौटी में खरे नहीं उतर सके हैं और उनका घटना घटने की रीति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मूक बने रहना दर्शित होता है । इस तरह उनका परिसाक्ष्य कल्पना से अत्यधिक प्रेरित होना प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि घटना के बारे में सच्चाई के बजाय जानबूझकर और सिखाने पढ़ाने की तरह कार्य किया गया है ।

55. अभियुक्त द्वारा मिथ्या रूप से आलिप्त करने के हेतु को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि वह दंड संहिता की धारा 307 में प्रकट मामले में इत्तिलाकर्ता के विरुद्ध साक्षी था ।

56. मामले के इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जब समीक्षा की जाती है और तथ्य के अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य तथा दोनों अन्वेषक अधिकारियों अभि. सा. 8 उप निरीक्षक योगेन्द्र सिंह और अभि. सा. 5 सूर्य प्रकाश अग्निहोत्री के परिसाक्ष्य पर विचार किया जाए तब

उनकी सुसंगति प्रतीत नहीं होती है और घटना की पूरी तस्वीर जैसाकि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की मौजूदगी में घटित होने की बात कही गई है कि तारीख 16 जून, 1987 को 6.15 बजे पूर्वाह्न यू टी पी 2171 बस के अंदर घटित होने का अभिकथित रीति में वर्णन किया गया है जब बस, बस स्टैण्ड बराठा पर पहुंच कर रुकी हुई थी ।

57. विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों और परिसाक्ष्य तथा मामले की परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करते हुए संपूर्ण मामले का गलत तौर पर परिशीलन किया है और ऐसे विरोधाभाषी होने वाले साक्ष्य पर दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभिलिखित किया है जो पूरी तरह दुर्बल और अग्राह्य पर आधारित है । परिणामस्वरूप, दोषसिद्धि के निष्कर्ष में विधिक बल की कमी है और हम उनकी दोषसिद्धि को कायम रखने में असमर्थ हैं । यहां पर कुछ विनिर्दिष्ट पैरा प्रकट हैं जिस पर हम पुलिस थाना बड़ागांव, जिला झांसी के अपराध मामला सं. 92/1987 से उद्भूत राज्य बनाम सुन्दरभान और अन्य सेशन विचारण सं. 142/1987 में प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश झांसी द्वारा तारीख 22 अप्रैल, 1991 को पारित किए गए दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं ।

58. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल है और इसे मंजूर किया जाता है ।

59. इस मामले में, अपीलार्थी जमानत पर है । उसे अभ्यर्पण करने की जरूरत नहीं है, उसके वैयक्तिक बंधपत्र और प्रतिभू बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं । तथापि, अपीलार्थी सुनिश्चित करेगा जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क के अधीन बंधपत्र देना आज्ञापक है ।

60. इस आदेश की प्रति को अभिप्रमाणित करके सूचना देने के लिए संबंधित विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है और जिस पर वह कार्रवाइयों का पालन करे ।

अपील मंजूर की जाती है ।

आर्य

(2019) 1 दा. नि. प. 459 इलाहाबाद

जेबा खान

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 14 नवम्बर, 2018

न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 27 – अधिकारिता – व्यथित पक्षकार राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता वाले न्यायालय के भीतर घरेलू हिंसा से संबंधित परिवाद फाइल कर सकता है और न्यायालय संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता की रिपोर्ट के न होते हुए भी स्वप्रेरणा से परिवाद की सुनवाई कर सकता है ।

पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 जेबा खान का विवाह मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार 25 फरवरी, 1998 को विपक्षी पक्षकार सं. 2 जकावत उल्ला खान के साथ संपन्न हुआ था । विवाह के पश्चात् पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 अपने ससुराल आयी जो अलीगढ़ में साझी गृहस्थी है । पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 और विपक्षी पक्षकार सं. 2 के विवाह बंधन और सहवास से दो पुत्रियां अर्थात् जुबा खान और जोहरीन खान क्रमशः 13 नवम्बर, 2000 और 16 अक्तूबर, 2007 को पैदा हुई । दोनों पक्षकार अलीगढ़ के साझी गृहस्थी में एक साथ रहते थे । तत्पश्चात्, विपक्षी पक्षकार सं. 2 विदेश में नियोजित हो गया अतः पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 अपनी दो पुत्रियों जो इसमें पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 और 3 के साथ यूनाइटेड अरब अमीरात में विपक्षी पक्षकार सं. 2 के साथ रहने लगी । अभिलेख पर यह आया है कि विदेश में काफी लम्बे समय तक रहने के पश्चात् पक्षकार भारत वापस आए और अलीगढ़ की साझी गृहस्थी में रहने लगे । तथापि, आरम्भ से ही पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 अर्थात् पत्नी और विपक्षी पक्षकार सं. 2 अर्थात् पति के बीच संबंध स्नेहपूर्ण और सामान्य नहीं थे । इस प्रकार, वे खुशी वैवाहिक जीवन नहीं बिता रहे थे । कालान्तर में संबंध बेमेल हो गए । इससे विपक्षी पक्षकार सं. 2 की ओर से दहेज की

लालसा के लिए घृणा और ईष्या का जहर भर गया । पत्नी/ पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 के साथ बुरा बर्ताब किया गया बल्कि विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा दहेज की मांग के लिए यातना दी गई । पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 का लालन-पालन शैक्षिक वातावरण में हुआ था इसलिए, शिक्षित और संवेदनशील महिला होने के कारण उसने अपने ऊपर लगाए गए सभी लांछनों और उस पर किए गए अत्याचारों की अनदेखी की । वह विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा उस पर किए गए सभी अपमान और क्रूरता को झेलती रही । विवाह की बलिबेदी पर अपनी स्वतंत्रता और गरिमा का बलिदान करते हुए और इस आशा और विश्वास के साथ की एक दिन बातें बेहतर हो जाएंगी, वह विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा उसके साथ की गई असहनीय पीड़ा और वेदना को सहती रही । कालान्तर में, बातें असहनीय हो गईं । अंततः, पत्नी अर्थात् पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 अपनी दो पुत्रियों के साथ, जो पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 और 3 हैं, अलीगढ़ में किराए के मकान में चली गई । यहां भी उसका जीवन शांतिपूर्ण नहीं रहा और उसे विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा तंग किया जाता रहा जिसके परिणामस्वरूप घरेलू हिंसा की कई घटनाएं हुई । यद्यपि पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 अपनी दो पुत्रियों के साथ इस आशा में साझी गृहस्थी से अलग हुई थी कि दो पुत्रियों के साथ उसका जीवन शांतिपूर्ण होगा फिर भी उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई । उसे विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा मानसिक और मौखिक रूप से लगातार तंग किया जाता रहा । इस प्रक्रम पर, ऐसा लगता है कि भाग्य ने भी उसे धोखा दिया जब उसका सगा चाचा रामपुर में 26 जुलाई, 2016 को स्वर्गवासी हो गया । शोकसंतप्त कुटुम्ब को सहयोग प्रदान करने के लिए, वह अपनी दो पुत्रियों के साथ रामपुर, जहां उसके चाचा रहते थे, चली गई । रामपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 16 मार्च, 2017 के आदेश से व्यथित होकर इसमें विपक्षी पक्षकार सं. 2 अर्थात् पति ने 2005 अधिनियम की धारा 29 के निबंधनानुसार रामपुर के जिला और सेशन न्यायाधीश के समक्ष दांडिक अपील की । इसे 2017 की दांडिक अपील सं. 17 (जकावत उल्ला खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । उक्त दांडिक अपील 18

अगस्त, 2017 के आदेश द्वारा रामपुर के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 1 द्वारा मंजूर की गई । निचले न्यायालय ने विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा फाइल अपील का विनिश्चय करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 अपनी दो पुत्रियों के साथ अलीगढ़ में रह रही है और पुनरीक्षणकर्ताओं के लिए रामपुर में कोई वाद हेतुक उदभूत नहीं होता । पुनरीक्षणकर्ताओं का यह पक्षकथन कि वे अस्थायी रूप से रामपुर में रह रहे हैं, स्थापित नहीं होता है । इसके अतिरिक्त, रामपुर में उनके आने-जाने को आकस्मिक ठहराव या संक्षिप्त ठहराव कहा जा सकता है । तारीख 18 अगस्त, 2017 के पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होकर पत्नी अपनी दो अवस्यक पुत्रियों के साथ, जो पुनरीक्षणकर्ता हैं, ने वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण इस न्यायालय में फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट की विद्यमानता परिवाद फाइल करने की पूर्ववर्ती शर्त नहीं है । अधिनियम की धारा 9 और 10 व्यथित व्यक्ति द्वारा ऐसी अधिकारिता जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर सेवा प्रदाता या संरक्षण अधिकारी निवास करता है, याचिका फाइल करना अनुध्यात नहीं करती । न्यायालय 2005 के अधिनियम की धारा 9 और 10 के उपबंधों और 2005 अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के संयुक्त पठन से जो 2005 अधिनियम के कार्यकरण को इंगित करता है, निरापद रूप से यह अनुमान निकालता है कि 2005 अधिनियम के अधीन यथाउपबंधित परिवाद पर विचार करने वाला न्यायालय संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता की रिपोर्ट के अभाव में परिवाद पर आगे कार्यवाही करने के लिए आबद्ध नहीं है । अतः संरक्षण अधिकारी/सेवा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने या न करने के बावजूद न्यायालय व्यथित पक्षकार द्वारा फाइल परिवाद को ग्रहण करने/सुनवाई करने के लिए स्वप्रेरणा से आगे कार्यवाही कर सकता है । विवाद्यक सं. 2, 2005 अधिनियम की धारा 27 की व्याप्ति के संबंध में है । 2005 अधिनियम के अधीन किसी परिवाद के विचारण के लिए अपनी निजी अधिकारिता को विनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा क्या मानदंड अपनाया जाएगा, स्वयं 2005 अधिनियम की धारा 27 में उपबंधित है ।

अधिनियम की धारा 27 के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि परिवाद का विचारण करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता को विनिश्चित करने के लिए तीन आकस्मिकताओं का उपबंध हैं । 2005 अधिनियम की धारा 27 को पहले ही ऊपर उद्धृत किया गया है इसलिए पुनरोक्ति से बचने के लिए इसे यहां नहीं दोहराया जा रहा है । वह विवाद्यक जिसकी न्यायालय द्वारा संवीक्षा विरचित है, यह है कि क्या 2005 अधिनियम की धारा 27 में उपबंधित प्रत्येक आकस्मिकताओं का सामुहिक रूप से पूरा किया जाना या स्वयं एक आकस्मिकता का पूरा होना परिवाद के विचारण हेतु न्यायालय की अधिकारिता का विनिश्चय करने के लिए पर्याप्त है । 2005 अधिनियम में उपबंधित आकस्मिकताएं सजातीय नहीं बल्कि विजातीय हैं । क्योंकि 2005 अधिनियम में उपबंधित आकस्मिकताएं विजातीय प्रकृति की हैं इसलिए परिवादी के लिए 2005 अधिनियम की धारा 27 में उपबंधित सभी आकस्मिकताओं को साथ-साथ पूरा करना असंभव है । किन्तु अन्यथा कानून के परम् उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो घरेलू हिंसा जो व्यथित व्यक्ति को निराशा और अवसाद ग्रस्त करता है, को सुलझाने की शीघ्र आवश्यकता के लिए विरचित किया गया है, इसलिए कानून के उपबंधों का अर्थान्वयन ऐसी रीति से किया जाना चाहिए जो किसी भी पक्षकार के प्रति कोई सारवान् पक्षपात किए बिना और अधिनियम के अधीन यथाप्रतिस्थापित उनके अधिकारों का हनन किए बिना अधिनियम के उद्देश्य का संबर्धन करता हो । अतः 2005 अधिनियम की धारा 27 में परिकल्पित आकस्मिकताओं की प्रकृति द्वारा अकेले एकल आकस्मिकता परिवाद का विचारण करने हेतु न्यायालय की अधिकारिता का विनिश्चय करने के लिए पर्याप्त होगी । न्यायालय ने यह पाया कि पुनरीक्षणकर्ता ने रामपुर के सक्षम न्यायालय में परिवाद फाइल करने के लिए दोहरा अभिवाक् किया । पहला, यह अभिकथित है कि चूंकि पुनरीक्षणकर्ता अस्थायी रूप से रामपुर रह रहे है इसलिए, रामपुर के न्यायालय को अधिनियम की धारा 27(क) के अधिदेश के अनुसार परिवाद का विचारण करने की अधिकारिता होगी । दूसरा, यह भी निश्चित रूप से कहा गया है कि परिवाद फाइल करने का वाद हेतुक रामपुर में प्रोद्भूत हुआ इसलिए,

रामपुर का न्यायालय 2005 अधिनियम की धारा 27(ग) के अनुसार पुनरीक्षणकर्ताओं का परिवाद की सुनवाई करने का सक्षम न्यायालय है । अंततः, साम्या के सिद्धांत पर यह कहा गया है कि यदि आवेदक अलीगढ़ में रह रहा है तो उसे रामपुर में परिवाद फाइल करने का कोई कारण नहीं हो सकता है । जब दोनों स्थानों के बीच की दूरी 160 किलोमीटर है और पुनरीक्षणकर्ताओं की उपस्थिति प्रत्येक दिन अपेक्षित है क्योंकि परिवाद का विचारण उसी तरह से किया जाता है जैसा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन का विनिश्चय करने के लिए उपबंधित हैं । अपील न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए विपक्षी पक्षकार संख्या 1 द्वारा फाइल अपील मंजूर की कि इसमें पुनरीक्षणकर्ता अलीगढ़ में रहते हैं इसलिए घरेलू हिंसा याचिका रामपुर में पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा फाइल नहीं की जा सकती । निचले न्यायालय ने आगे यह निष्कर्ष निकाला कि अभिलेख पर यह साबित करने के लिए कुछ नहीं है कि इसमें पुनरीक्षणकर्ता अस्थायी रूप से रामपुर में रह रहे हैं न ही अभिलेख यह साबित करने के लिए ऐसी कोई सामग्री है कि कोई वाद हेतुक पुनरीक्षणकर्ताओं को रामपुर में प्रोद्भूत हुआ । तथापि, अपील न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश की संवीक्षा करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निचले न्यायालय ने विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा फाइल प्रारम्भिक आक्षेप को मंजूर करने की विधि की दृष्टि से गलती की है । अपील न्यायालय ने अभिलेख पर ऐसी सामग्री के बारे में कोई विनिर्दिष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला जिसके आधार पर न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि रामपुर के न्यायालय को परिवाद का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है । स्वीकार्यतः, विपक्षी पक्षकार संख्या 2 की ओर से उठाए गए विधिक अभिवाक् के सिवाय विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा अपील न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई सामग्री फाइल नहीं की गई जिसके आधार पर यह भी अनुमान लगाया जा सके कि पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा अस्तित्वहीन तथ्यों पर रामपुर में याचिका फाइल की गई । एक ओर अपील न्यायालय ने धारा 27(क) और धारा 27(ख) के उपबंधों के बीच अन्तर और दूसरी ओर धारा 27(ग) की पूर्णतः उपेक्षा की । अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जिसके

आधार पर विपक्षी पक्षकार संख्या 2 का अभिवाक् कि रामपुर में कोई वाद हेतुक उद्भूत नहीं हुआ, पर कार्यवाही के इस प्रक्रम पर विश्वास किया जा सके । (पैरा 22, 23, 24, 25, 33, 34 और 35)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2018] 2018 (1) आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 931 :
ईशान जोशी बनाम **सुमन** ; 21

[2017] (2017) 5 एस. सी. सी. 345 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 593 :
कुलदीप सिंह पठानिया बनाम **विक्रम सिंह जरयाल** ; 30

[2016] 2016 क्रिमिनल ला जर्नल 4931 :
रबीन्द्र नाथ साहू और एक अन्य बनाम **श्रीमती सुशीला साहू** ; 27

[2013] (2013) एस. सी. सी. आन लाइन दिल्ली 4844 :
राम लखन सिंह बनाम **भारत संघ और एक अन्य** ; 26

[2011] मनु/एम. एच./0826/2011 = 2011 क्रिमिनल ला जर्नल 4074 (बोम्बे) :
एडवोकेट रमेश बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 28

[2004] (2004) 6 एस. सी. सी. 254 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2321 :
मैसर्स कुसुम इनगाट और एलाय लिमिटेड बनाम **भारत संघ और एक अन्य** ; 29

[2004] (2004) 8 एस. सी. सी. 100 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 4286 :
वाई. अब्राहिम आजिथ और अन्य बनाम **पुलिस इंस्पेक्टर, चैन्नई और अन्य** । 31

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 3056.

अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय सं. 1 रामपुर द्वारा पारित निर्णय और आदेश तारीख 18 अगस्त, 2017 के विरुद्ध दांडिक पुनरीक्षण ।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से सर्वश्री धर्मेन्द्र सिंघल और विक्रांत गुप्ता

विपक्षी पक्षकारों की ओर से सरकारी अधिवक्ता, एस. एम. नजरबुखारी, सैयद अशरफ अली, वारसी

आदेश

यह दांडिक पुनरीक्षण आवेदन 2017 की दांडिक अपील सं. 17 (जकावत उल्ला खां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में रामपुर के अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय सं. 1 द्वारा पारित तारीख 18 अगस्त, 2017 के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल किया गया है जिसके द्वारा इसमें विपक्षी पक्षकार सं. 2 की आर से की गई पूर्वोक्त दांडिक अपील मंजूर की गई है और 2016 के परिवाद मामला सं. 246 (जेबा खान और अन्य बनाम जकावत उल्ला खान) में रामपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 16 मार्च, 2017 के आदेश को पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा फाइल किए गए परिवाद मामले का विचारण रामपुर के न्यायालय की अधिकारिता को विवादित करते हुए विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा फाइल किए गए प्रारम्भिक आक्षेप को नामंजूर करते हुए अपास्त किया गया है ।

2. मैंने पुनरीक्षणकर्ताओं के विद्वान् काउंसेल श्री धर्मेन्द्र सिंघल, राज्य की ओर से विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता और विपक्षी पक्षकार सं. 2 की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री सैयद अशरफ अली, वारसी को सुना ।

3. पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा फाइल परिवाद, जो अभिलेख पर शपथपत्र के उपाबंध 1 पर है, के परिशीलन से यह पता चलता है कि पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 जेबा खान का विवाह मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार 25 फरवरी, 1998 को विपक्षी पक्षकार सं. 2 जकावत उल्ला खान के साथ संपन्न हुआ था । विवाह के पश्चात् पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 अपनी ससुराल आयी जो अलीगढ़ में साझी गृहस्थी है । पुनरीक्षणकर्ता

सं. 1 और विपक्षी पक्षकार सं. 2 के विवाह बंधन और सहवास से दो पुत्रियां अर्थात् जुबा खान और जोहरीन खान क्रमशः 13 नवम्बर, 2000 और 16 अक्तूबर, 2007 को पैदा हुई । दोनों पक्षकार अलीगढ़ की साझी गृहस्थी में एक साथ रहते थे । तत्पश्चात्, विपक्षी पक्षकार सं. 2 विदेश में नियोजित हो गया अतः पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 अपनी दो पुत्रियों जो इसमें पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 और 3 के साथ यूनाइटेड अरब अमीरात में विपक्षी पक्षकार सं. 2 के साथ रहने लगी । अभिलेख पर यह आया है कि विदेश में काफी लम्बे समय तक रहने के पश्चात् पक्षकार भारत वापस आ गए और अलीगढ़ की साझी गृहस्थी में रहने लगे ।

4. तथापि, आरम्भ से ही पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 अर्थात् पत्नी और विपक्षी पक्षकार सं. 2 अर्थात् पति के बीच संबंध स्नेहपूर्ण और सामान्य नहीं थे । इस प्रकार, वे खुशी वैवाहिक जीवन नहीं बिता रहे थे । कालान्तर में संबंध बेमेल हो गए । इससे विपक्षी पक्षकार सं. 2 की ओर से दहेज की लालसा के लिए घृणा और ईष्या का जहर भर गया । पत्नी/पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 के साथ बुरा बर्ताब किया गया बल्कि विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा दहेज की मांग के लिए यातना दी गई । पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 का लालन-पालन शैक्षिक वातावरण में हुआ था इसलिए, शिक्षित और संवेदनशील महिला होने के कारण उसने अपने ऊपर लगाए गए सभी लांछनों और उस पर किए गए अत्याचारों की अनदेखी की । वह विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा उस पर किए गए सभी अपमान और क्रूरता को झेलती रही । विवाह की बलिबेदी पर अपनी स्वतंत्रता और गरिमा का बलिदान करते हुए और इस आशा और विश्वास के साथ की एक दिन बातें बेहतर हो जाएंगी, वह विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा उसके साथ की गई असहनीय पीड़ा और वेदना को सहती रही । कालान्तर में, बातें असहनीय हो गईं । अंततः, पत्नी अर्थात् पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 अपनी दो पुत्रियों के साथ, जो पुनरीक्षणकर्ता सं. 2 और 3 हैं, अलीगढ़ में किराए के मकान में चली गई । यहां भी उसका जीवन शांतिपूर्ण नहीं रहा और उसे विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा तंग किया जाता रहा जिसके परिणामस्वरूप घरेलू हिंसा की कई घटनाएं हुई । यद्यपि पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 अपनी दो पुत्रियों के साथ इस आशा में

साझी गृहस्थी से अलग हुई थी कि दो पुत्रियों के साथ उसका जीवन शांतिपूर्ण होगा फिर भी उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई । उसे विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा मानसिक और मौखिक रूप से लगातार तंग किया जाता रहा । इस प्रक्रम पर, ऐसा लगता है कि भाग्य ने भी उसे धोखा दिया जब उसका सगा चाचा रामपुर में 26 जुलाई, 2016 को स्वर्गवासी हो गया । शोकसंतप्त कुटुम्ब को सहयोग प्रदान करने के लिए, वह अपनी दो पुत्रियों के साथ रामपुर, जहां उसके चाचा रहते थे, चली गई ।

5. किंकर्तव्यविमूढ़ और निराश तथा परेशान होकर उसने अपने निजी और अपनी दो अव्यस्क पुत्रियों के जीवन-यापन के लिए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "2005" का अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 के अधीन रामपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 30 अगस्त, 2016 को याचिका फाइल की । उक्त याचिका को 2016 की दांडिक प्रकीर्ण घरेलू हिंसा याचिका सं. 246 (जेबा खान और अन्य बनाम जकावत उल्ला खान) के रूप में दर्ज किया गया । पुनरीक्षणकर्ताओं ने उक्त याचिका के माध्यम से 2005 अधिनियम की धारा 19, 20, 21, 22, 23 के अधीन यथाग्राह्य विभिन्न फाइलों की मंजूरी का अनुरोध किया ।

6. इसमें विपक्षी पक्षकार सं. 2 अर्थात् जकावत उल्ला खान पुनरीक्षणकर्ता के पति के विरुद्ध पूर्वोक्त घरेलू हिंसा याचिका में नोटिसें जारी की गईं ।

7. पति-विपक्षी पक्षकार सं. 2 पूर्वोक्त मामले में हाजिर हुआ और 2005 के अधिनियम की धारा 12 के निबंधनानुसार विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा फाइल याचिका की सुनवाई और विचारण करने के लिए न्यायालय अर्थात् रामपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय की अधिकारिता को विवादित करते हुए 20 फरवरी, 2017 को प्रारम्भिक आक्षेप फाइल किया । विपक्षी पक्षकार सं. 2 के अनुसार रामपुर के न्यायालय को परिवाद की सुनवाई करने और विचारण करने की कोई अधिकारिता नहीं है क्योंकि रामपुर में कोई वाद हेतुक प्रोदभूत नहीं हुआ । आवेदक अस्थायी रूप से भी रामपुर में नहीं रह रहे थे अतः रामपुर के न्यायालय को परिवाद का विचारण करने और सुनवाई करने

की कोई राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है । विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा फाइल इस आक्षेप को तारीख 16 मार्च, 2017 के आदेश द्वारा रामपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया था । विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा फाइल प्रारम्भिक आक्षेप को खारिज करते हुए संबद्ध मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रथम दृष्ट्या रामपुर के न्यायालय को 2005 के अधिनियम की धारा 27(क) के उपबंधों के आधार पर मामले का विचारण करने की अधिकारिता है । मजिस्ट्रेट ने भी घरेलू हिंसा याचिका में उठाए गए अभिवचनों को निर्दिष्ट किया और उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि रामपुर में घरेलू हिंसा याचिका फाइल करने में कोई अवैधता नहीं पाई गई । मजिस्ट्रेट का यह मत था कि परिवाद के विचारण करने वाले न्यायालय की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित प्रश्न विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है और इस पर परिवाद मामले की सुनवाई के समय और ठीक से विचार किया जा सकता है ।

8. रामपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित तारीख 16 मार्च, 2017 के पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होकर इसमें विपक्षी पक्षकार सं. 2 अर्थात् पति ने 2005 अधिनियम की धारा 29 के निबंधनानुसार रामपुर के जिला और सेशन न्यायाधीश के समक्ष दांडिक अपील की । इसे 2017 की दांडिक अपील सं. 17 (जकावत उल्ला खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । उक्त दांडिक अपील 18 अगस्त, 2017 के आदेश द्वारा रामपुर के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 1 द्वारा मंजूर की गई । निचले न्यायालय ने विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा फाइल अपील का विनिश्चय करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि पुनरीक्षणकर्ता सं. 1 अपनी दो पुत्रियों के साथ अलीगढ़ में रह रही है और पुनरीक्षणकर्ताओं के लिए रामपुर में कोई वाद हेतुक उदभूत नहीं होता । पुनरीक्षणकर्ताओं का यह पक्षकथन कि वे अस्थायी रूप से रामपुर में रह रहे हैं, स्थापित नहीं होता है । इसके अतिरिक्त, रामपुर में उनके आने-जाने को आकस्मिक ठहराव या संक्षिप्त ठहराव कहा जा सकता है ।

9. तारीख 18 अगस्त, 2017 के पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होकर

पुनरीक्षणकर्ता पत्नी ने अपनी दो अवस्यक पुत्रियों के साथ, वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन इस न्यायालय में फाइल किया है ।

10. पुनरीक्षणकर्ताओं के विद्वान् काउंसेल श्री धर्मेन्द्र सिंघल ने आक्षेपित आदेश की चुनौती में दृढ़तापूर्वक यह तर्क किया कि आक्षेपित आदेश में निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष प्रकटतः अवैध हैं । उनका अगला निवेदन यह है कि 2005 अधिनियम अभिभावी प्रभाव के साथ एक विशेष अधिनियम है जिसका यह अर्थ है कि इस अधिनियम के उपबंध समविषयक लागू उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि इसके निराकरण में । पूर्वोक्त निवेदन के अपने स्पष्टीकरण में उनका यह निवेदन है कि परिवाद का विचारण करने की न्यायालय की अधिकारिता को 2005 अधिनियम की धारा 27 में सुस्पष्ट किया गया है, अतः 2005 अधिनियम के अधीन परिवाद के विचारण की न्यायालय की अधिकारिता का न्यायनिर्णयन स्वयं 2005 अधिनियम की धारा 27 में अधिकथित पैरामीटर के आलोक में किया जाना चाहिए ।

11. पूर्वोक्त विधिक पृष्ठभूमि में यह दलील दी गई है कि जब निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों की पूर्वोक्त पृष्ठभूमि परीक्षा की गई तो यह प्रकट है कि निचले न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 178 के सिद्धांतों पर विचार करते हुए पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा फाइल परिवाद का विचारण करने के संबद्ध मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के विवाद्यक का विनिश्चय किया । पूर्वोक्त सिद्धांतों का अवलंब बिल्कुल अनावश्यक है क्योंकि उक्त उपबंधों का अवलंब 2005 के अधिनियम के उपबंधों का निर्वचन करने के प्रयोजन के लिए नहीं लिया जा सकता । पूर्वोक्त निवेदनों के संचयी बल पर, यह तर्क किया गया कि पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा घरेलू हिंसा आवेदन फाइल करने का स्थान 2005 के अधिनियम की धारा 27(क) के अधीन उपबंधित शर्तों के अनुरूप है । ऐसा न्यायालय जिसमें परिवाद फाइल किया गया, के संबंध में कठिनाई और सुविधा के बीच तुलना करते हुए, उसका यह निवेदन है कि यह कारणरहित है कि क्यों कोई ऐसा व्यक्ति अलीगढ़ में रह रहा है, रामपुर में परिवाद फाइल करेगा जबकि दोनों के बीच दुरी 160 किलोमीटर है । 2005 के अधिनियम की धारा 12 के अधीन

परिवाद का विचारण दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों, 2005 के अधिनियम की धारा 12 और 28 और घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम, 2006 के नियम 6(5) के अधिदेश के अनुसार किया जाना चाहिए । किन्तु यह आग्रह करने के लिए उक्त उपबंधों का अवलंब नहीं लिया जा सकता कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 178 के उपबंधों का अवलंब परिवाद का विचारण करने के न्यायालय की अधिकारिता का विनिश्चय करने के लिए किया जा सकता है । पूर्वोक्त निवेदनों के आधार पर पुनरीक्षणकर्ताओं के विद्वान् काउंसेल द्वारा अंत में निवेदन किया गया कि निचले न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को विधि या तथ्य की दृष्टि से कायम नहीं रखा जा सकता अतः इस न्यायालय द्वारा अभिखंडित किए जाने योग्य है ।

12. विपक्षी पक्षकार सं. 2 की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री सईद अशरफ अली वारसी ने निचले न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का समर्थन किया । विपक्षी पक्षकार सं. 2 के काउंसेल के अनुसार, विपक्षी पक्षकार सं. 2 द्वारा फाइल अपील को मंजूर करने में निचले न्यायालय द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई है क्योंकि पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई सामग्री फाइल नहीं की गई जिसके आधार पर विचारण न्यायालय मामले का विचारण करने की अपनी अधिकारिता को प्रतिधारित करता । अधिकारिता का प्रश्न विशुद्धतः विधि का प्रश्न है और इसे प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में विनिश्चित किया जाना चाहिए । ऐसे प्रश्न को विचारण के समय न्यायनिर्णयन के लिए आस्थगित नहीं किया जा सकता । आगे उनका यह निवेदन है कि आक्षेपित आदेश 2005 अधिनियम के अधीन उपचार लेने के पुनरीक्षणकर्ताओं के अधिकार को समपहृत नहीं करता क्योंकि केवल परिवाद फाइल करने के स्थान में ही परिवर्तन हुआ है । आक्षेपित निर्णय और आदेश न तो किसी अधिकारितागत त्रुटि से ग्रस्त है न ही यह तात्वित अनियमितता से अधिकारिता के प्रयोग का परिणाम है जिसके कारण न्याय का दुरुपयोग हो रहा हो । इस प्रकार यह आग्रह किया गया कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं है ।

13. विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने विपक्षी पक्षकार सं. 2 के काउंसेल द्वारा की गई बहस को अंगीकार किया ।

14. परस्पर प्रतिकूल निवेदनों की शुद्धता पर विचार करने की कार्यवाही करने के पूर्व, अधिनियम के कतिपय उपबंधों पर विचार करना आवश्यक है जिनका इस आपराधिक पुनरीक्षण में अन्तर्वलित संविवाद से काफी संबंध है । नीचे यहां उद्धृत उपबंधों का संयुक्त पठन और विश्लेषण 2005 अधिनियम के अधीन अनुध्यात व्यवहार्य प्रक्रिया का पता लगाने में सहायता प्रदान करेगा ।

15. आरम्भ में, 2005 के अधिनियम की धारा 2क में यथापरिभाषित "व्यथित व्यक्ति", धारा 2च में यथापरिभाषित "घरेलू नातेदारी", धारा 2झ में यथापरिभाषित मजिस्ट्रेट और धारा 2ध में यथापरिभाषित "साझी गृहस्थी" की परिभाषाओं का प्रतिनिर्देश किया जाता है । 2005 के अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित "घरेलू हिंसा" पद की परिभाषा का भी प्रतिनिर्देश किया जाता है । तत्काल प्रतिनिर्देश के लिए उन्हें यहां उद्धृत किया जाता है :-

> "2. **परिभाषाएं** - (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथाअपेक्षित न हो, -
>
> (क) "व्यथित व्यक्ति" से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है;
>
> .....
>
> (च) "घरेलू नातेदारी" से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे, समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं या एक अविभक्त कुटुम्ब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुम्ब के सदस्य हैं;
>
> .....

(झ) "मजिस्ट्रेट" से उस क्षेत्र पर, जिसमें व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है या जिसमें प्रत्यर्थी निवास करता है या जिसमें घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

.....

(ध) "साझी गृहस्थी" से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, जहां व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे उसे व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्तः स्वामित्व या किराएदारी में है, या उसमें से किसी के स्वामित्व या किराएदारी में है, जिसके संबंध में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले, कोई अधिकार, हक, हित या साम्या रखते हैं और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुम्ब का अंग हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, एक सदस्य है ।

3. **घरेलू हिंसा की परिभाषा** – इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण, घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह, –

(क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, या उसे कोई क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की प्रकृति है और जिसके अन्तर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी

है; या

(ख) किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसकी अपहानि करता है या उसे क्षति पहुंचाता है या संकटापन्न करता है; या

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है; या

(घ) व्यथित व्यक्ति को, अन्यथा क्षति पहुंचाता है या उत्पीड़न कारित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक ।

स्पष्टीकरण 1 – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, –

(i) "शारीरिक दुरुपयोग" से ऐसा कोई कार्य या आचरण अभिप्रेत है जो ऐसी प्रकृति का है, जो व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, अपहानि या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है या उससे उसके स्वास्थ्य या विकास का हास होता है और इसके अंतर्गत हमला, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल भी है;

(ii) "लैंगिक दुरुपयोग" से लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण अभिप्रेत है, जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार करता है या उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है;

(iii) "मौखिक और भावानात्मक दुरुपयोग" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, –

(क) अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली और विशेष रूप से संतान या नर बालक के न होने के संबंध में

अपमान या उपहास; और

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकियां देना, जिसमें व्यथित व्यक्ति हितबद्ध है;

(iv) "आर्थिक दुरुपयोग" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं –

(क) ऐसे सभी या किन्हीं आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन या अन्यथा संदेय हों या जिनकी व्यथित व्यक्ति, किसी आवश्यकता के लिए, जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों, यदि कोई हो, के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी हैं, अपेक्षा करता है, किन्तु जो उन तक सीमित नहीं है, स्त्रीधन, व्यथित व्यक्ति के संयुक्त रूप से या पृथक्त: स्वामित्वाधीन संपत्ति, साझी गृहस्थी और उसके रखरखाव से संबंधित भाटक का संदाय, से वंचित करना;

(ख) गृहस्थी की चीजबस्त का व्ययन, आस्तियों का चाहे वे जंगम हों या स्थावर, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधपत्रों और उसके सदृश या अन्य संपत्ति का, जिसमें व्यथित व्यक्ति कोई हित रखता है या घरेलू नातेदारी के आधार पर उसके प्रयोग के लिए हकदार है या जिसकी व्यथित व्यक्ति या उसकी संतानों द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जा सकती है या उसके स्त्रीधन या व्यथित व्यक्ति द्वारा संयुक्ततः या पृथक्तः धारित किसी अन्य संपत्ति का कोई अन्य संक्रामण; और

(ग) ऐसे संसाधनों या सुविधाओं तक, जिनका घरेलू नातेदारी के आधार पर कोई व्यथित व्यक्ति, उपयोग या उपभोग करने के लिए हकदार है, जिसके अंतर्गत साझी

गृहस्थी तक पहुंच भी है, लगातार पहुंच के लिए प्रतिषेध या निर्बन्धन ।

स्पष्टीकरण 2 – यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण इस धारा के अधीन "घरेलू हिंसा" का गठन करता है, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा ।"

16. उपरोक्त के अलावा 2005 अधिनियम की धारा 12 को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो इस प्रकार है :–

"12. **मजिस्ट्रेट को आवेदन** – (1) कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा : परन्तु मजिस्ट्रेट, ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले, किसी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त, किसी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट पर विचार करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ईप्सित किसी अनुतोष में वह अनुतोष भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके लिए किसी प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित की गई क्षतियों के लिए प्रतिकर या नुकसान के लिए वाद संस्थित करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी प्रतिकर या नुकसान के संदाय के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है : परन्तु जहां किसी न्यायालय द्वारा, प्रतिकर या नुकसानी के रूप में किसी रकम के लिए, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है यदि इस अधिनियम के अधीन, मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई रकम संदत्त की गई है या संदेय है तो ऐसी डिक्री के अधीन संदेय रकम के विरुद्ध मुजरा होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वह डिक्री, इस

प्रकार मुजरा किए जाने के पश्चात् अतिशेष रकम के लिए, यदि कोई हो, निष्पादित की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं या यथासभंव उसके निकटतम रूप में अंतर्विष्ट होगा ।

(4) मजिस्ट्रेट, सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सामान्यत: तीन दिन से अधिक नहीं होगी ।

(5) मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के अधीन दिए गए प्रत्येक आवेदन का, प्रथम सुनवाई की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा ।"

17. 2005 अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के परन्तुक में संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता का निर्देश 2005 के अधिनियम की धारा 9 और 10 से संबंधित है जिसे यहां नीचे निर्दिष्ट किया जा रहा है :-

"9. **संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य** - (1) संरक्षण अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे -

(क) किसी मजिस्ट्रेट को, इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना;

(ख) किसी घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर, किसी मजिस्ट्रेट को, ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करना और उस पुलिस थाने के, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर, घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, भारसाधक पुलिस अधिकारी को और उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को, उस रिपोर्ट की प्रतियां अग्रेषित करना;

(ग) किसी मजिस्ट्रेट को, यदि व्यथित व्यक्ति, किसी संरक्षण आदेश के जारी करने के लिए, अनुतोष का दावा करने की वांछा करता हो, तो ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो

विहित की जाए, आवेदन करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि किसी व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है और उस विहित प्ररूप को, जिसमें शिकायत की जानी है, मुफ्त उपलब्ध कराना;

(ङ) मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाले स्थानीय क्षेत्र में ऐसे सभी सेवा प्रदाताओं की, जो विधिक सहायता या परामर्श आश्रय गृह और चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, एक सूची बनाए रखना;

(च) यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है तो कोई सुरक्षित आश्रय गृह का उपलब्ध कराना और किसी व्यक्ति को आश्रय गृह में सौंपते हुए, अपनी रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस थाने को और उस क्षेत्र में जहां वह आश्रय गृह अवस्थित है, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करना;

(छ) व्यथित व्यक्ति को शारीरिक क्षतियां हुई हैं तो उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना, और उस क्षेत्र में, जहां घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, पुलिस थाने को और अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को उस चिकित्सीय रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करना;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष के लिए आदेश का, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन और निष्पादन हो गया है;

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का, जो विहित किए जाएं, पालन करना ।

(2) संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा और वह, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन

मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।

10. **सेवा प्रदाता** –

(1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी, जिसका उद्देश्य किसी विधिपूर्ण साधन द्वारा, महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है, जिसके अन्तर्गत विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता या अन्य सहायता उपलब्ध कराना भी है, स्वयं को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास रजिस्टर कराएगी ।

(2) किसी सेवा प्रदाता के पास, जो उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, निम्नलिखित शक्तियां होंगी –

(क) यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछा करता हो तो विहित प्ररूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करना और उसकी एक प्रति, उस क्षेत्र में, जहां घरेलू हिंसा हुई है, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को अग्रेषित करना;

(ख) व्यथित व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराना और उस संरक्षण अधिकारी और पुलिस थाने को, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर, घरेलू हिंसा हुई है, चिकित्सीय रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को, यदि वह ऐसी वांछा करे तो, आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराया गया है और व्यथित व्यक्ति को, आश्रय गृह में सौंपे जानेकी रिपोर्ट, उस पुलिस थाने को, जिसकी

स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई है, अग्रेषित करना ।

(3) इस अधिनियम के अधीन, घरेलू हिंसा के निवारण हेतु शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन में, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के, जो इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहा है या करने वाला समझा जाता है या करने के लिए तात्पर्यित है, विरुद्ध नहीं होगी ।"

18. पूर्वोक्त उपबंधों के संयुक्त पठन से घरेलू हिंसा इंगित होती है जो वैधतः सुधार योग्य है और व्यक्ति जो ऐसी घरेलू हिंसा द्वारा व्यथित है । तथापि, यह ऐसे स्थान का विनिश्चय नहीं करता जहां व्यथित व्यक्ति अपनी शिकायत के प्रतितोष के लिए जा सके जैसा कि 2005 के अधिनियम के उपबंधों में विचार किया गया है । इसका विनिश्चय 2005 अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के अनुसार किया जाना चाहिए । अतः 2005 अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों को यहां नीचे उद्धृत किया जा रहा है :-

"27. **अधिकारिता** - (1) यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर, -

(क) व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है; या

(ख) प्रत्यर्थी निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है; या

(ग) हेतुक उद्भूत होता है, इस अधिनियम के अधीन कोई संरक्षण आदेश और अन्य आदेश अनुदत्त करने और इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश समस्त

भारत में प्रवर्तनीय होगा ।"

19. यहां उपरोक्त उद्धृत उपबंधों के आलोक में न्यायालय को कार्य प्रक्रिया का चयन करना है जो स्वयं उपरोक्त उपबंधों के संयुक्त रूप से पढ़ने से उभरता है । इसका पता लगाने के लिए 2005 के अधिनियम में समाविष्ट कार्य प्रक्रिया का पता लगाने के लिए निम्नलिखित मुद्दे अवधार्य हैं :-

(क) क्या 2005 अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग परिवीक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता की रिपोर्ट पर निर्भर है और वह स्थान जहां से ऐसी रिपोर्ट उद्भूत हुई है, 2005 अधिनियम के अधीन अर्जी का विचारण करने वाले न्यायालय की अधिकारिता का विनिश्चय करेगा ?

(ख) क्या अधिनियम की धारा 27 के अधीन उपबंधित शर्तें वाद करने के स्थान का विनिश्चय करने के लिए अकेले पर्याप्त हैं या उक्त धारा में वर्णित सभी शर्तों का सामूहिक रूप से पूरा किया जाना उस न्यायालय के विनिश्चय के लिए पर्याप्त है जिसमें परिवाद फाइल किया जाए ?

(ग) 2005 अधिनियम की धारा 27(ग) में आने वाला 'वाद हेतुक' शब्द का अर्थान्वयन 2005 अधिनियम की धारा 27(क) और 27(ख) के उपबंधों के आलोक में या पूर्वोक्त से स्वतंत्र रूप में किया जाना चाहिए ?

(घ) 'वाद हेतुक' पद का क्या अर्थ है और 2005 अधिनियम की धारा 27(ग) के प्रतिनिर्देश से कैसे यह साबित किया जाएगा ?

20. जहां तक विवाद्यक सं. 1 का संबंध है, यह अधिनियम की धारा 9 और 10 के प्रतिनिर्देश से व्यथित व्यक्ति द्वारा फाइल अर्जी पर मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकारिता के प्रयोग के संबंध में है । अधिनियम की धारा 9 संरक्षण अधिकारी के बारे में है जबकि अधिनियम की धारा 10 में सेवा प्रदाता का वर्णन है । मैंने पहले ही 2005 अधिनियम की धारा 9 और 10 के उपबंधों को उद्धृत किया है । इस प्रकार उन्हें यहां दोहराया

नहीं जा रहा है । यह विवाद्यक उद्भूत होता है कि क्या न्यायालय संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ही 2005 अधिनियम के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है और वह स्थान जहां से ऐसी रिपोर्ट उद्भूत हुई है, वाद फाइल करने का स्थान निश्चित करने का मार्गदर्शी कारक होगा ।

21. पूर्वोक्त विवाद्यक अब अनिर्णित नहीं रहा । इस पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 23 जनवरी, 2018 को विनिश्चित **ईशान जोशी** बनाम **सुमन**[1] वाले मामले में व्यापक रूप से विचार किया गया है । पूर्वोक्त निर्णय में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उक्त विवाद्यक पर विस्तार से विचार किया और पैरा 11, 12 और 13 में इस प्रकार मत व्यक्त किया :-

"11. **घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 27 इस प्रकार है** -

अधिकारिता - (1) यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर, -

(क) व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है; या

(ख) प्रत्यर्थी निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है; या

(ग) हेतुक उद्भूत होता है, इस अधिनियम के अधीन कोई संरक्षण आदेश और अन्य आदेश अनुदत्त करने और इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा ।"

---

[1] 2018 (1) आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 931.

याची की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल का यह तर्क है कि उक्त धारा के पढ़ने मात्र से यह दर्शित होता है कि केवल ऐसे न्यायालय परिवाद ग्रहण करने के लिए सक्षम हैं, जहां व्यथित व्यक्ति/प्रत्यर्थी स्थायी या अस्थायी रूप से रहते हैं या कारबार करते हैं या नियोजित हैं या जहां वाद हेतुक उद्भूत होता है । यह तर्क दिया गया कि मात्र इस तथ्य के आधार पर कि प्रत्यर्थी यहां अपनी बहन के साथ अस्थायी रूप से रह रही है, चंडीगढ़ के न्यायालय को परिवाद ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी । इस बाबत एडवोकेट रमेश मोहन लाल भुटाडा और अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य और अन्य [2012 (1) आर. सी. आर. (क्रि.) 461 : 2011 क्रिमिनल ला जर्नल 4074 (बोम्बे)] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 12 में 'निवास करता है' पद का अर्थ आकस्मिक ठहरने से कुछ अधिक की विवक्षा करता है और किसी विशिष्ट स्थान पर ठहरने के कुछ ठोस आशय की विवक्षा करता है न कि मात्र आकस्मिक या दौरा यात्रा । यह तर्क किया गया कि स्वयं परिवाद से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी का पुत्र बंगलौर में पढ़ रहा है अतः उसके लिए चंड़ीगढ़ के न्यायालयों की अधिकारिता का अवलंब लेने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

(12) समानान्तर स्तंभ में, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क किया कि पक्षकार तब बंगलौर में रह रहे थे जब वैवाहिक विवाद उत्पन्न हुआ और उस समय प्रत्यर्थी का पुत्र बंगलौर में पढ़ रहा था और उसके अध्ययन को अस्त-व्यस्त न करने के लिए उसे बंगलौर में पढ़ाई जारी रखने की अनुज्ञा दी गई । अब वह चंड़ीगढ़ शहर की स्थानीय अधिकारिता के भीतर पढ़ रहा है ।

(13) राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित प्रश्न को हिमा चुग **बनाम** प्रितम अशोक सदाफूल और अन्य [2013 (19) आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 161] ; शरद कुमार पांडेय **बनाम** ममता पांडेय [2010 (7) आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 1389] ; रविन्द्र नाथ साहू

और अन्य **बनाम** श्रीमती सुशीला साहू [2017 (1) आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 312 = (2016) क्रिमिनल ला जर्नल 4931 उड़ीसा] ; विकास रस्तोगी **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2014 (16) आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 73] वाले मामलों में कई उच्च न्यायालयों में उठाया गया । **हिमा चुग** और **शरद कुमार पांडेय** (उपरोक्त) वाले मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अस्थायी निवास का यह अभिप्राय है कि जहां व्यथित व्यक्ति अपने ससुराल में घरेलू हिंसा की दृष्टि से आश्रय लेने या नौकरी करने या कुछ कारबार करने के लिए मजबूर होता है । तथापि, अस्थायी निवास, लाज या होस्टल या सराय या घरेलू हिंसा मामला फाइल करने के लिए ही किसी स्थान पर निवास बनाना निवास में सम्मिलित नहीं होता । यह क्षणिक निवास नहीं होना चाहिए जहां कोई महिला केवल मामला लड़ने के लिए आती है और अन्यथा वहां निवास नहीं करती । **रविन्द्र नाथ साहू** (उपरोक्त) वाले मामले में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अस्थायी निवास में ऐसा स्थान सम्मिलित है जहां व्यथित व्यक्ति घरेलू हिंसा होने को ध्यान में रखते हुए निवास करने के लिए मजबूर है, चाहे उसने स्थायी रूप से निवास करने का या लम्बे समय तक रहने का विनिश्चय किया है या नहीं । **विकास रस्तोगी** (उपरोक्त) वाले मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि व्यथित व्यक्ति अस्थायी निवास से कार्यवाही आरम्भ कर सकता है और यह कि अस्थायी निवास का प्रश्न विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है और इसका विनिश्चय पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता ।"

22. पूर्वोक्त पैरों के परिशीलन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट की विद्यमानता परिवाद फाइल करने की पूर्ववर्ती शर्त नहीं है । अधिनियम की धारा 9 और 10 व्यथित व्यक्ति द्वारा ऐसी अधिकारिता जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर सेवा प्रदाता या संरक्षण अधिकारी निवास करता है, याचिका फाइल करना अनुध्यात नहीं करती । **ईशान जोशी** (उपरोक्त) वाले मामले के निर्णय के

पैरा 8, 10 और 14 को निर्दिष्ट करना उपयोगी होगा जिसमें उक्त विवाद्यक पर विस्तार और ब्यौरेवार चर्चा की गई है :-

"8. इस न्यायालय को निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है –

(i) क्या यह याचिका इसके वर्तमान स्वरूप में संधार्य है ?

(ii) क्या यहां चंड़ीगढ़ के न्यायालयों को घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन इस परिवाद को ग्रहण करने की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता है ?

(iii) क्या प्रत्यर्थी द्वारा बंगलौर के पुलिस थाना एच. एस. आर. में भारतीय दंड संहिता की धारा 498क, 506 और 504 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दर्ज प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 1022 के लम्बित रहने के बारे में तथ्यों को छुपाया गया है और क्या ऐसा छुपाया जाना प्रत्यर्थी को किसी राहत से हकहीन बनाता है ?

(iv) क्या घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को संरक्षण अधिकारी कि रिपोर्ट के बिना आरम्भ किया जा सकता है ?

.....

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारीवाल टुबेको प्रोडक्ट लिमिटेड और अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य [2009 (1) आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 677 = (2009) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज 370 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 1032], वाले मामले में इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में संहिता) की धारा 482 के अधीन आवेदन को इन आधारों पर खारिज किया जा सकता है कि संहिता की धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण याचिका खारिज करने का अनुकल्पी उपचार उपलब्ध है । पूर्वोक्त मामले में कम्पनी और इसके निदेशकों को खाद्य

अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों के अधीन जे. एम. आई. सी. अक्कालकोट, शोलापुर द्वारा समन किया गया । उक्त समन आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन फाइल किया गया जिसे उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि संहिता की धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण याचिका फाइल करने का अनुकल्पी उपचार है । आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई और स्थिर निर्णयज्ञ विधि पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय के पास अन्तर्निहित शक्ति है चाहे अनुकल्पी उपचार उपलब्ध हो । इसी प्रकार कृष्णन्न **बनाम** कृष्णावेनी और अन्य [1997 (1) आर. सी. आर. (क्रिमिनल) 724 = ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 987], वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संहिता की धारा 482 और 483 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अन्तर्निहित शक्तियों के अधीन आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की घोर अवहेलना होती और वह हस्तक्षेप कर सकता है चाहे अपील/पुनरीक्षण के उपचार का फायदा उठाया गया हो या नहीं । चूंकि याची दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अधिकारिता के बिना भी परिवाद को चुनौती देने की ईप्सा कर रहा है इसलिए उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग न किया गया हो, इस याचिका को अपनी व्यापक अन्तर्निहित शक्तियों के अधीन ग्रहण करने में समर्थ होगा । अतः, इस प्रश्न का उत्तर प्रत्यर्थी के विरुद्ध दिया गया ।

.....

14. घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 27 न्यायालय को अपनी अधिकारिता के भीतर अस्थायी रूप से रहने वाले व्यक्तियों के परिवाद को ग्रहण करने की अनुज्ञा देती है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि घरेलू हिंसा का शिकार होने के पश्चात्, किसी महिला के लिए उसी अधिकारिता के भीतर रहना संभव नहीं हो सकता है जहां घरेलू हिंसा की घटना हुई और ऐसे स्थान पर जा

सकती है और पुनर्वसित हो सकती है जहां वह रह सके/नौकरी कर सके या उसका कोई सहायक हो चाहे वे उसके माता-पिता या नजदीकी नातेदार हों । इस मामले में प्रत्यर्थी बंगलौर और अपना ससुराल छोड़ने के पश्चात् सगी नातेदार अपनी बहन के साथ रह रही है । प्रत्यर्थी का पुत्र चंडीगढ़ शहर के भीतर पढ़ाई कर रहा है जैसा कि यह विद्यालय फीस रसीद से स्पष्ट है, जो उपाबद्ध किया गया है । उठाया गया यह तर्क कि प्रत्यर्थी का पुत्र बंगलौर में पढ़ रहा है और चंडीगढ़ में निवास है, क्षणिक है और संधार्य नहीं है । अवयस्क बंगलौर में अपना सत्र पूरा करने के लिए ही पढ़ रहा था और रह रहा था और मध्य अवधि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए ही अपनी बहन के साथ रह रही है और चंडीगढ़ के न्यायालयों को परिवाद ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।"

23. मैं उपरोक्त वर्णित मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मत को आस्थगित करने का कोई कारण नहीं पाता । इस प्रकार, 2005 के अधिनियम की धारा 9 और 10 के उपबंधों और 2005 अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के संयुक्त पठन से जो 2005 अधिनियम के कार्यकरण को इंगित करता है, निरापद रूप से यह अनुमान निकाला जा सकता है कि 2005 अधिनियम के अधीन यथाउपबंधित परिवाद पर विचार करने वाला न्यायालय संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता की रिपोर्ट के अभाव में परिवाद पर आगे कार्यवाही करने के लिए आबद्ध नहीं है । अतः संरक्षण अधिकारी/सेवा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने या न करने के बावजूद न्यायालय व्यथित पक्षकार द्वारा फाइल परिवाद को ग्रहण करने/सुनवाई करने के लिए स्वप्रेरणा से आगे कार्यवाही कर सकता है ।

24. उपरोक्त यथाविरचित विवाद्यक सं. 2, 2005 अधिनियम की धारा 27 की व्याप्ति के संबंध में है । 2005 अधिनियम के अधीन किसी परिवाद के विचारण के लिए अपनी निजी अधिकारिता को विनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा क्या मानदंड अपनाया जाएगा,

स्वयं 2005 अधिनियम की धारा 27 में उपबंधित है । अधिनियम की धारा 27 के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि परिवाद का विचारण करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता को विनिश्चित करने के लिए तीन आकस्मिकताओं का उपबंध है । 2005 अधिनियम की धारा 27 को पहले ही ऊपर उद्धृत किया गया है इसलिए पुनरोक्ति से बचने के लिए इसे यहां नहीं दोहराया जा रहा है । वह विवाद्यक जिसकी न्यायालय द्वारा संवीक्षा विरचित है, यह है कि क्या 2005 अधिनियम की धारा 27 में उपबंधित प्रत्येक आकस्मिकताओं का सामूहिक रूप से पूरा किया जाना या स्वयं एक आकस्मिकता का पूरा होना परिवाद के विचारण हेतु न्यायालय की अधिकारिता का विनिश्चय करने के लिए पर्याप्त है ।

25. 2005 अधिनियम में उपबंधित आकस्मिकताएं सजातीय नहीं बल्कि विजातीय हैं । क्योंकि 2005 अधिनियम में उपबंधित आकस्मिकताएं विजातीय प्रकृति की हैं इसलिए परिवादी के लिए 2005 अधिनियम की धारा 27 में उपबंधित सभी आकस्मिकताओं को साथ-साथ पूरा करना असंभव है । किन्तु अन्यथा कानून के परम उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो घरेलू हिंसा जो व्यथित व्यक्ति को निराशा और अवसाद ग्रस्त करता है, को सुलझाने की शीघ्र आवश्यकता के लिए विरचित किया गया है, इसलिए कानून के उपबंधों का अर्थान्वयन ऐसी रीति से किया जाना चाहिए जो किसी भी पक्षकार के प्रति कोई सारवान् पक्षपात किए बिना और अधिनियम के अधीन यथाप्रतिस्थापित उनके अधिकारों का हनन किए बिना अधिनियम के उद्देश्य का संवर्धन करता हो । अतः 2005 अधिनियम की धारा 27 में परिकल्पित आकस्मिकताओं की प्रकृति द्वारा अकेले एकल आकस्मिकता परिवाद का विचारण करने हेतु न्यायालय की अधिकारिता का विनिश्चय करने के लिए पर्याप्त होगी ।

26. इस प्रक्रम पर **राम लखन सिंह** बनाम **भारत संघ और एक अन्य**[1] वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का प्रतिनिर्देश किया जा सकता है जिसकी पैरा सं. 22 और 23 में यह मत व्यक्त किया गया है :-

---

[1] (2013) एस. सी. सी. आन लाइन दिल्ली 4844.

"22. यदि हम अधिनियम की धारा 26 को देखें तो व्यथित व्यक्ति को अधिनियम के अधीन उपबंधित अनुतोषों के साथ-साथ अन्य अनुतोष का सहारा लेने की अनुमति है और यह विधान-मंडल के आशय को बिल्कुल स्पष्ट करता है । अधिनियम के प्रत्येक उपबंध का परिशीलन करने या निर्वचन करते समय हमें विधान-मंडल के आशय पर विचार करना चाहिए । इस प्रक्रिया में, हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया है । घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन महिला के विरुद्ध हिंसा के मामलों में उस क्षण जब वह परिवाद फाइल करती है उसे मकान के बाहर कर दिया जाता है और कई मामलों में उसे धमकी भी दी जाती है और ससुराल में महिला को कोई सुरक्षा नहीं मिलती और उसे सुरक्षा के लिए भागने पर मजबूर होना पड़ता है । ऐसे मामलों में घरेलू हिंसा की पीड़िता को माता-पिता के घर में शरण लेती है और कतिपय मामलों में माता-पिता कई कारणों से महिला का सहयोग करने में समर्थ नहीं होते और महिला को नौकरी की तलाश में या कोई अन्य अनुक्रम अपनाने के लिए जिससे की वह नौकरी पा सके और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, किसी अन्य स्थान पर रहने के लिए मजबूर होती है । ऐसे परिदृश्य में, यदि धारा में विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख है कि 'अस्थायी रूप से निवास' का दावा करने के लिए महिला को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी विशिष्ट स्थान पर ठहरना होता है, और अधिकांश मामलों में महिला ऐसे स्थान पर परिवाद करने की तरजीह देती है जहां पति निवास करता है, जहां कई मामलों में उसे कोई सुरक्षा या संरक्षण नहीं है । ....."

27. **रबीन्द्र नाथ साहू और एक अन्य** बनाम **श्रीमती सुशीला साहू**[1] वाले मामले में इसी प्रकार के विवाद्यक पर विचार करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पैरा 10 में इस प्रकार मत व्यक्त किया :-

"10. विधान-मंडल ने अपनी प्रज्ञा से यह उपबंध किया है कि

---

[1] 2016 क्रिमिनल ला जर्नल 4931.

अस्थायी निवास के आधार पर सक्षम न्यायालय के समक्ष व्यथित व्यक्ति द्वारा अधिकारिता का अवलंब लिया जा सकता है । 'अस्थायी रूप से' शब्द का अभिप्राय कुछ समय के लिए रहने वाला, विद्यमान, सेवारत है जो स्थायी नहीं है । अस्थायी निवास व्यथित व्यक्ति का अस्थायी रहने का स्थान है जिसने कुछ समय के लिए उस स्थान को अपना घर बनाने का विनिश्चय किया है । ऐसा व्यथित व्यक्ति जो घरेलू हिंसा के कारण अपना ससुराल खो चुकी है और अपने पैतृक मकान या अपने पिता के स्थान पर किसी या अन्य कारण से नहीं रह सकती है और अपने किसी नातेदार या अपने मित्र के साथ अस्थायी रूप से निवास करने को मजबूर है जहां घरेलू हिंसा नहीं हुई है वहां वह ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता का अवलंब ले सकती जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर अस्थायी निवास का स्थान स्थित है । अस्थायी निवास के अन्तर्गत ऐसा स्थान है जहां व्यथित व्यक्ति घरेलू हिंसा होने की दृष्टि से रहने के लिए मजबूर है । हो सकता है कि उसने वहां स्थायी रूप से रहने या काफी समय तक रहने का विनिश्चय न किया हो बल्कि कुछ समय के लिए हो । ऐसा स्थान जहां व्यथित व्यक्ति आकस्मिक दौरे पर गया हो वहां किसी लाज या हास्टल या अतिथि गृह या सराय जहां वह संक्षिप्त अवधि के लिए ठहरी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध मामला फाइल करने के प्रयोजन के लिए मात्र किसी स्थान पर निवास किया, ऐसा स्थान नहीं हो सकता जो धारा 27 में यथाउपसंजात 'अस्थायी रूप से निवास करता है' पद को संतुष्ट करता हो । विधान-मंडल ने ऐसी व्यथित महिला का उपबंध किया है जो आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से या शारीरिक रूप से ग्रस्त है, को मामला संस्थित करने के लिए व्यापक विकल्प है जो उनकी सुविधा, आराम और पहुंच योग्यता की दृष्टि से उपयुक्त हो । 2005 अधिनियम की धारा (i) में 'मजिस्ट्रेट' से उस क्षेत्र पर, जिसमें व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है या जिसमें प्रत्यर्थी निवास करता है या जिसमें घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, दंड प्रक्रिया

संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है । इस प्रकार, यदि अस्थायी अवधि के लिए भी कोई व्यथित व्यक्ति उस स्थान पर निवास करता है तो वह ऐसी स्थानीय सीमा के भीतर जिसकी अधिकारिता के अधीन ऐसा स्थान स्थिति हैं, सक्षम न्यायालय के समक्ष समुचित आवेदन फाइल कर 2005 अधिनियम के अधीन अनुतोष की ईप्सा कर सकता है ।"

28. **एडवोकेट रमेश** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] के लगभग समान परिस्थितियों वाले मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने पैरा संख्या 4 और 5 में इस प्रकार मत व्यक्त किया :-

"4. मैंने विस्तार से अधिवक्ता के निवेदनों को सुना । 2005 अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों को सरसरी तौर पर देखने से यह प्रकट होता है कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर व्यथित व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता है; या प्रत्यर्थी निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है; या वाद हेतुक उद्भूत होता है, वह इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश और अन्य आदेश मंजूर करने और इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा । उपधारा (2) में यह उल्लेख है कि इस अधिनियम के अधीन किया गया आदेश सम्पूर्ण भारत में प्रवर्तनीय होगा । मजिस्ट्रेट द्वारा 2005 अधिनियम के अधीन पारित आदेश उक्त अधिनियम की धारा 29 की दृष्टि से अपील योग्य है ।

5. याचिका के समर्थन में, याचियों की ओर से यह निवेदन किया गया है कि अस्थायी निवास और आकस्मिक दौरे के बीच अन्तर है । 'निवास करता है' पद में 'ठहरने' से अधिक कुछ बातें विवक्षित हैं और ऐसे स्थान पर रहने का कुछ आशय है न कि मात्र आकस्मिक दौरे पर रहने का । निवास के प्रश्न को विनिश्चित किए

---

[1] मनु/एम. एच./0826/2011 = 2011 क्रिमिनल ला जर्नल 4074 (बोम्बे).

जाने की अपेक्षा है कि क्या स्थायी या अस्थायी निवास का दावा करने वाले पक्षकार का किसी विशिष्ट स्थान पर ठहरने का आशय है तो यह कहा जा सकता है कि पक्षकार उस विशिष्ट स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से रह रहा है । यह प्रश्न कि क्या व्यथित व्यक्ति ने किसी विशिष्ट स्थान को स्थायी या अस्थायी निवास बनाया है, का विनिश्चय प्रत्येक मामले के तथ्यों के प्रतिनिर्देश से किया जाना चाहिए । यह अनुमान लगाया जाता है कि यदि 2005 अधिनियम की धारा 27 के अर्थान्तर्गत यह दावा करने के लिए कि उसका स्थान एक अस्थायी निवास है, और आकस्मिक दौरे के स्थान को भी अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञात करने के लिए किए गए उपबंधों का उदारतापूर्ण अर्थान्वयन किया जाता है तो यह विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि व्यथित व्यक्ति ऐसे किसी स्थान को चुनकर अन्य पक्षकार को तंग कर सकेगा जहां उसने आकस्मिक दौरा किया है । मुस्सम्मात जागीर कौर और एक अन्य **बनाम** जसवन्त सिंह (ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1541) वाले मामले के विनिर्णय का प्रतिनिर्देश किया जाता है । सर्वोच्च न्यायालय को भरणपोषण के लिए अपने पति के विरुद्ध पत्नी द्वारा की गई याचिका के संबंध में 'निवास करता है' पद से संबंधित प्रश्न पर विचार करना था । 'निवासी' शब्द के शब्दकोशीय अर्थ पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि शब्द का अर्थ किसी स्थान पर स्थायी या अस्थायी दोनों रूप से रहने के लिए है । कठोर और अति तकनीकी भाव में अधिवास और अस्थायी निवास के बीच भिन्न अर्थ निकाला जा सकता है । जो भी अर्थ इसका निकाला जाए, एक बात स्पष्ट है कि इसमें किसी विशिष्ट स्थान पर आकस्मिक ठहराव या तूफानी दौरा सम्मिलित नहीं है । संक्षेप में, शब्द का अर्थ विशिष्ट कानून के संदर्भ और प्रयोजन के अंतिम विश्लेषण पर निर्भर करता है । 'निवास करता है' पद की विवक्षा आकस्मिक ठहराव से कुछ अधिक है और किसी विशिष्ट स्थान पर ठहरने का कुछ ठोस आशय है किन्तु इसका अभिप्राय आकस्मिक या तूफानी दौरा नहीं है । दूसरे शब्दों में, यह

विशिष्ट स्थान पर व्यक्ति को विशिष्ट स्थान का 'अस्थायी निवासी' के रूप में प्रास्थिति देने के लिए आकस्मिक दौरा या आकस्मिक ठहराव से कुछ अधिक है, जैसा कि यह विधि के अधीन अनुध्यात है ।"

29. अब हम तीसरे विवाद्यक अर्थात् 2005 अधिनियम की धारा 27(ग) में आने वाले 'वाद हेतुक' पद के अर्थ पर विचार करते हैं । 'वाद हेतुक' पद अब विवाद योग्य नहीं रहा । सर्वोच्च न्यायालय ने **मैसर्स कुसुम इनगाट और एलाय लिमिटेड** बनाम **भारत संघ और एक अन्य**[1] वाले मामले में पूर्वोक्त अवधारणा पर विचार किया और इस निर्णय के पैरा 6 से 9 में इस प्रकार मत व्यक्त किया :-

"वाद हेतुक :

6. वाद हेतुक वाद फाइल करने के अधिकार की विवक्षा करता है । ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य जो वादकर्ता के लिए अभिकथित करना और साबित करना अनिवार्य है, वाद हेतुक गठित करता है । वाद हेतुक किसी कानून में परिभाषित नहीं है । तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ यह अर्थ निकालने के लिए न्यायिक रूप से निर्वचन किया गया है कि ऐसा प्रत्येक तथ्य जो वादी के लिए न्यायालय के निर्णय के अपने अधिकार के समर्थन में साबित करने के लिए, यदि प्रतिकूल नहीं जाता, आवश्यक है । नकारात्मक रूप से, इसका यह अर्थ होगा कि ऐसी प्रत्येक बात जो यदि साबित नहीं होती, प्रतिवादी को निर्णय का तत्काल अधिकार प्रदान करती है, वाद हेतुक का भाग होगी । इसका महत्व संदेह से परे है । ऐसी प्रत्येक कार्रवाई के लिए वाद हेतुक होना चाहिए यदि ऐसा नहीं है तो यथास्थिति, वादपत्र या रिट याचिका संक्षिप्ततः खारिज हो जाएगी ।

7. संविधान के अनुच्छेद 226 का खंड (2) इस प्रकार है -

---

[1] (2004) 6 एस. सी. सी. 254 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2321.

(2) किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निदेश, आदेश या रिट निकालने की खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन राज्यक्षेत्रों के संबंध में, जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी, इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि ऐसी सरकार या प्राधिकारी का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास-स्थान उन राज्यक्षेत्रों के भीतर नहीं है ।

8. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 (ग) इस प्रकार है –

20. 'अन्य वाद वहां संस्थित किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतुक पैदा होता है –

पूर्वोक्त परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, हर वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर –

(ग) वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा होता है ।'

9. यद्यपि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 141 को ध्यान में रखते हुए उसके उपबंध रिट कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे फिर भी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20(ग) और अनुच्छेद 226 के खंड (2) में प्रयुक्त पदावली समविषय होने के कारण सिविल प्रक्रिया की धारा 20(ग) के निर्वचन पर दिए गए इस न्यायालय के विनिश्चय रिट कार्यवाहियों को लागू होंगे । आगे विषय पर चर्चा करने के पूर्व यह इंगित किया जाता है कि अभिवचित समस्त सम्पूर्ण तथ्य वाद हेतुक गठित नहीं करते क्योंकि याची द्वारा डिक्री अभिप्राप्त करने के पूर्व जिस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता है, वह महत्वपूर्ण तथ्य है । महत्वपूर्ण तथ्य पद को भी अभिन्न तथ्य जाना जाता है ।

10. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2) में प्रयुक्त पदों को ध्यान में रखते हुए, निर्विवादतः यदि वाद हेतुक का थोड़ा भी भाग न्यायालय की अधिकारिता के भीतर प्रोद्भूत होता है तो न्यायालय को विषय पर अधिकारिता होगी ।

11. मुसम्मात चांद कौर **बनाम** प्रताप सिंह [(1887) 15 आई. ए. 156] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है –

> "..... वाद हेतुक का प्रतिवाद से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है जो प्रतिवादी द्वारा उपवर्णित किया गया हो न ही यह वादी द्वारा प्रार्थित अनुतोष की प्रकृति पर निर्भर है । यह पूर्णतः वाद हेतुक के बारे में वादपत्र में उपवर्णित आधार को निर्दिष्ट करता है या दूसरे शब्दों में, ऐसा आधार जिसपर वादी न्यायालय से अपने पक्ष में निष्कर्ष निकालने के लिए कहता है ।"

30. **कुलदीप सिंह पठानिया** बनाम **विक्रम सिंह जरयाल**[1] वाले मामले के पैरा 11, 12 और 13 में इस प्रकार मत व्यक्त किया गया है :–

"मेयर (एच. के.) लिमिटेड और अन्य **बनाम** ओनर एण्ड पार्टीज वीसल एम. वी. फार्चून एक्सप्रेस और अन्य ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 593 वाले मामले में इस न्यायालय ने इसी प्रकार के मुद्दे पर विचार किया । सुसंगत विस्तार तक पैरा 12 इस प्रकार है –

> (12) पूर्वोक्त से यह प्रकट है कि वादपत्र को अपने लिखित कथन में या वादपत्र की खारिजी के आवेदन में प्रतिवादी द्वारा किए गए अभिकथनों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता । न्यायालय को यह पता लगाने के लिए कि क्या यह वाद हेतुक प्रकट करता है या नहीं, संपूर्ण वादपत्र को पढ़ना चाहिए और यदि ऐसा है तो वादपत्र को संहिता के आदेश 7, नियम 11 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता ।

---

[1] (2017) 5 एस. सी. सी. 345 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 593.

अनिवार्यतः, क्या वादपत्र वाद हेतुक प्रकट करता है, तथ्य का प्रश्न है जिसका पता वादपत्र में किए गए प्रकथनों के आधार पर इन प्रकथनों को समग्रतः सही पाते हुए लगाया जाना चाहिए । वाद हेतुक तथ्यों का ऐसा समूह है जिसे अनुतोष पाने के लिए साबित किए जाने की अपेक्षा है और उक्त प्रयोजन के लिए, कतिपय मामलों के सिवाय जहां अवलंबित अभिवचन दुर्व्यपदेशन, कपट, दोषपूर्ण व्यतिक्रम, असम्यक् असर या इसी प्रकृति के हैं के सिवाय महत्वपूर्ण तथ्यों का न कि केवल साक्ष्य का उल्लेख किए जाने की अपेक्षा है । जहां तक वादपत्र कुछ वाद हेतुक प्रकट करता है जिसे न्यायालय द्वारा अवधारित किए जाने की अपेक्षा हो वहां मात्र यह तथ्य कि न्यायाधीश की राय में वादी सफल नहीं हो सकता, वादपत्र की खारिजी का आधार नहीं हो सकता ।"

12. संहिता के आदेश 7, नियम 11(क) के इस प्रथम सिद्धांत पर विचार करने वाले अन्य निर्णयों के साथ इस निर्णय पर बल देना आवश्यक नहीं है । विरेन्द्र नाथ गौतम **बनाम** सतपाल सिंह और अन्य (ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 581) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा पैरा 52 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया –

'52. उच्च न्यायालय ने हमारे विचारित मतानुसार मामले के गुण-दोष पर विचार करने के प्रकथनों के समर्थन में अभिकथनों और साक्ष्य की शुद्धता पर विचार करने के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया जो केवल निर्वाचन अर्जी के विचारण के प्रक्रम पर अनुज्ञेय है न कि यह विचार करने के प्रक्रम पर कि क्या निर्वाचन अर्जी संधार्य है और अर्जी खारिज कर दी । अतः इस कार्रवाई को कायम नहीं रखा जा सकता और आदेश अपास्त किए जाने योग्य है ।'

13. "हमने निर्वाचन अर्जी के प्रकथनों का परिशीलन किया और हमारा यह समाधान हो गया है कि अर्जी से वाद हेतुक प्रकट होता है और उस बाबत नए सिरे से जांच के लिए अर्जी को

प्रतिप्रेषित करना आवश्यक नहीं है ।"

31. तथापि, **वाई. अब्राहिम आजिथ और अन्य** बनाम **पुलिस इंस्पेक्टर, चैन्नई और अन्य**[1] वाले मामले में भेद किया गया है जिसमें आपराधिक न्यायशास्त्र के संबंध में "वाद हेतुक" पद को पैरा 13 से 17 में वर्णित किया गया है जिसे नीचे यहां उद्धृत किया जा रहा है :-

"13. सामान्यतः, जहां सिविल मामलों में 'वाद हेतुक' पद का प्रयोग किया जाता है, वहीं आपराधिक मामलों में संहिता की धारा 177 के कथनानुसार ऐसी स्थानीय अधिकारिता का निर्देश होता है जहां अपराध किया गया है । व्युत्पत्ति मूलक पद का यह अन्तर वस्तुतः स्थिति में भेद नहीं पैदा करता है । अतः 'वाद हेतुक' पद आपराधिक मामलों के लिए अपरिचित नहीं है ।

14. यह सुस्थिर विधि है कि वाद हेतुक में ऐसे तथ्यों का समूह निहित है जो न्यायालय में प्रतितोष के लिए विधिक जांच को प्रवृत्त करने का आधार प्रदान करता है । दूसरे शब्दों में, यह ऐसे तथ्यों का समूह है जो उसे लागू हित के साथ पढ़े जाने पर अभिकथित प्रभावित पक्षकार को विरोधी के विरुद्ध अनुतोष का दावा करने का अधिकार प्रदान करता है । यह बाद वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कुछ कार्य को सम्मिलित करता है क्योंकि ऐसे किसी कार्य के अभाव में कोई वाद हेतुक संभवतः प्रोद्भूत नहीं होता या नहीं पैदा होगा ।

15. 'वाद हेतुक' पद ने न्यायिकतः स्थिर अर्थ ग्रहण कर लिया है । निर्बंधित भाव में वाद हेतुक का अर्थ अधिकार के उल्लंघन को समेकित करने वाली या कार्रवाई के लिए तत्काल अवसर देने वाली परिस्थितियां हैं । व्यापक अर्थ में, इसका अभिप्राय न केवल अभिकथित उल्लंघन बल्कि स्वयं अधिकार के साथ उल्लंघन को भी सम्मिलित करते हुए कार्यवाही को कायम रखने की आवश्यक शर्त है । संक्षेप में, पद का यह अभिप्राय है कि

---

[1] (2004) 8 एस. सी. सी. 100 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 4286.

ऐसा प्रत्येक तथ्य जो परिवादी के लिए न्यायालय के निर्णय हेतु अपने अधिकार या शिकायत के समर्थन के लिए साबित करना आवश्यक होगा । ऐसा प्रत्येक तथ्य, जिसे वाद हेतुक में सम्मिलित साक्ष्य के प्रत्येक भाग से भिन्न है जो ऐसे तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है, साबित किया जाना आवश्यक है ।

16. 'वाद हेतुक' पद कभी-कभी ऐसे तथ्यों या परिस्थितियों के निर्बंधित विचार को रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो या तो अधिकार का उल्लंघन या आधार गठित करता है और कुछ नहीं । व्यापक और अधिक गहन अर्थ में, इसका प्रयोग सम्पूर्ण महत्वपूर्ण तथ्यों को उपवर्णित करने के लिए किया जाता है ।

17. सामान्यतः, 'वाद हेतुक' पद को ऐसी स्थिति या तथ्यों के कथन के रूप में समझा जाता है जो पक्षकार को किसी न्यायालय या अधिकरण में कार्रवाई करने का हकदार बनाता है; स्थिर रहने के लिए एक या अधिक आधार प्रदान करते हुए प्रचलनात्मक तथ्यों का एक समूह है; ऐसी तथ्यात्मक स्थिति जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से न्यायालय में उपचार प्राप्त करने का हकदार बनाता है । 'वाद हेतुक' को तथ्यों का सम्पूर्ण सेट कहा जाता है जो प्रवर्तनीय दावा उद्भूत करता है; पद में ऐसा प्रत्येक तथ्य सम्मिलित होता है जिसका यदि विरोध न किया जाए तो वादी को निर्णय अभिप्राप्त करने के लिए साबित करना चाहिए (ब्लैक ला डिक्शनरी) । 'वर्डस एण्ड फैजेस' (चौथा संस्करण) में वाद हेतुक का आम विधिक भाषा में उन तथ्यों के अस्तित्व के रूप में समझा जाता है जो पक्षकार को उसकी ओर से न्यायिक हस्तक्षेप का अधिकार प्रदान करता है ।"

32. परिणामतः, धारा 27(ग), 2005 अधिनियम की धारा 27(क) और 27(ख) के उपबंधों के अपवाद के समान है । अनिवार्यतः, यह हो सकता है कि वाद हेतुक 2005 अधिनियम की धारा 27(क) या धारा 27(ख) के अधीन आने वाले स्थान पर प्रोद्भूत न हो । अधिनियम की धारा 27(क) और धारा 27(ख) के उपबंध राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के

सिद्धांत से संबंधित हैं । अधिनियम की धारा 27(क) और धारा 27(ख) में उपवर्णित आकस्मिकताओं में ऐसे स्थान का उल्लेख है जो किसी विशिष्ट न्यायालय की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उद्भूत हो सकेगा और वह व्यथित व्यक्ति द्वारा वाद लाने के स्थान का विनिश्चय करने के लिए मार्गदर्शी कारक होगा ।

33. पूर्वोक्त विश्लेषण के आधार पर जब वर्तमान मामले के तथ्यों की परीक्षा की गई, तो न्यायालय ने यह पाया कि पुनरीक्षणकर्ता ने रामपुर के सक्षम न्यायालय में परिवाद फाइल करने के लिए दोहरा अभिवाक् किया । पहला, यह अभिकथित है कि चूंकि पुनरीक्षणकर्ता अस्थायी रूप से रामपुर रह रहे है इसलिए, रामपुर के न्यायालय को अधिनियम की धारा 27(क) के अधिदेश के अनुसार परिवाद का विचारण करने की अधिकारिता होगी । दूसरा, यह भी निश्चित रूप से कहा गया है कि परिवाद फाइल करने का वाद हेतुक रामपुर में प्रोद्भूत हुआ इसलिए, रामपुर का न्यायालय 2005 अधिनियम की धारा 27(ग) के अनुसार पुनरीक्षणकर्ताओं का परिवाद की सुनवाई करने का सक्षम न्यायालय है । अंततः, साम्या के सिद्धांत पर यह कहा गया है कि यदि आवेदक अलीगढ़ में रह रहा है तो उसे रामपुर में परिवाद फाइल करने का कोई कारण नहीं हो सकता है । जब दोनों स्थानों के बीच की दूरी 160 किलोमीटर है और पुनरीक्षणकर्ताओं की उपस्थिति प्रत्येक दिन अपेक्षित है क्योंकि परिवाद का विचारण उसी तरह से किया जाता है जैसा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन आवेदन का विनिश्चय करने के लिए उपबंधित हैं ।

34. अपील न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए विपक्षी पक्षकार संख्या 1 द्वारा फाइल अपील मंजूर की कि इसमें पुनरीक्षणकर्ता अलीगढ़ में रहते हैं इसलिए घरेलू हिंसा याचिका रामपुर में पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा फाइल नहीं की जा सकती । निचले न्यायालय ने आगे यह निष्कर्ष निकाला कि अभिलेख पर यह साबित करने के लिए कुछ नहीं है कि इसमें पुनरीक्षणकर्ता अस्थायी रूप से रामपुर में रह रहे हैं न ही अभिलेख यह साबित करने के लिए ऐसी कोई सामग्री है कि कोई वाद हेतुक पुनरीक्षणकर्ताओं को रामपुर में प्रोद्भूत हुआ ।

35. तथापि, अपील न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश की संवीक्षा करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निचले न्यायालय ने विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा फाइल प्रारम्भिक आक्षेप को मंजूर करने की विधि की दृष्टि से गलती की है । अपील न्यायालय ने अभिलेख पर ऐसी सामग्री के बारे में कोई विनिर्दिष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला जिसके आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि रामपुर के न्यायालय को परिवाद का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है । स्वीकार्यतः, विपक्षी पक्षकार संख्या 2 की ओर से उठाए गए विधिक अभिवाक् के सिवाय विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा अपील न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई सामग्री फाइल नहीं की गई जिसके आधार पर यह भी अनुमान लगाया जा सके कि पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा अस्तित्वहीन तथ्यों पर रामपुर में याचिका फाइल की गई । एक ओर अपील न्यायालय ने धारा 27(क) और धारा 27(ख) के उपबंधों के बीच अन्तर और दूसरी ओर धारा 27(ग) की पूर्णतः उपेक्षा की । अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जिसके आधार पर विपक्षी पक्षकार संख्या 2 का अभिवाक् कि रामपुर में कोई वाद हेतुक उद्भूत नहीं हुआ, पर कार्यवाही के इस प्रक्रम पर विश्वास किया जा सके ।

36. यहां उपरोक्त दिए गए कारणों से, यह आपराधिक पुनरीक्षण सफल रहता है और मंजूर किया जाता है । 2017 की दांडिक अपील संख्या 17 (जकावतउल्ला खान **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में रामपुर के त्वरित निपटान न्यायालय संख्या 1, अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 18 अगस्त, 2017 के निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है । विचारण न्यायालय अर्थात् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर को इस आदेश की प्रमाणित प्रति के पेश किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर यथाशीघ्र 2016 के परिवाद मामला संख्या 246 (जेबा खान और अन्य **बनाम** जकावतउल्ला खान) का विनिश्चय करने का निर्देश दिया जाता है ।

पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया गया ।

पा.

सिंगरिया भूमिज

बनाम

उड़ीसा राज्य

तारीख 10 मई, 2018

न्यायमूर्ति डा. डी. पी. चौधरी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304-II [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त के बारे में यह अभिकथन किया जाना कि उसने अपनी पत्नी पर लाठी से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी हत्या हुई – शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह दर्शित होना कि मृत्यु का कारण मानसिक आघात और एनिमिया है – मृतका पर अधिकांश क्षतियां पैर के अग्र भाग और दोनों पैरों के जांघों पर पाई गई थीं जो शरीर के महत्वपूर्ण भागों पर नहीं थीं – डाक्टर के साक्ष्य के साथ मृत्युसमीक्षा साक्षियों के साक्ष्य से मृतका के बच्चों द्वारा केवल हमले के बारे में सुना न कि अपनी मां पर अभियुक्त द्वारा हमले करने की वारदात को देखा, अत: अभियुक्त-अपीलार्थी दोषमुक्त होने का हकदार है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 304-II [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – पुलिस द्वारा घटनास्थल पर दो लाठियों की बरामदगी – लाठियों की बरामदगी से अभियुक्त को अंगुलि को दर्शाना पर्याप्त नहीं है – रक्त परीक्षा रिपोर्ट के अभाव के कारण अभियुक्त और मृतका के रक्त समूह की साक्ष्य में कमी है – अभियुक्त के प्रत्यक्ष कार्य से मृतका के शरीर पर कारित की गई क्षतियों को साबित करने के लिए कोई अकाट्य प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक साक्ष्य मौजूद नहीं है – अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेह के परे घटना और आरोप को साबित करने में विफल हुआ है – अभियुक्त-अपीलार्थी संदेह का फायदा प्राप्त करने का हकदार है ।

अभियोजन मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका जो वर्तमान अपीलार्थी की पत्नी है, उसकी तीन पुत्रियां और दो पुत्र हैं । अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 9 जुलाई, 2011 को लगभग 11.00 बजे अपराह्न अपीलार्थी ने लाठी से मृतका पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । अगले दिन प्रात: मृतका के पिता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा शव की मृत्युसमीक्षा की गई थी । शव की शवपरीक्षण परीक्षा भी की गई थी । साक्षियों की परीक्षा की गई और मृतका और अपीलार्थी के रक्तरंजित कपड़े अभिगृहीत किए गए थे । अपराध का आयुध जिसे अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया, उसे भी अभिगृहीत किया गया । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन दोषसिद्धि का आदेश अभिलिखित किया गया और इसके अध्यधीन उसे दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा दोषसिद्ध और दंडादेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में वर्तमान अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 6 का साक्ष्य जो मृतका का दूसरा बालक है, ने यह कथन किया है कि उसने माता-पिता के बीच झगड़ा होने को सुना था, वह जाग गया और उसने देखा कि उसके पिता लाठी से उसकी माता पर हमला कर रहे थे परंतु इसके पश्चात् घर में चुपचाप माहौल था । उसके पिता ने पुन: उसकी माता पर हमला किया । उसकी माता ने पानी चाहा था परंतु उसके पिता ने उसको नहीं दिया । तब वे सोने चले गए और अगले दिन प्रात: उसने अपनी माता को मृत पाया । उसने प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि उनके सोने जाने के समय तक उसकी माता बाहर से वापस नहीं लौटी थी । साधारण तौर पर उसने यह कथन किया है कि उसके पिता ने रात्रि में उसकी माता पर हमला किया था परंतु उन्होंने हमले की घटना नहीं देखी और केवल घर के अंदर माता पर हमला करते हुए अभियुक्त को सुना था । उसने पुन: यह

अभिकथन किया है कि उसकी अपने पिता से अनबन रही है । इस प्रकार अभि. सा. 6 का साक्ष्य प्रतिपरीक्षा के दौरान काफी विचलित हुआ है । जब उसने हमले की घटना को नहीं देखा परंतु केवल हमले की आवाज सुनी और वह अपीलार्थी के प्रति ईर्ष्या की भावना भी रखता है, इसलिए, उसके साक्ष्य को विश्वास योग्य नहीं कहा जा सकता है जिससे कि एकमात्र रूप से उसका अवलंब लिया जाए । यद्यपि, मृतका का दूसरा बालक भी है उसके साक्ष्य से विश्वास प्रेरित नहीं होता है । अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य के साथ अभिग्रहण साक्षी के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि पुलिस ने अपराध के आयुध और अपीलार्थी और मृतका के पहने गए कपड़ों को अभिगृहीत किया गया था । अपराध के आयुध अभिग्रहण के बारे में उसने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त के कहने पर उसने दो लाठियां अभिगृहीत की और अभिग्रहण सूची प्रदर्श पी-7 तैयार की । इस तरह, अपीलार्थी के घर से केवल लाठी की बरामदगी से अपीलार्थी की अंगुलियों की ओर इंगित करना पर्याप्त नहीं है । इसके अतिरिक्त, अन्वेषण अधिकारी ने प्रदर्शित वस्तुओं को न्यायालयिक प्रयोगशाला रसूलगढ़ पर परीक्षा के लिए नहीं भेजा । इस बात को पुलिस द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष स्वीकार भी किया गया है । रक्त परीक्षा रिपोर्ट के अभाव के कारण अपीलार्थी और मृतका के रक्त ग्रुप के बारे में साक्ष्य में कमी प्रकट हुई है । संपूर्ण रूप से यह निष्कर्ष निकाला गया कि मृतका के शरीर पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कारित की गई क्षतियों को साबित करने का कोई अकाट्य संगत प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक साक्ष्य नहीं है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने डा. और मृतका के बच्चों का एकमात्र साक्ष्य का अवलंब लेकर अभियुक्त की दोषसिद्धि को आधार बनाया है । पहले भी यह मत व्यक्त किया गया है कि अभि. सा. 5 और 6 का साक्ष्य हितबद्ध रहा है जो बिना इसकी संपुष्टि के दोषसिद्धि का आधार नहीं होना चाहिए । इसलिए, यह भी मत व्यक्त किया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष घटना को साबित करने में विफल हुआ है और अपीलार्थी के विरुद्ध सभी संदेहों के परे आरोप भी साबित नहीं कर पाया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने असंगत सामग्री जो असंगत हैं, पायी है । इस तरह,

अपीलार्थी संदेह का फायदा पाने का हकदार है । (पैरा 11, 13 और 14)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2011] ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 3380 :
राजस्थान राज्य बनाम **अर्जुन सिंह और अन्य** । 7

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की जे. सी. आर. एल. अपील सं. 39.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री मंदाकिनी पांडा, न्यायमित्र

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अक्षय कुमार बेहेरा, अपर स्थायी काउंसेल

न्यायमूर्ति डा. डी. पी. चौधरी – यह अपील विद्वान् प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश रोवरकेला द्वारा 2011-14 के सेशन विचारण सं. 300/133/160 में दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध में तारीख 19 नवंबर, 2014 में पारित किए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है ।

2. अभियोजन मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका जो वर्तमान अपीलार्थी की पत्नी है, उसकी तीन पुत्रियां और दो पुत्र हैं । अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 9 जुलाई, 2011 को लगभग 11.00 बजे अपराह्न अपीलार्थी ने लाठी से मृतका पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । अगले दिन प्रात: मृतका के पिता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा शव की मृत्युसमीक्षा की गई थी । शव का शवपरीक्षण किया गया । साक्षियों की परीक्षा की गई और मृतका और अपीलार्थी के रक्तरंजित कपड़े अभिगृहीत किए गए थे । अपराध का आयुध जिसे अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया, उसे भी अभिगृहीत किया गया । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था ।

3. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन दोषसिद्धि का आदेश अभिलिखित किया गया और जिसके अधीन उसे दंडादिष्ट किया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित कथन के अनुसार प्रतिरक्षा अभिवाक् और अभियोजन साक्षियों को दिए गए सुझाव पर आरोपों से इनकार किया गया और अपीलार्थी ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया ।

4. अपीलार्थी की ओर से सुश्री पांडा विद्वान् न्यायमित्र ने यह निवेदन किया है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने बिना किसी सामग्री के सिद्ध हुए दोषसिद्धि का आदेश अभिलिखित करके विधि में गलती की है । उसके अनुसार, वह बाहरी साक्षी नहीं है बल्कि मृतका के पुत्र और पुत्री हैं जिन्होंने घटना के बारे में कथन किया है जिनके कथनों में पूर्ण विभेद हैं ।

5. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी निवेदन किया है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के संस्वीकृति कथन का अवलंब लिया है परंतु पुलिस के समक्ष किए गए कथन अग्राह्य हैं । क्योंकि वर्तमान अपीलार्थी की सदोषिता को साबित करने के लिए कोई अकाट्य स्पष्ट संगत साक्ष्य नहीं है, इसलिए, पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए ।

6. श्री ए. के. बेहेरा विद्वान् अपर स्थायी काउंसेल ने राज्य की ओर से यह निवेदन किया है कि निकट के नातेदारों के साक्ष्य का अवलंब लेने में विधि में कोई वर्जन नहीं किया गया है और यद्यपि मृतका के बच्चे अप्राप्तवय हैं । वे अभियोजन पक्षकथन की संपुष्टि के उत्तम प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । उसके अनुसार वर्तमान अपीलार्थी के कब्जे से अपराध के आयुध का भी अभिग्रहण किया गया है । इस तरह, उन्होंने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय का समर्थन किया है ।

चर्चा

7. **राजस्थान राज्य** बनाम **अर्जुन सिंह और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पैरा 14 में यह मत व्यक्त किया है जो इस प्रकार है :-

> " .....इस न्यायालय के विनिश्चयों की श्रृंखला में यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे साक्षियों के साक्ष्य का परिसाक्ष्य मात्र इस कारण से यह साक्षी मृतक के नातेदार हैं, इस कारण से उन्हें अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उनके परिसाक्ष्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए और यदि उनका परिसाक्ष्य तर्कपूर्ण पाया जाता है और इसमें कोई विभेद नहीं पाया जाता है तो उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए, देखिए अब्दुल राशिद अब्दुल रहिमन पटेल और अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(2007) 9 एस. सी. सी. 1 = 2007 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 4576] .....।"

8. पूर्वोक्त विनिश्चय का सम्मान करते हुए यह स्पष्ट है कि जिसमें नातेदार के साक्ष्य का अवलंब लेने का कोई वर्जन नहीं है । विधि में यह सुस्थिर है कि निकट के नातेदार का साक्ष्य की संवीक्षा की जानी चाहिए परंतु उसको त्यक्त नहीं किया जा सकता । विधि में यह भी सुस्थापित है कि न्यायालय को बारीकी से इसका विश्लेषण करना चाहिए और इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए जिससे कि यह निष्कर्ष निकलता हो कि क्या विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सही हैं ।

9. अभि. सा. 2 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि पुलिस ने मृतका के शव की मृत्युसमीक्षा की, देखिए प्रदर्श 2 । अभि. सा. 11 के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि उन्होंने नीमी भूमजी के शव की शव-परीक्षा की और 10 से 12 क्षतियां उस पर पाई गई थीं । मृत्यु का कारण तीव्र मानसिक आघात और अनीमिया के परिणामस्वरूप हुई थी । उन्होंने शवपरीक्षण रिपोर्ट साबित की, देखिए प्रदर्श 8 । उनके अनुसार,

---

[1] ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 3380.

अधिकांश क्षतियां दोनों पैर के फॉरलैग और जांघों पर पाई गई थीं जो शरीर के नाजुक भाग पर नहीं थी । इस प्रकार डा. का साक्ष्य मृत्युसमीक्षा के साक्ष्य के साथ देखा जाए तो साक्षियों ने व्यापक रूप से यह साबित किया है कि मृतका की मृत्यु मानव वध प्रकृति की थीं ।

10. अभि. सा. 5 के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि वह मृतका का पुत्र है । अभि. सा. 5 के अनुसार कि शाम को जब अपीलार्थी जो उसका पिता है उसने मृतका के बारे में पूछताछ की तो वह मृतका को नहीं पा सका परंतु मृतका रात्रि में घर पर विलंब से वापस लौटी थी । उसने अपने माता पिता के बीच झगड़े की घटना देखी थी और वर्तमान अपीलार्थी द्वारा मृतका पर हमला किए जाने की आवाज को भी सुना । उसने घटना देखे जाने का भी कथन किया है कि अपीलार्थी ने घर के बाहर उसकी माता पर हमला किया था और तब वह पुन: घर के अंदर घुसा । अगले दिन प्रात: उसके पिता ने उससे पूछा कि उसने अपनी माता को जीवित देखा या नहीं । वह घर के अंदर चला गया और उसने अपनी माता के शव को देखा । परंतु उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब तक वह सो नहीं गया था उसकी माता घर पर वापस नहीं लौटी थी । परंतु अगले दिन प्रात: उसने प्रथम बार अपनी मां को देखा । उसने आगे प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसकी माता की मृत्यु कैसे हुई इस बारे में वह कुछ नहीं कह सकता । जब अभि. सा. 5 सोने के लिए गया और अगले दिन प्रात: इसने अपनी माता को मृत पाया था । यह भी सुस्पष्ट है कि वह अपीलार्थी द्वारा मृतका पर हमला करने का साक्षी नहीं है । इस प्रकार, अभि. सा. 5 का साक्ष्य प्रतिपरीक्षा के दौरान विचलित करने वाला था । यद्यपि, अभि. सा. 5 मृतका का पुत्र है परंतु उसके साक्ष्य की संवीक्षा की गई और वह विश्वसनीय नहीं पाया गया ।

11. अभि. सा. 6 का साक्ष्य जो मृतका का दूसरा बालक है, ने यह कथन किया है कि उसने माता-पिता के बीच झगड़ा होने को सुना था, वह जाग गया और उसने देखा कि उसके पिता लाठी से उसकी माता पर हमला कर रहे थे परंतु इसके पश्चात् घर में शांत माहौल था । उसके

पिता ने पुन: उसकी माता पर हमला किया । उसकी माता ने पानी चाहा था परंतु उसके पिता ने उसको नहीं दिया । तब वे सोने चले गए और अगले दिन प्रात: उसने अपनी माता को मृत पाया । उसने प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि उनके सोने जाने के समय तक उसकी माता बाहर से वापस नहीं लौटी थी । साधारण तौर पर उसने यह कथन किया है कि उसके पिता ने रात्रि में उसकी माता पर हमला किया था परंतु उन्होंने हमले की घटना नहीं देखी और केवल घर के अंदर माता पर हमला करते हुए अभियुक्त को सुना था । उसने पुन: यह अभिकथन किया है कि उसकी अपने पिता से अनबन रही है । इस प्रकार अभि. सा. 6 का साक्ष्य प्रतिपरीक्षा के दौरान काफी विचलित हुआ है । जब उसने हमले की घटना को नहीं देखा परंतु केवल हमले की आवाज सुनी और वह अपीलार्थी के प्रति ईर्ष्या की भावना भी रखता है, इसलिए, उसके साक्ष्य को विश्वास योग्य नहीं कहा जा सकता है जिससे कि एकमात्र रूप से उसका अवलंब लिया जाए । यद्यपि, मृतका का दूसरा बालक भी है उसके साक्ष्य से विश्वास प्रेरित नहीं होता है ।

12. घटना को साबित करने के लिए किसी दूसरे साक्षी की परीक्षा नहीं की गई । अभि. सा. 1 का साक्ष्य जो मृतका का पिता है, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है परंतु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श-1 दर्ज की गई । उसके अनुसार, अपीलार्थी से पूछताछ करने पर उसने यह कथन किया कि वह अपराध का कर्ता है परंतु प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट किया गया कि पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर उसने ऐसा ही कथन किया था, इसलिए, अभि. सा. 1 अपीलार्थी की संस्वीकृति को साबित नहीं कर पाया । इस प्रकार, अपीलार्थी की संस्वीकृति पुलिस के समक्ष विफल हुई है । इस तरह पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं की गई है ।

13. अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य के साथ अभिग्रहण साक्षी के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि पुलिस ने अपराध के आयुध और अपीलार्थी और मृतका के पहने गए कपड़ों को अभिगृहीत किया गया था । अपराध के आयुध अभिग्रहण के बारे में उसने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त के कहने पर उसने दो लाठियां अभिगृहीत की और अभिग्रहण

सूची प्रदर्श पी-7 तैयार की । इस तरह, अपीलार्थी के घर से केवल लाठी की बरामदगी से अपीलार्थी की अंगुलियों की ओर इंगित करना ही पर्याप्त नहीं है । इसके अतिरिक्त, अन्वेषण अधिकारी ने प्रदर्शित वस्तुओं को न्यायालयिक प्रयोगशाला रसूलगढ़ पर परीक्षा के लिए नहीं भेजा । इस बात को पुलिस द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष स्वीकार भी किया गया है । रक्त परीक्षा रिपोर्ट के अभाव के कारण अपीलार्थी और मृतका के रक्त ग्रूप के बारे में साक्ष्य में कमी प्रकट हुई है ।

14. संपूर्ण रूप से यह निष्कर्ष निकाला गया कि मृतका के शरीर पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कारित की गई क्षतियां को साबित करने का कोई अकाट्य संगत प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक साक्ष्य नहीं है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने डा. और मृतका के बच्चों का एकमात्र साक्ष्य का अवलंब लेकर अभियुक्त की दोषसिद्धि को आधार बनाया है । पहले भी यह मत व्यक्त किया गया है कि अभि. सा. 5 और 6 का साक्ष्य हितबद्ध रहा है जो बिना इसकी संपुष्टि के दोषसिद्धि का आधार नहीं होना चाहिए । इसलिए, यह भी मत व्यक्त किया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष घटना को साबित करने में विफल हुआ है और अपीलार्थी के विरुद्ध सभी संदेहों के परे आरोप भी साबित नहीं कर पाया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने सामग्री असंगत पायी है । इस तरह, अपीलार्थी संदेह का फायदा पाने का हकदार है ।

15. इसलिए, विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा पारित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है ।

16. परिणामस्वरूप, दांडिक अपील मंजूर की जाती है और अपीलार्थी को यदि वह किसी अन्य मामले में निरुद्ध किया जाना अपेक्षित नहीं है तो उसे तत्काल निर्मुक्त किया जाता है ।

एल. सी. आर. तत्काल वापस किए जाते हैं ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

(2019) 1 दा. नि. प. 509 गुवाहाटी

गिरीश बयान

बनाम

असम राज्य

तारीख 31 मई, 2018

न्यायमूर्ति मीर अल्फाज अली

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 323 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – चोट – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त के बारे में यह अभिकथन किया जाना कि उसने दूसरे के उकसाने पर इत्तिलाकर्ता पर उसके मकान में नुकीले आयुध से हमला किया – अभियोजन साक्षियों द्वारा मकान से 150 मीटर दूर घटना घटने का कथन किया जाना – जबकि स्वतंत्र साक्षी द्वारा यह कथन किया जाना कि इत्तिलाकर्ता तार की घेराबंदी में उलझ कर गिर गया जिस कारण से चोट लगी – अभियोजन साक्षियों और स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य में घटना के स्थान और रीति के बारे में तात्विक विभेद प्रकट होना – अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में विफल हुआ है, अत: अभियुक्त संदेह का फायदा प्राप्त करने का हकदार है ।

अभियोजन पक्षकथन के अनुसार तारीख 7 फरवरी, 2008 को लगभग 6.00 बजे सायं याची गिरीश बयान ने अपने मकान के अहाते में अभि. सा. 1 रूपेन बयान पर हमला किया जिसके लिए जदू बोरा द्वारा उकसाया गया था । अभि. सा. 2 मामोनी बयान द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और अन्वेषण करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 341/323 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । वस्तुत: याची का विचारण किया गया था । विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 5 (पांच) साक्षियों की परीक्षा की और विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य का मूल्यांकन करके याची को दंड संहिता की धारा

323 के अधीन सिद्धदोष किया और उसके लिए दंड अधिनिर्णीत किया जैसाकि ऊपर उपदर्शित किया गया है । मामले में अपील करने पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश डिबरूगढ़ ने दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखते हुए अपील को खारिज कर दिया । दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर याची ने पुनरीक्षण याचिका फाइल की । पुनरीक्षण याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अत: जो कुछ भी घटित हुआ उसका अत्यधिक महत्व है कि दोनों निचले न्यायालयों ने अभि. सा. 4 के साक्ष्य की उपेक्षा की जो मामले का एकमात्र स्वतंत्र साक्षी था । अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य से भिन्न कहानी प्रकट होती है । अभि. सा. 4 के अनुसार, अभि. सा. 1 जदू बोरा के अहाते में जलाने की लकड़ी एकत्र करने के लिए घुसा था । उक्त जदू बोरा से इस बारे में पूछताछ करने पर कि वह उसके अहाते में क्यों गया था जब अभि. सा. 1 ने तार की घेराबंदी को पार करके जदू बोरा के आहते से एकदम चला गया था और वह तार की घेराबंदी से टकराकर नीचे गिरा था । यह कहानी अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य से प्रकट हुई है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए कथन की याची ने जदू बोरा के निदेश पर अभि. सा. 1 पर हमला किया तथा अभि. सा. 1 ने यह भी स्वीकार किया है कि जदू बोरा का अहाता उसके अहाते से सटा हुआ था । घटना के स्थान के बारे में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और अभि. सा. 1 के साक्ष्य के बीच तात्विक विभेद है, जिसके बारे में बताया गया है और उससे यह बात स्पष्ट है कि घटना की कहानी जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के माध्यम से तैयार की जानी ईप्सित है इस बात पर मुश्किल से विश्वास प्रेरित होता है कि अभियोजन का पक्षकथन दो भिन्न कहानियों पर प्रकट है जो अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के माध्यम से एक ओर और दूसरी ओर अभि. सा. 4 के माध्यम से प्रकट की गई है । ऐसी मुख्य विसंगतता अभियोजन पक्षकथन की गहराई तक जाती है और जिससे सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन के ढह जाने की संभावना है, निचले दोनों न्यायालयों के जानकारी से बच निकलना है कि जो कुछ अभियोजन साक्ष्य है जैसाकि अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा.

3 द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि या तो उन सभी ने न्यायालय के समक्ष झूठ बोला था या वास्तविक तथ्य को छुपाते हुए षड्यंत्रपूर्वक रची गई कहानी को सामने लाया गया और इस प्रकार इन तीनों साक्षियों में ऐसी कोई विश्वसनीयता नहीं पाई जा सकती । इन तीनों मुख्य साक्षियों के परिसाक्ष्य का त्यक्त करने के पश्चात्, अभियोजन पक्ष के पास तनिक भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं होगा जिससे कि याची के विरुद्ध आरोप सिद्ध होता हो । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया सम्पूर्ण साक्ष्य जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है, उससे स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि अभियोजन पक्षकथन जैसाकि अभि. सा. 1 क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है या उस मामले में अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 द्वारा मामले के बारे में बताया गया है, उस पर मुश्किल से विश्वास किया जा सकता है । आपराधिक मामले में तब तक कोई दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है जब तक कि उसकी दोषिता सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित न हो जाए । अभियोजन पक्ष याची के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप सिद्ध करने के लिए कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य देने में विफल हुआ है, इसलिए, याची की दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम नहीं रखा जा सकता । (पैरा 12 और 13)

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 228.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401/397 के अधीन पुनरीक्षण याचिका ।

आवेदन की ओर से श्री डी. चक्रवर्ती

प्रत्यर्थी की ओर से अपर लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति मीर अल्फाज अली – अपीलार्थी/आवेदक की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री एस. दत्ता तथा राज्य की ओर से सुश्री एस. जहान विद्वान् अपर लोक अभियोजक को सुना ।

2. यह पुनरीक्षण याचिका 2009 के दांडिक अपील सं. 33(4) में

विद्वान् सेशन न्यायाधीश डिबरूगढ़ द्वारा तारीख 25 फरवरी, 2010 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है । उक्त निर्णय द्वारा विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें जी. आर. मामला सं. 268/08 में विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तारीख 5 अक्तूबर, 2009 को पारित निर्णय और आदेश को कायम रखा गया था जिसके द्वारा याची को दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और एक मास के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया था ।

3. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार तारीख 7 फरवरी, 2008 को लगभग 6.00 बजे सायं याची गिरीश बयान ने अपने मकान के कैम्पस में अभि. सा. 1 रूपेन बयान पर हमला किया जिसके लिए जदू बोरा द्वारा उकसाया गया था । अभि. सा. 2 मामोनी बयान द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और अन्वेषण करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 341/323 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । वस्तुतः याची का विचारण किया गया था ।

4. विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 5 (पांच) साक्षियों की परीक्षा की और विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य का मूल्यांकन करके याची को दंड संहिता की धारा 323 के अधीन सिद्धदोष किया और उसके लिए दंड अधिनिर्णीत किया जैसाकि ऊपर उपदर्शित किया गया है । मामले में अपील करने पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश डिबरूगढ़ ने दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखते हुए अपील को खारिज कर दिया ।

5. दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर याची ने पुनरीक्षण याचिका फाइल की ।

6. मैंने विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री एस. दत्ता और विद्वान् अपर लोक अभियोजक सुश्री एस. जहान द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया और अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य और सामग्री पर भी विचार किया ।

7. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री एस. दत्ता ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्षकथन अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के मौखिक परिसाक्ष्य पर आधारित बातों को इंगित करता है जो सभी प्रकार विश्वसनीय नहीं थे और इस प्रकार इन अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर कोई दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती । आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए अपर लोक अभियोजक ने यह निवेदन किया कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था और इस प्रकार आक्षेपित निर्णय में साक्ष्य का पुन: मूल्यांकन करके और पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करके हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है ।

8. यद्यपि, विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि पुनरीक्षण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के फलस्वरूप अपील न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त है, पुनरीक्षण न्यायालय की अपनी स्वयं की सीमाएं हैं और, इस प्रकार, पुनरीक्षण शक्ति इस अपील पर लागू करने के समतुल्य नहीं हो सकती । उच्चतम न्यायालय द्वारा बार-बार यह मत व्यक्त किया गया है कि जब तक न्यायालय के निष्कर्ष जिसका विनिश्चय को पुनरीक्षित करने की ईप्सा नहीं की जाती है, इससे सम्पूर्ण रूप से अयुक्तियुक्त या बड़ी गलती प्रकट होती है या बिना कोई सामग्री प्रकट हुए आधार लिए जाने के प्रतिकूल या पूर्ण रूप से अभिलेख पर सामग्रियों की उपेक्षा करना दर्शित होता है तब पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय या आदेश पर हस्तक्षेप करने से विरत रहना चाहिए, यद्यपि इसमें भिन्न मत भी संभव है । उसी समय पुनरीक्षण न्यायालय मामले के तथ्यों पर विचार करने से साधारण रूप से विरत नहीं रह सकता है, यदि इस बारे में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए तथ्यों या साक्ष्य का विश्लेषण करने के लिए स्थिति आवश्यक हो । किसी निष्कर्ष की सत्यता, वैधता या उसकी गरिमा इत्यादि को भी पुनरीक्षत किया जाना चाहिए । पूर्वोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और इस बात के उद्देश्य को भी ध्यान में रखते हुए अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य पर भी मेरे द्वारा विचार किया जाना चाहिए ।

9. अभि. सा. 1 क्षतिग्रस्त व्यक्ति ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह अपने घर से थोड़ी दूरी पर था जिसकी दूरी उसके मकान से 150 मीटर है, अभियुक्त अचानक पीछे की ओर से आया और नुकीले आयुध से उसे चोट पहुंचाई । उसने शोरगुल किया जिसे सुनकर उसकी पुत्री घर से बाहर आई और उसे अस्पताल भेजा गया था । उसने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि जदू बोरा का अहाता उसके अहाते से मिला हुआ था । यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथन के अनुसार अभियुक्त याची ने जदू बोरा के निदेश पर अभि. सा. 1 पर हमला किया था जिसे आरोप पत्रित नहीं किया गया था ।

10. क्षतिग्रस्त व्यक्ति की पुत्री अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि वह अपने पिता के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकार मकान से बाहर आई और उसने देखा कि गिरीश बयान उसके पिता पर हमला कर रहा है । उसने भी चीख पुकार की जिसे सुनकर पड़ोस के लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनको तितर-बितर किया । अभि. सा. 2 के अनुसार, वह और अभि. सा. 3 एक साथ घटनास्थल पर पहुंचे । अभि. सा. 3 के अनुसार कि बरामदे से उसकी जानकारी में यह बात आई थी कि अभियुक्त याची अभि. सा. 1 पर हमला कर रहा है । वह अभि. सा. 2 के पीछे-पीछे घटनास्थल पर गई । तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के पूर्ववर्ती कथन से यह दर्शित होता है कि उनमें से किसी ने भी याची को अभि. सा. 1 पर हमला करते हुए नहीं देखा । अत, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 जिन्होंने अपने को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में दर्शाया है, वास्तव में अभि. सा. 2 या अभि. सा. 3 में से कोई भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं था जैसा कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से प्रकट है । इसलिए, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 को विश्वसनीय होना नहीं कहा जा सकता है ।

11. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया गया कि अभि. सा. 1 के अहाते के भीतर घटना घटी थी जबकि साक्ष्य के दौरान क्षतिग्रस्त

व्यक्ति सहित सभी साक्षियों ने यह कथन किया है कि घटना उसके मकान से 150 मीटर दूर पर घटी थी । यह स्थान तटबंध से अलग है ।

12. अत: जो कुछ भी घटित हुआ उसका अत्यधिक महत्व है कि दोनों निचले न्यायालयों ने अभि. सा. 4 के साक्ष्य की उपेक्षा की जो मामले का एकमात्र स्वतंत्र साक्षी था । अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य से भिन्न कहानी प्रकट होती है । अभि. सा. 4 के अनुसार, अभि. सा. 1 जदू बोरा के अहाते में जलाने की लकड़ी एकत्र करने के लिए घुसा था । उक्त जदू बोरा से इस बारे में पूछताछ की गई कि वह उसके अहाते में क्यों गया था जबकि अभि. सा. 1 तार की घेराबंदी को पार करके जदू बोरा के आहते से तुरंत चला गया था और वह तार की घेराबंदी से टकराकर नीचे गिरा था । यह कहानी अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्य से प्रकट हुई है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए कथन की याची ने जदू बोरा के निदेश पर अभि. सा. 1 पर हमला किया तथा अभि. सा. 1 ने यह भी स्वीकार किया है कि जदू बोरा का अहाता उसके अहाते से सटा हुआ था । घटना के स्थान के बारे में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और अभि. सा. 1 के साक्ष्य के बीच तात्विक विभेद है, जिसके बारे में बताया गया है और उससे यह बात स्पष्ट है कि घटना की कहानी जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के माध्यम से तैयार किया जाना ईप्सित है इस पर साधारण कारण पर मुश्किल से विश्वास प्रेरित होता है कि अभियोजन का पक्षकथन दो भिन्न कहानियों पर प्रकट है जो अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के माध्यम से एक ओर और दूसरी ओर अभि. सा. 4 के माध्यम से प्रकट की गई है । ऐसी मुख्य विसंगतता अभियोजन पक्षकथन की गहराई तक जाती है और जिससे सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन के ढह जाने की संभावना है, निचले दोनों न्यायालयों के जानकारी से बच निकलना है कि जो कुछ अभियोजन साक्ष्य है जैसाकि अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि या तो उन सभी ने न्यायालय के समक्ष झूठ बोला था या वास्तविक तथ्य को छुपाते हुए षड्यंत्रपूर्वक रची गई कहानी को सामने

लाया गया और इस प्रकार इन तीनों साक्षियों पर ऐसी कोई विश्वसनीयता नहीं पाई जा सकती । इन तीनों मुख्य साक्षियों के परिसाक्ष्य को त्यक्त करने के पश्चात्, अभियोजन पक्ष के पास तनिक भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं होगा जिससे कि याची के विरुद्ध आरोप सिद्ध होता हो ।

13. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया सम्पूर्ण साक्ष्य जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है, उससे स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि अभियोजन पक्षकथन जैसाकि अभि. सा. 1 क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है या उस मामले में अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 द्वारा मामले के बारे में बताया गया है, उस पर मुश्किल से विश्वास किया जा सकता है । आपराधिक मामले में तब तक कोई दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है जब तक कि उसकी दोषिता सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित न हो जाए । अभियोजन पक्ष याची के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप सिद्ध करने के लिए कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य देने में विफल हुआ है, इसलिए, याची की दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम नहीं रखा जा सकता ।

14. तद्नुसार जमानत मंजूर की जाती है और याची की दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किया जाता है ।

15. निचले न्यायालय के अभिलेख (एल. सी. आर.) वापस भेजे जाते हैं ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

(2019) 1 दा. नि. प. 517 पटना

जीवन कुमार संपंग

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 5 नवंबर, 2018

न्यायमूर्ति प्रकाश चन्द्र जयसवाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 [सपठित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5] – बलात्संग – वैश्यावृत्ति के लिए उकसाना – विदेश में अधिक कमाने का प्रलोभन देकर संभोग किए जाने का अभिकथन – पीड़िता का अपीलार्थी की शनाख्त न करना – बलपूर्वक ले जाए जाने के संबंध में पीड़िता का बस, रेलगाड़ी आदि में बैठे लोगों को न बताना – प्रत्यक्षदर्शी के परिसाक्ष्य का अभियोजन पक्षकथन से मेल न खाना – पीड़िता ने यह साक्ष्य नहीं दिया है कि उसे अधिक धन कमाने के लिए कुवैत भेजने को कहा गया था और न ही उसने बस, आटोरिक्शा और रेलगाड़ी में यात्रा करने के दौरान वहां बैठे यात्रियों को उसे बलपूर्वक ले जाने के संबंध में बताया था और साथ ही उसने अपीलार्थी की शनाख्त भी नहीं की है, ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्षकथन संदिग्ध हो जाता है और अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैक्सोल (रेल) पुलिस मामला सं. 8/2012 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 4/5 के अधीन अभियुक्त जीवन कुमार संपंग और प्रकाश चौधरी के विरुद्ध दलित महिला जन कल्याण संस्थान के सचिव सुमन कुमार पासवान की लिखित रिपोर्ट के आधार पर मामला संस्थित किया गया जिसमें संक्षिप्त रूप से यह अभिकथन किया गया कि तारीख 29 अप्रैल, 2012 को लगभग 8.05 बजे पूर्वाह्न में वह अपने वालंटियर बबिता पुरासैनी के साथ सत्याग्रह एक्सप्रैस रेलगाड़ी के यात्रियों को रैक्सोल रेलवे स्टेशन पर यात्रा संबंधी सुरक्षा को लेकर सलाह दे रहा था । इसी दौरान उन्होंने एक

लड़की देखी जिसका नाम सरिता साह था और वह दो व्यक्तियों के बीच में उस रेलगाड़ी के जनरल डिब्बे में संदिग्ध अवस्था में बैठी हुई थी । सरिता साह ने उसके पास बैठे हुए व्यक्तियों में से एक का नाम जीवन कुमार संपंग बताया और यह भी बताया कि वह उसे पैसा कमाने के लिए कुवैत भेज रहा है और उसने यह भी बताया कि उसके पास पासपोर्ट, नेपाल का वीजा और अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र नहीं हैं, जीवन कुमार संपंग ने सरिता साह को यह आश्वासन दिया हुआ है कि वह उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों का प्रबंध दिल्ली में 4-5 दिनों के भीतर करेगा और उसे कुवैत भेज देगा । उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को पकड़ने के बाद उन्होंने अपने नाम प्रकाश चौधरी और जीवन कुमार संपंग बताए । बबिता पुरासैनी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उस महिला ने यह बताया कि उपर्युक्त अभियुक्त उसे सत्याग्रह नामक रेलगाड़ी से दिल्ली ले जा रहे हैं और उसे वहां से चकमा देकर कुवैत भेज दिया जाएगा । इसके पश्चात् उपरोक्त तीनों व्यक्ति रेलगाड़ी से उतर आए और उन्हें जी. आर. पी. पुलिस थाने ले जाया गया । उपरोक्त मामले का अन्वेषण पुलिस द्वारा किया गया और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने जीवन कुमार संपंग, प्रकाश चौधरी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376/177 और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 4/5 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । आरोप पत्र और केस डायरी प्राप्त करने और उनका परिशीलन करने के पश्चात् विद्वान् मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त दोनों अभियुक्तों अर्थात् जीवन कुमार संपंग और प्रकाश चौधरी के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया और मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया और इसके पश्चात् मामला अन्त में तदर्थ अपर सेशन न्यायाधीश-III, पश्चिमी चंपारण, बेतिया को विचारण के लिए सुपुर्द कर दिया गया । दोनों अभियुक्तों अर्थात् जीवन कुमार संपंग और प्रकाश चौधरी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 177 और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 4/5 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया और अभियुक्त प्रकाश चौधरी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376 के अधीन भी आरोप विरचित किया गया जो न्यायालय द्वारा उन्हें

पढ़कर सुनाया गया जिस पर अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । इसके पश्चात् विचारण के दौरान अभियुक्त प्रकाश चौधरी फरार हो गया, इसलिए उसके मामले को जीवन कुमार संपंग के मामले से पृथक् कर दिया गया और इस प्रकार केवल एक अभियुक्त अर्थात् जीवन कुमार संपंग का विचारण किया गया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त कुमार संपंग को अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और साढ़े तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा दो हजार रुपए के जुर्माने से, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक मास के अतिरिक्त साधारण कारावास से, दंडादिष्ट किया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – लिखित रिपोर्ट में उल्लिखित अभियोजन पक्षकथन का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और सह-अभियुक्त प्रकाश चौधरी ने आहत को पैसा कमाने के लिए कुवैत भेजने की बात की थी और इस कार्य के लिए वे आहत को दिल्ली लेकर जा रहे थे जहां से उसे कुवैत भेजना था । किन्तु आहत सरिता साह ने, जिसकी परीक्षा इस मामले में अभि. सा. 1 के रूप में कराई गई है, अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि उसे आपत्तिजनक धन कमाने के लिए अपीलार्थी द्वारा कुवैत भेजने को कहा गया था, आहत ने केवल यह कथन किया है कि प्रकाश उसे काठमाण्डू लेकर गया था और उसने उसे एक होटल में ठहराया था और उसने आहत के साथ बलात्संग किया था । इसके पश्चात्, अपीलार्थी उसे बीरगंज ले गया । अपीलार्थी जीवन कुमार संपंग भी प्रकाश चौधरी के साथ था । बीरगंज में प्रकाश चौधरी ने उसे एक दिन के लिए होटल में ठहराया था और इसके पश्चात् वह उसे रैक्सोल स्टेशन ले गया जहां से उसे दिल्ली जाना था । आहत ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में यह भी कथन किया है कि प्रकाश उसे उसके गांव से अकेला ही काठमाण्डू ले गया था । आहत ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 4 में यह कथन किया है कि उसने जीवन कुमार संपंग की शनाख्त नहीं की है । आहत का उपरोक्त कथन अभियोजन

पक्षकथन से बिल्कुल मेल नहीं खाता है और उस पर अपीलार्थी की इस अपराध में सह-अपराधिता को लेकर घोर संदेह होता है । इसके अतिरिक्त, आहत के कथन सहित ऐसा कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि आहत को वेश्यावृत्ति के लिए कुवैत भेजना था और न ही आहत ने अपने परिसाक्ष्य में ऐसा कोई अभिकथन किया है । आहत ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 15 और 18 में यह साक्ष्य दिया है कि प्रकाश चौधरी उसे उसके ग्राम से काठमाण्डू ले गया था और काठमाण्डू से प्रकाश चौधरी और अपीलार्थी दोनों उसे बस द्वारा बीरगंज ले गए थे और बीरगंज से आटो रिक्शा द्वारा रैक्सोल ले गए थे और बस तथा आटो रिक्शा दोनों में ही यात्री भरे पड़े थे किन्तु उसने यात्रियों को और आटो रिक्शा चालक को उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा उसे बलपूर्वक ले जाए जाने के बारे में नहीं बताया । आहत ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 20 में यह भी कथन किया है कि उसने रेलगाड़ी में भी वहां बैठे यात्रियों को यह नहीं बताया था कि अभियुक्त उसे बलपूर्वक ले जा रहे हैं बल्कि उसने रेलगाड़ी से उतरने के बाद भी इस संबंध में नहीं बताया । लिखित रिपोर्ट का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और प्रकाश चौधरी को रेलगाड़ी में ही आहत के साथ गिरफ्तार किया गया था और वहां से उन्हें जी. आर. पी. पुलिस थाने ले जाया गया । उपर्युक्त अभियोजन पक्षकथन के बिल्कुल विरुद्ध इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 4) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में यह कथन किया है कि पहली बार उसने उपरोक्त दो अभियुक्तों और आहत सरिता साह को पुलिस थाने में देखा था । कंचन कुमारी (अभि. सा. 3) ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि वालंटियर बबीता पुरासैनी आहत को रेलगाड़ी से जी. आर. पी. पुलिस थाने ले गई थी । इस साक्षी ने अपीलार्थी के साथ आहत को गिरफ्तार किए जाने के संबंध में कथन किया है और यह भी बताया है कि इत्तिलाकर्ता द्वारा अपीलार्थी को जी. आर. पी. पुलिस थाने आहत के साथ ले जाया गया था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार जैसा कि लिखित रिपोर्ट से प्रकट होता है, अभियुक्त आहत के साथ सत्याग्रह-एक्सप्रैस-ट्रेन में बैठे हुए थे और उक्त ट्रेन में उन्हें आहत के साथ गिरफ्तार किया गया था किन्तु

वालंटियर बबीता पुरासैनी (अभि. सा. 2) जो अभिकथित रूप से रेलगाड़ी में आहत के साथ बातचीत कर रही थी, ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 1 में यह कथन किया है कि जब उसने आहत सरिता साह को रेलगाड़ी में देखा, तब वह अकेली बैठी हुई थी । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 में यह कथन किया है कि जब उसने रेलगाड़ी से सरिता को उतारा तब वह अकेली थी । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 1 में यह कथन किया है कि रेलगाड़ी में आहत से परिप्रश्न के दौरान, अपीलार्थी और प्रकाश चौधरी पानी की बोतल लेने के लिए उसके पास आए । किन्तु उपर्युक्त कथन के प्रतिकूल इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 में यह कथन किया है कि जब वे प्लेटफार्म पर ब्रिज के निकट सरिता से बातचीत कर रहे थे, उपर्युक्त दोनों अभियुक्त पानी की बोतल लेने वहां पहुंचे, जबकि इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 12 में यह कथन किया है कि बातचीत के दौरान दोनों अभियुक्त प्लेटफार्म पर बैठे हुए थे । यद्यपि पंकज पासवान (अभि. सा. 5) ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 1 में दो लड़कों और एक लड़की को पुलिस द्वारा सत्याग्रह-एक्सप्रैस-ट्रेन के जनरल डिब्बे से गिरफ्तार किए जाने का उल्लेख किया है और यह भी बताया कि उन व्यक्तियों को जी. आर. पी. पुलिस थाने ले जाया गया था किन्तु इस कथन के पूर्णतया प्रतिकूल अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह रेलगाड़ी के उक्त डिब्बे में बैठा हुआ नहीं था बल्कि उसने अभियुक्तों और आहत को प्लेटफार्म पर देखा था । इस प्रकार, रेलगाड़ी में आहत के साथ अपीलार्थी की मौजूदगी, रेलगाड़ी से आहत के साथ अपीलार्थी की गिरफ्तारी आदि जैसी बातों के संबंध में अभियोजन पक्षकथन और इत्तिलाकर्ता के कथन के बीच उपरोक्त महत्वपूर्ण विरोधाभास तथा साक्षियों के परिसाक्ष्यों के बीच आए अन्तर को दृष्टिगत करने पर आहत के साथ अपीलार्थी की मौजूदगी संदिग्ध हो जाती है और सत्याग्रह-एक्सप्रैस-ट्रेन में आहत के साथ हुई उसकी गिरफ्तारी भी संदिग्ध हो जाती है और इस पर भी संदेह होता है कि आहत को पैसा कमाने के लिए कुवैत भेजा जा रहा था और इस घटना में अपीलार्थी की सह-अपराधिता भी संदेहास्पद है । अपीलार्थी के विरुद्ध ऐसा कोई अभिकथन

नहीं किया गया है कि उसने काठमाण्डू के होटल में आहत के साथ बलात्संग किया था बल्कि अभियुक्त प्रकाश चौधरी भी आहत द्वारा उसकी मुख्य परीक्षा के दौरान ऐसा कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन सारभूत रूप से सिद्ध करने में असफल रहा है और अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप भी युक्तियुक्त संदेह के परे संगत, विश्वसनीय, विश्वासप्रद और विश्वासोत्पादक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किए गए हैं । इस प्रकार, अपीलार्थी के विरुद्ध विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । चूंकि अपीलार्थी जमानत पर है इसीलिए उसे जमानत पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है । (पैरा 14, 15 और 16)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 125.

2012 के सेशन विचारण मामला सं. 325 में तदर्थ अपर सेशन न्यायाधीश-III, पश्चिमी चंपारण, बेतिया द्वारा तारीख 20 दिसंबर, 2012 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री प्रिंस कुमार मिश्रा (न्यायमित्र)

प्रत्यर्थी की ओर से श्री जैड हुदा

न्यायमूर्ति प्रकाश चन्द्र जयसवाल – इस अपील के संबंध में, विद्वान् न्यायमित्र श्री प्रिंस कुमार मिश्रा और राज्य की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक की सुनवाई की गई है ।

2. यह दांडिक अपील 2012 के सेशन विचारण मामला सं. 325 में जो रैक्सोल (रेल) पुलिस मामला सं. 8/2012 से उदभूत है, तदर्थ अपर सेशन न्यायाधीश-III, पश्चिमी चंपारण, बेतिया द्वारा तारीख 20 दिसंबर, 2012 को पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त जीवन कुमार संपंग को अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा

5 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और साढ़े तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा दो हजार रुपए के जुर्माने से, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक मास के अतिरिक्त साधारण कारावास से, दंडादिष्ट किया ।

3. मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैक्सोल (रेल) पुलिस मामला सं. 8/2012 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 4/5 के अधीन अभियुक्त जीवन कुमार संपंग और प्रकाश चौधरी के विरुद्ध दलित महिला जन कल्याण संस्थान के सचिव सुमन कुमार पासवान की लिखित रिपोर्ट के आधार पर मामला संस्थित किया गया जिसमें संक्षिप्त रूप से यह अभिकथन किया गया कि तारीख 29 अप्रैल, 2012 को लगभग 8.05 बजे पूर्वाह्न में वह अपने वालंटियर बबिता पुरासैनी के साथ सत्याग्रह एक्सप्रैस रेलगाड़ी के यात्रियों को रैक्सोल रेलवे स्टेशन पर यात्रा संबंधी सुरक्षा को लेकर सलाह दे रहा था । इसी दौरान उन्होंने एक लड़की देखी जिसका नाम सरिता साह था और वह दो व्यक्तियों के बीच में उस रेलगाड़ी के जनरल डब्बे में संदिग्ध अवस्था में बैठी हुई थी । सरिता साह ने उसके पास बैठे हुए व्यक्तियों में से एक का नाम जीवन कुमार संपंग बताया और यह भी बताया कि वह उसे पैसा कमाने के लिए कुवैत भेज रहा है और उसने यह भी बताया कि उसके पास पासपोर्ट, नेपाल का वीजा और अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र नहीं हैं, जीवन कुमार संपंग ने सरिता साह को यह आश्वासन दिया हुआ है कि वह उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों का प्रबंध दिल्ली में 4-5 दिनों के भीतर करेगा और उसे कुवैत भेज देगा । उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को पकड़ने के बाद उन्होंने अपने नाम प्रकाश चौधरी और जीवन कुमार संपंग बताए । बबिता पुरासैनी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उस महिला ने यह बताया कि उपर्युक्त अभियुक्त उसे सत्याग्रह नामक रेलगाड़ी से दिल्ली ले जा रहे हैं और उसे वहां से चकमा देकर कुवैत भेज दिया जाएगा । इसके पश्चात् उपरोक्त तीनों व्यक्ति रेलगाड़ी से उतर आए और उन्हें जी. आर. पी. पुलिस थाने ले जाया गया ।

4. उपरोक्त मामले का अन्वेषण पुलिस द्वारा किया गया और

अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने जीवन कुमार संपंग, प्रकाश चौधरी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है) की धारा 376/177 और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 4/5 के अधीन अपराध के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया ।

5. आरोप पत्र और केस डायरी प्राप्त करने और उनका परिशीलन करने के पश्चात् विद्वान् मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त दोनों अभियुक्तों अर्थात् जीवन कुमार संपंग और प्रकाश चौधरी के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया और मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया और इसके पश्चात् मामला अन्त में तदर्थ अपर सेशन न्यायाधीश-III, पश्चिमी चंपारण, बेतिया को विचारण के लिए सुपुर्द कर दिया गया ।

6. दोनों अभियुक्तों अर्थात् जीवन कुमार संपंग और प्रकाश चौधरी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 177 और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 4/5 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया और अभियुक्त प्रकाश चौधरी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376 के अधीन भी आरोप विरचित किया गया जो न्यायालय द्वारा उन्हें पढ़कर सुनाया गया जिस पर अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । इसके पश्चात् विचारण के दौरान अभियुक्त प्रकाश चौधरी फरार हो गया, इसलिए उसके मामले को जीवन कुमार संपंग के मामले से पृथक् कर दिया गया और इस प्रकार केवल एक अभियुक्त अर्थात् जीवन कुमार संपंग का विचारण किया गया ।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में आहत सरिता साह (अभि. सा. 1), बबीता पुरासैनी (अभि. सा. 2), कंचन कुमारी (अभि. सा. 3), इत्तिलाकर्ता सुमन कुमार पासवान (अभि. सा. 4), पंकज पासवान (अभि. सा. 5), अन्वेषण अधिकारी मनोज कुमार (अभि. सा. 6) और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमित कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 8) की परीक्षा कराई है । अभियोजन पक्ष ने कुछ दस्तावेज फाइल किए हैं और उन्हें इस मामले

में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में साबित भी किए हैं ।

8. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया है । प्रतिरक्षा पक्ष का यह पक्षकथन है कि उसने इस घटना से इनकार किया है और निर्दोष होने का दावा किया है । अभियुक्त ने इस मामले में न तो कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रस्तुत किया है और न ही दस्तावेजी साक्ष्य ।

9. पक्षकारों को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का उपरोक्त निर्णय और आदेश पारित किया है जिसका उल्लेख पूर्ववर्ती पैराओं में विस्तार से किया गया है ।

10. दोषसिद्धि के उपरोक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर जीवन कुमार संपंग ने यह दांडिक अपील प्रस्तुत की है ।

11. इस मामले में विचार के लिए यह प्रश्न है कि क्या अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है या नहीं ।

12. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् न्यायमित्र द्वारा यह दलील दी गई है कि यद्यपि अपीलार्थी को अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है किन्तु अपीलार्थी के विरुद्ध आहत या अन्य किसी साक्षी द्वारा ऐसा कोई अभिकथन नहीं किया गया है कि आहत को वेश्यावृत्ति के लिए उकसाया गया था । इस प्रकार, अपीलार्थी के विरुद्ध अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 5 के अधीन कोई भी अपराध नहीं बनता है । यह भी दलील दी गई है कि चिकित्सीय रिपोर्ट, जिसे प्रदर्श-3 के रूप में चिह्नांकित किया गया है और डा. आलोक चन्दन (अभि. सा. 7) के परिसाक्ष्य के अनुसार आहत की आयु उस समय 19 वर्ष थी जब उसकी परीक्षा कराई गई थी और विद्वान् मजिस्ट्रेट श्री अमित कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 8) ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन आहत की आयु

अभिलिखित करते समय उन्होंने यह आंकलन किया कि उसकी आयु 20 वर्ष है । इस प्रकार, घटना के समय आहत वयस्क थी और स्वयं उसके कथनानुसार अभियुक्त प्रकाश चौधरी ने उसे काठमाण्डू के एक होटल में रखा था जहां वह प्रकाश चौधरी के साथ एक ही कमरे में ठहरी थी और उस कमरे में दो बिस्तर थे किन्तु रात में वे एक ही बिस्तर पर आ गए थे और इसके पश्चात् प्रकाश चौधरी ने उसके साथ बलात्संग किया और आहत तथा अभियुक्त प्रकाश चौधरी एक ही ग्राम के निवासी हैं । मामले के उक्त पहलू और कथन को दृष्टिगत करते हुए यह उपदर्शित होता है कि आहत ने प्रकाश चौधरी को संभोग की सहमति दे दी थी और इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के विरुद्ध ऐसा कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है । यह भी दलील दी गई है कि आहत के कथनानुसार उसे काठमाण्डू से बीरगंज बस द्वारा ले जाया गया था और वहां से आटो रिक्शा द्वारा रैक्सोल ले जाया गया था और बस और आटो रिक्शा में बहुत से यात्री थे किन्तु उसने अपीलार्थी द्वारा (एक स्थान से दूसरे स्थान पर) ले जाए जाने पर कहीं भी शोर मचाकर आपत्ति नहीं की और न ही इस बात पर कोई आपत्ति की कि अन्य अभियुक्त उसे वेश्यावृत्ति के लिए बलपूर्वक कुवैत भेज रहा था जिससे अभियोजन पक्षकथन पर घोर संदेह होता है । यह भी दलील दी गई है कि अभियोजन पक्षकथन और न्यायालय में दिए गए इत्तिलाकर्ता के कथन और रेलगाड़ी में आहत के साथ अपीलार्थी की मौजूदगी तथा रेलगाड़ी में ही अपीलार्थी को गिरफ्तार किए जाने आदि जैसी बातों के बीच महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं जिनसे अभियोजन पक्षकथन पर गंभीर रूप से संदेह होता है । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अभियोजन पक्षकथन साबित करने में असफल रहा है और अपीलार्थी के विरुद्ध तर्कसम्मत, विश्वसनीय, विश्वासप्रद और विश्वासोत्पादक साक्ष्य के आधार पर आरोप साबित करने में असफल रहा है । इस प्रकार, दोषसिद्धि का उपरोक्त निर्णय और आदेश, जो अपीलार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, अपास्त किया जाना चाहिए और अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

13. इसके प्रतिकूल, विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने दोषसिद्धि के

आक्षेपित निर्णय और आदेश की शुद्धता और विधिमान्यता का समर्थन करते हुए यह दलील दी है कि इत्तिलाकर्ता ने अभियोजन पक्षकथन का पूरी तरह समर्थन किया है और आहत और अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन की संपुष्टि की है और विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्य का ठीक ही मूल्यांकन करते हुए दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया है और वह कायम रखा जाना चाहिए और इस अपील में गुणता की कमी है जो खारिज किए जाने योग्य है ।

14. लिखित रिपोर्ट में उल्लिखित अभियोजन पक्षकथन का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और सह-अभियुक्त प्रकाश चौधरी ने आहत को पैसा कमाने के लिए कुवैत भेजने की बात की थी और इस कार्य के लिए वे आहत को दिल्ली लेकर जा रहे थे जहां से उसे कुवैत भेजना था । किन्तु आहत सरिता साह ने, जिसकी परीक्षा इस मामले में अभि. सा. 1 के रूप में कराई गई है, अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि उसे आपत्तिजनक धन कमाने के लिए अपीलार्थी द्वारा कुवैत भेजने को कहा गया था, आहत ने केवल यह कथन किया है कि प्रकाश उसे काठमाण्डू लेकर गया था और उसने उसे एक होटल में ठहराया था और उसने आहत के साथ बलात्संग किया था । इसके पश्चात्, अपीलार्थी उसे बीरगंज ले गया । अपीलार्थी जीवन कुमार संपंग भी प्रकाश चौधरी के साथ था । बीरगंज में प्रकाश चौधरी ने उसे एक दिन के लिए होटल में ठहराया था और इसके पश्चात् वह उसे रैक्सोल स्टेशन ले गया जहां से उसे दिल्ली जाना था । आहत ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में यह भी कथन किया है कि प्रकाश उसे उसके गांव से अकेला ही काठमाण्डू ले गया था । आहत ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 4 में यह कथन किया है कि उसने जीवन कुमार संपंग की शनाख्त नहीं की है । आहत का उपरोक्त कथन अभियोजन पक्षकथन से बिल्कुल मेल नहीं खाता है और उस पर अपीलार्थी की इस अपराध में सह-अपराधिता को लेकर घोर संदेह होता है । इसके

अतिरिक्त, आहत के कथन सहित ऐसा कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि आहत को वेश्यावृत्ति के लिए कुवैत भेजना था और न ही आहत ने अपने परिसाक्ष्य में ऐसा कोई अभिकथन किया है ।

15. आहत ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 15 और 18 में यह साक्ष्य दिया है कि प्रकाश चौधरी उसे उसके ग्राम से काठमाण्डू ले गया था और काठमाण्डू से प्रकाश चौधरी और अपीलार्थी दोनों उसे बस द्वारा बीरगंज ले गए थे और बीरगंज से आटो रिक्शा द्वारा रैक्सोल ले गए थे और बस तथा आटो रिक्शा दोनों में ही यात्री भरे पड़े थे किन्तु उसने यात्रियों को और आटो रिक्शा चालक को उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा उसे बलपूर्वक ले जाए जाने के बारे में नहीं बताया । आहत ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 20 में यह भी कथन किया है कि उसने रेलगाड़ी में भी वहां बैठे यात्रियों को यह नहीं बताया था कि अभियुक्त उसे बलपूर्वक ले जा रहे हैं बल्कि उसने रेलगाड़ी से उतरने के बाद भी इस संबंध में नहीं बताया । लिखित रिपोर्ट का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और प्रकाश चौधरी को रेलगाड़ी में ही आहत के साथ गिरफ्तार किया गया था और वहां से उन्हें जी. आर. पी. पुलिस थाने ले जाया गया । उपर्युक्त अभियोजन पक्षकथन के बिल्कुल विरुद्ध इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 4) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में यह कथन किया है कि पहली बार उसने उपरोक्त दो अभियुक्तों और आहत सरिता साह को पुलिस थाने में देखा था । कंचन कुमारी (अभि. सा. 3) ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि वालंटियर बबीता पुरासैनी आहत को रेलगाड़ी से जी. आर. पी. पुलिस थाने ले गई थी । इस साक्षी ने अपीलार्थी के साथ आहत को गिरफ्तार किए जाने के संबंध में कथन किया है और यह भी बताया है कि इत्तिलाकर्ता द्वारा अपीलार्थी को जी. आर. पी. पुलिस थाने आहत के साथ ले जाया गया था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार जैसा कि लिखित रिपोर्ट से प्रकट होता है, अभियुक्त आहत के साथ सत्याग्रह-एक्सप्रैस-ट्रेन में बैठे हुए थे और उक्त ट्रेन में उन्हें आहत के

साथ गिरफ्तार किया गया था किन्तु वालंटियर बबीता पुरासैनी (अभि. सा. 2) जो अभिकथित रूप से रेलगाड़ी में आहत के साथ बातचीत कर रही थी, ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 1 में यह कथन किया है कि जब उसने आहत सरिता साह को रेलगाड़ी में देखा, तब वह अकेली बैठी हुई थी । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 में यह कथन किया है कि जब उसने रेलगाड़ी से सरिता को उतारा तब वह अकेली थी । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 1 में यह कथन किया है कि रेलगाड़ी में आहत से परिप्रश्न के दौरान, अपीलार्थी और प्रकाश चौधरी पानी की बोतल लेने के लिए उसके पास आए । किन्तु उपर्युक्त कथन के प्रतिकूल इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 में यह कथन किया है कि जब वे प्लेटफार्म पर ब्रिज के निकट सरिता से बातचीत कर रहे थे, उपर्युक्त दोनों अभियुक्त पानी की बोतल लेने वहां पहुंचे, जबकि इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 12 में यह कथन किया है कि बातचीत के दौरान दोनों अभियुक्त प्लेटफार्म पर बैठे हुए थे । यद्यपि पंकज पासवान (अभि. सा. 5) ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 1 में दो लड़कों और एक लड़की को पुलिस द्वारा सत्याग्रह-एक्सप्रैस-ट्रेन के जनरल डिब्बे से गिरफ्तार किए जाने का उल्लेख किया है और यह भी बताया कि उन व्यक्तियों को जी. आर. पी. पुलिस थाने ले जाया गया था किन्तु इस कथन के पूर्णतया प्रतिकूल अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह रेलगाड़ी के उक्त डिब्बे में बैठा हुआ नहीं था बल्कि उसने अभियुक्तों और आहत को प्लेटफार्म पर देखा था । इस प्रकार, रेलगाड़ी में आहत के साथ अपीलार्थी की मौजूदगी, रेलगाड़ी से आहत के साथ अपीलार्थी की गिरफ्तारी आदि जैसी बातों के संबंध में अभियोजन पक्षकथन और इत्तिलाकर्ता के कथन के बीच उपरोक्त महत्वपूर्ण विरोधाभास तथा साक्षियों के परिसाक्ष्यों के बीच आए अन्तर को दृष्टिगत करने पर आहत के साथ अपीलार्थी की मौजूदगी संदिग्ध हो जाती है और सत्याग्रह-एक्सप्रैस-ट्रेन में आहत के साथ हुई उसकी गिरफ्तारी भी संदिग्ध हो जाती है और इस पर भी संदेह होता है

कि आहत को पैसा कमाने के लिए कुवैत भेजा जा रहा था और इस घटना में अपीलार्थी की सह-अपराधिता भी संदेहास्पद है । अपीलार्थी के विरुद्ध ऐसा कोई अभिकथन नहीं किया गया है कि उसने काठमाण्डू के होटल में आहत के साथ बलात्संग किया था बल्कि अभियुक्त प्रकाश चौधरी भी आहत द्वारा उसकी मुख्य परीक्षा के दौरान ऐसा कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है ।

16. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए मेरा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन सारभूत रूप से सिद्ध करने में असफल रहा है और अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप भी युक्तियुक्त संदेह के परे संगत, विश्वसनीय, विश्वासप्रद और विश्वासोत्पादक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किए गए हैं । इस प्रकार, अपीलार्थी के विरुद्ध विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । चूंकि अपीलार्थी जमानत पर है इसीलिए उसे जमानत-पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है ।

17. तद्नुसार, यह दांडिक अपील मंजूर की जाती है ।

18. इस निर्णय के प्रथम और अन्तिम पृष्ठ की प्रति विद्वान् न्यायमित्र श्री प्रिंस कुमार मिश्रा को सौंपी जाए और विद्वान् न्यायमित्र को पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा विहित की गई फीस का भी संदाय किया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

भाटो पासवान उर्फ नारायण पासवान और अन्य

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 8 फरवरी, 2019

न्यायमूर्ति हेमेन्त कुमार श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार मिश्रा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 323, 324 और 149 – हत्या – सामान्य उद्देश्य – अभियोजन पक्ष की ओर से मृतक की हत्या किए जाने का अभिकथन – अभियुक्तों द्वारा मृतक और आहत पर घातक आयुधों से हमला – चिकित्सा रिपोर्ट से हत्या का सामान्य उद्देश्य साबित न होना – रामदेव प्रसाद मंडल पर हमला किए जाने के समय पर उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया फिर भी उसको कारित क्षतियां साधारण प्रकृति की पाई गई हैं, अतः अभियुक्तों का उद्देश्य स्पष्टतः उसकी हत्या नहीं अपितु केवल क्षति पहुंचाना था, इसलिए अभियुक्तों को धारा 302 के अधीन नहीं अपितु धारा 149 के साथ पठित धारा 323 और 324 के अधीन ही दोषसिद्ध किया जा सकता है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 और 304, भाग-I – हत्या का अभिकथन – हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – मृतक का घटनास्थल पर बीच-बचाव करने के लिए पहुंचना – मुख्य अभियुक्त द्वारा मृतक के सिर पर गंडासे से तीन वार किया जाना – मृतक को धारदार आयुध से मुख्य अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई क्षति के आधार पर ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता है कि सभी अभियुक्तों का सामान्य उद्देश्य मृतक की हत्या करने का था किन्तु मुख्य अभियुक्त को हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के लिए दायी ठहराया जा सकता है और हत्या के अपराध के लिए की गई दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) ने अपना फर्द बयान (अभि. सा. 4) तारीख 16 मार्च, 1984 को लगभग अपराह्न 4.30 बजे पुलिस थाना

किशनगंज के सहायक उप-निरीक्षक भोला प्रसाद सिंह के समक्ष किशनगंज अस्पताल में दिया जिसमें यह उल्लेख किया कि तारीख 16 मार्च, 1984 को लगभग अपराह्न 1.00 बजे अपने चाचा बिशनदेव राय के साथ अपने खेत पर गया जो उसके घर की दक्षिण दिशा में स्थित है । जब वह खेत पर पहुंचा, उसने देखा कि अपीलार्थी उपेन्द्र पासवान अपने ही खेत की जुताई कर रहा है और अपीलार्थी भाटो पासवान **उर्फ** नारायण पासवान मिट्टी को समतल कर रहा था । उसने यह भी देखा कि उसके और अपीलार्थी उपेन्द्र पासवान के खेत के बीच की मेंड़ जुताई के कारण टूट गई जिसपर उसने आक्षेप किया और इसके पश्चात् अपीलार्थी उपेन्द्र पासवान ने यह प्रकथन किया कि उसे मेंड़ को ठीक करना पड़ेगा । इसके पश्चात्, अपीलार्थी उपेन्द्र पासवान खेत जोतने से रुक गया और अपने घर की ओर चल दिया और सभी अपीलार्थी योगेन्द्र पासवान, फूलो पासवान (मृतक) और उत्तिम पासवान (मृतक) के साथ लाठी, गंडासा, भाला और तीर-कमान लेकर खेत पर आ गए । अपीलार्थी सुदीन पासवान, तूलो पासवान और उत्तिम पासवान (मृतक) ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वह यही है जिसने उपेन्द्र पासवान को खेत जोतने से मना किया था और इन व्यक्तियों ने अपने साथियों को उपेन्द्र पासवान की हत्या करने को कहा । अतः, योगेन्द्र पासवान ने उसके सिर पर गंडासे से वार किया जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर के दायीं ओर क्षति कारित हुई और वह नीचे गिर गया तथा अचेत हो गया । इसके पश्चात्, अपीलार्थी गोलाट पासवान, तूलो पासवान और फूलो पासवान (मृतक) ने उस पर लाठी से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी बांह और पीठ पर क्षति पहुंची । उसे पीटता हुआ देखकर उसके चाचा बिशनदेव राय वहां आया और उसने हस्तक्षेप किया जिसपर अपीलार्थी सुदीन पासवान ने उसकी हत्या करने को कहा और इसके पश्चात् अपीलार्थी भाटो पासवान पुत्र सुदीन पासवान ने उसके चाचा बिशनदेव राय के सिर पर तीन से चार बार गंडासे से वार किया जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गया और इसके पश्चात् अन्य अपीलार्थियों ने इत्तिलाकर्ता के चाचा बिशनदेव राय को क्षतियां पहुंचाईं जिनके परिणामस्वरूप वह अचेत हो गया । चीख-पुकार की आवाज सुनकर

ग्रामवासी राजेन्द्र मंडल (जिसकी परीक्षा नहीं कराई गई है), अशर्फी मंडल (जिसकी परीक्षा नहीं कराई गई है), चन्द्रदेव राम (अभि. सा. 1), जागो मंडल (अभि. सा. 4), विश्वनाथ मंडल (अभि. सा. 6), महावीर मंडल (जिसकी परीक्षा नहीं कराई गई है) और अन्य व्यक्ति घटनास्थल की ओर गए जिसके पश्चात् सभी अभियुक्त वहां से भाग गए । उस समय अभियुक्त फूलो पासवान (मृतक) ने उसके हाथ से एक घड़ी छीन ली जिसका मूल्य 475/- रुपए था । इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल के उपरोक्त फर्द बयान (प्रदर्श 4) के आधार पर अपीलार्थी सहित 18 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना किशनगंज में मामला सं. 56/1984 दंड संहिता की धारा 147, 148, 323, 324, 307 और 379 के अधीन दर्ज किया गया । इसके पश्चात्, बिशनदेव प्रसाद राय अर्थात् इत्तिलाकर्ता के चाचा की मृत्यु हो गई और तद्नुसार दंड संहिता की धारा 302 भी जोड़ी गई । अन्वेषण के पश्चात् तारीख 6 जुलाई, 1984 को पुलिस ने 19 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जिसमें इन अभियुक्तों को अपीलार्थियों के साथ दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307, 379, 302 और 407 के अधीन अपराधों के लिए नामित किया । इसके पश्चात्, मामले का संज्ञान लिया गया और इसे सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया । अपर सेशन न्यायाधीश–III, मधेपुरा ने अपीलार्थी भाटो पासवान पुत्र सुदीन पासवान को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है) की धारा 302 के अधीन और योगेन्द्र पासवान को दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और तद्नुसार सभी अपीलार्थियों और योगेन्द्र पासवान को आजीवन कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया था । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी भाटो पासवान पुत्र सुदीन पासवान और योगेन्द्र पासवान को दंड संहिता की धारा 148 के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया था और शेष अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 147 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और उन्हें एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया था । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त योगेन्द्र पासवान को दंड संहिता की धारा 324 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया

गया, जबकि अपीलार्थी गुलाट पासवान और तूलो पासवान को दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और छह मास के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया, इसके अतिरिक्त अपीलार्थी भाटो पासवान **उर्फ** नारायण पासवान को दंड संहिता की धारा 447 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और एक मास के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया । तथापि, सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का आदेश भी किया गया । अपर सेशन न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – जागो मंडल (अभि. सा. 4), विश्वनाथ मंडल (अभि. सा. 6) और रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि जब रामदेव प्रसाद मंडल अपने भाई राजदीप प्रसाद मंडल के खेत पर पहुंचा था तब उसने यह देखा कि उसके खेत की मेंड़ पर उपेन्द्र पासवान हल चला रहा है और भाटो पासवान **उर्फ** नारायण पासवान खेत की मिट्टी समतल कर रहा था । जब रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) ने आपत्ति की तब उपेन्द्र पासवान ने यह प्रकथन किया कि वह ऐसा ही करेगा और इसके पश्चात् रामदेव प्रसाद मंडल और उपेन्द्र पासवान के बीच कहा-सुनी हो गई । उपेन्द्र पासवान वहां से अपने घर की ओर चल दिया और फूलो पासवान (मृतक), उत्तिम पासवान (मृतक), योगेन्द्र पासवान और अपीलार्थियों के साथ पुनः खेत पर आया । इसके पश्चात् उत्तिम पासवान (मृतक) और तूलो पासवान (अपीलार्थी सं. 7) के उकसाने पर योगेन्द्र पासवान ने रामदेव प्रसाद मंडल के सिर पर गंडासे से वार किया जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर से रक्त बहने लगा और वह नीचे गिर गया, इसके पश्चात् गुलाट पासवान (अपीलार्थी सं. 6), तूलो पासवान (अपीलार्थी सं. 7) और फूलो पासवान (मृतक) ने उसके माथे और पीठ पर क्षति कारित की । रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) पर हमला होते और क्षतिग्रस्त होते देखकर उसका चाचा बिशनदेव राय दौड़कर उसे बचाने पहुंचा, इसके पश्चात् सुदीम पासवान (अपीलार्थी सं. 5) के उकसाने पर भाटो पासवान (अपीलार्थी सं. 2) ने बिशनदेव राय के सिर पर गंडासे से तीन वार किए जिसके

परिणामस्वरूप उसके सिर से रक्त बहने लगा और वह नीचे गिर गया किन्तु वह पुनः उठा और पश्चिमी दिशा की ओर भागा और इसके पश्चात् वह बंगाली मंडल के गड्ढे में गिर गया, जहां पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित अपीलार्थियों सहित सभी अभियुक्त लाठियों से उस पर हमला करने लगे । डा. भागीरथ झा के अनुसार रामदेव प्रसाद मंडल के शरीर पर चार क्षतियां कारित हुई जिनमें से एक क्षति छिन्न घाव के रूप में पाई गई है जिसका आकार 2 इंच × 1/4 इंच है और गहराई त्वचा तक है और इस क्षति की स्थिति सिर के बाईं ओर ऊपरी मध्य कपालीय भाग में है जिसकी प्रकृति साधारण है और इसके शरीर के अन्य भागों में तीन जगह पर सूजन पायी गई है जो साधारण प्रकृति की है । रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) पर हमला करने के समय कोई भी बीच-बचाव करने नहीं आया है । इस प्रकार, रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) की क्षति से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों का हत्या कारित करने का सामान्य उद्देश्य कोई नहीं था बल्कि रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) को क्षति पहुंचाने का ही उद्देश्य था । रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) पर हमला होते और क्षतिग्रस्त होते देखकर मृतक बिशनदेव राय उसे बचाने के लिए दौड़ा था और उसने हस्तक्षेप किया था, इसके पश्चात् भाटो पासवान (अभि. सा. 2) ने उसके सिर पर गंडासे से तीन वार किए, अतः बिशनदेव राय को धारदार आयुध से भाटो पासवान (अपीलार्थी सं. 2) द्वारा पहुंची घोर क्षति के आधार पर ऐसा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि सभी अभियुक्तों का सामान्य उद्देश्य मृतक बिशनदेव राय की हत्या करने का था । भाटो पासवान (अपीलार्थी सं. 2) को भी उस दौरान क्षतियां पहुंची थीं जैसा कि प्रदर्श ग/1 से स्पष्ट है, अतः उसे मृतक बिशनदेव राय के सिर पर तीन क्षतियां कारित करने के कारण दंड संहिता की धारा 304, भाग-I के अधीन हत्या की कोटि न आने वाले मानव वध के लिए अभिनिर्धारित किया जा सकता है । उपरोक्त चर्चा के आधार पर सभी अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 324 और 149 के साथ पठित धारा 323 के अधीन अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया जाता है । इसके अतिरिक्त, भाटो पासवान पुत्र

सुदीम पासवान को दंड संहिता की धारा 304, भाग-I के अधीन अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया जाता है । दंड संहिता की धारा 302 और 148 के अधीन भाटो पासवान (अपीलार्थी सं. 2) की दोषसिद्धि, दंड संहिता की धारा 147 के अधीन अन्य अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और दंड संहिता की धारा 447 के अधीन भाटो पासवान **उर्फ** नारायण पासवान (अपीलार्थी सं. 1) की दोषसिद्धि एतद्द्वारा अपास्त की जाती है । अभिलेख से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी सं. 2 अर्थात् भाटो पासवान पुत्र सुदीम पासवान लगभग पांच वर्ष और पांच मास से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है और शेष अपीलार्थी दोषसिद्ध किए जाने के पश्चात् लगभग दो मास से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं और दोषसिद्ध किए जाने के लगभग एक मास पहले से वे न्यायिक अभिरक्षा में थे । अतः, अपीलार्थी को पहले से भोगे गए कारावास जितनी अवधि के लिए दंडादिष्ट किया जाता है । (पैरा 19, 20 और 21)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1993 की दांडिक अपील सं. 560.

1980 के सेशन विचारण मामला सं. 143 के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री सूर्य नीलम्बरी (न्यायमित्र)

प्रत्यर्थी की ओर से श्री शिवेश चन्द्र मिश्रा, अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार मिश्रा ने दिया ।

न्या. मिश्रा – यह दांडिक अपील, सेशन विचारण मामला सं. 143/1986 में पारित किए गए तारीख 26 नवम्बर, 1993 के दोषसिद्धि के उस निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके अधीन अपर सेशन न्यायाधीश-III, माधेपुरा ने अपीलार्थी भाटो पासवान पुत्र सुदीन पासवान को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है) की धारा 302 के अधीन और योगेन्द्र पासवान को दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और तद्नुसार सभी अपीलार्थियों और योगेन्द्र पासवान को आजीवन कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया था । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी भाटो पासवान पुत्र सुदीन पासवान और

योगेन्द्र पासवान को दंड संहिता की धारा 148 के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया था और शेष अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 147 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और उन्हें एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया था । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त योगेन्द्र पासवान को दंड संहिता की धारा 324 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया, जबकि अपीलार्थी गुलाट पासवान और तूलो पासवान को दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और छह मास के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया, इसके अतिरिक्त अपीलार्थी भाटो पासवान **उर्फ** नारायण पासवान को दंड संहिता की धारा 447 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और एक मास के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया । तथापि, सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का आदेश भी किया गया ।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) ने अपना फर्द बयान (अभि. सा. 4) तारीख 16 मार्च, 1984 को लगभग अपराह्न 4.30 बजे पुलिस थाना किशनगंज के सहायक उप-निरीक्षक भोला प्रसाद सिंह के समक्ष किशनगंज अस्पताल में दिया जिसमें यह उल्लेख किया कि तारीख 16 मार्च, 1984 को लगभग अपराह्न 1.00 बजे अपने चाचा बिशनदेव राय के साथ अपने खेत पर गया जो उसके घर की दक्षिण दिशा में स्थित है । जब वह खेत पर पहुंचा, उसने देखा कि अपीलार्थी उपेन्द्र पासवान अपने ही खेत की जुताई कर रहा है और अपीलार्थी भाटो पासवान **उर्फ** नारायण पासवान मिट्टी को समतल कर रहा था । उसने यह भी देखा कि उसके और अपीलार्थी उपेन्द्र पासवान के खेत के बीच की मेंड़ जुताई के कारण टूट गई जिसपर उसने आक्षेप किया और इसके पश्चात् अपीलार्थी उपेन्द्र पासवान ने यह प्रकथन किया कि उसे मेंड़ को ठीक करना पड़ेगा । इसके पश्चात्, अपीलार्थी उपेन्द्र पासवान खेत जोतने से रुक गया और अपने घर की ओर चल दिया और सभी अपीलार्थी योगेन्द्र पासवान, फूलो पासवान (मृतक) और उत्तिम पासवान (मृतक) के साथ लाठी, गंडासा, भाला और तीर-कमान लेकर खेत पर आ गए । अपीलार्थी सुदीन पासवान, तूलो पासवान और उत्तिम पासवान (मृतक) ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वह यही है जिसने उपेन्द्र पासवान को खेत

जोतने से मना किया था और इन व्यक्तियों ने अपने साथियों को उपेन्द्र पासवान की हत्या करने को कहा । अतः, योगेन्द्र पासवान ने उसके सिर पर गंडासे से वार किया जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर के दायीं ओर क्षति कारित हुई और वह नीचे गिर गया तथा अचेत हो गया । इसके पश्चात्, अपीलार्थी गोलाट पासवान, तूलो पासवान और फूलो पासवान (मृतक) ने उस पर लाठी से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी बांह और पीठ पर क्षति पहुंची । उसे पीटता हुआ देखकर उसके चाचा बिशनदेव राय वहां आया और उसने हस्तक्षेप किया जिसपर अपीलार्थी सुदीन पासवान ने उसकी हत्या करने को कहा और इसके पश्चात् अपीलार्थी भाटो पासवान पुत्र सुदीन पासवान ने उसके चाचा बिशनदेव राय के सिर पर तीन से चार बार गंडासे से वार किया जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गिया और इसके पश्चात् अन्य अपीलार्थियों ने इत्तिलाकर्ता के चाचा बिशनदेव राय को क्षतियां पहुंचाईं जिनके परिणामस्वरूप वह अचेत हो गया । चीख-पुकार की आवाज सुनकर ग्रामवासी राजेन्द्र मंडल (जिसकी परीक्षा नहीं कराई गई है), अशर्फी मंडल (जिसकी परीक्षा नहीं कराई गई है), चन्द्रदेव राम (अभि. सा. 1), जागो मंडल (अभि. सा. 4), विश्वनाथ मंडल (अभि. सा. 6), महावीर मंडल (जिसकी परीक्षा नहीं कराई गई है) और अन्य व्यक्ति घटनास्थल की ओर गए जिसके पश्चात् सभी अभियुक्त वहां से भाग गए । उस समय अभियुक्त फूलो पासवान (मृतक) ने उसके हाथ से एक घड़ी छीन ली जिसका मूल्य 475/- रुपए था ।

3. इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल के उपरोक्त फर्द बयान (प्रदर्श 4) के आधार पर अपीलार्थी सहित 18 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना किशनगंज में मामला सं. 56/1984 दंड संहिता की धारा 147, 148, 323, 324, 307 और 379 के अधीन दर्ज किया गया । इसके पश्चात्, बिशनदेव प्रसाद राय अर्थात् इत्तिलाकर्ता के चाचा की मृत्यु हो गई और तद्नुसार दंड संहिता की धारा 302 भी जोड़ी गई ।

4. अन्वेषण के पश्चात् तारीख 6 जुलाई, 1984 को पुलिस ने 19 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जिसमें इन अभियुक्तों को अपीलार्थियों के साथ दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 324,

307, 379, 302 और 407 के अधीन अपराधों के लिए नामित किया । इसके पश्चात्, मामले का संज्ञान लिया गया और इसे सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया साथ ही इस मामले को सेशन विचारण मामला सं. 143/1986 के रूप में नम्बरीकृत किया गया । यह उल्लेखनीय है कि आरोप विरचित करने के पूर्व तारीख 15 दिसम्बर, 1987 को अभियुक्त उत्तिम पासवान के प्रति कार्यवाही उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उपशमित कर दी गई और अभियुक्त फूलो पासवान के संबंध में भी आरोप पत्र विरचित किए जाने के पश्चात् तारीख 18 जनवरी, 1988 को उसकी मृत्यु हो जाने के कारण कार्यवाही उपशमित कर दी गई ।

5. अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान कुल मिलाकर 9 साक्षियों की परीक्षा कराई और अपने पक्षकथन के समर्थन में अनेक दस्तावेज प्रदर्शित कराए ।

6. इसके प्रतिकूल, प्रतिरक्षापक्ष ने अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई है किन्तु तारीख 16 मार्च, 1984 को पुलिस थाना किशनगंज में दर्ज किए गए मामला सं. 55 के संबंध में उत्तिम पासवान के फर्द बयान को प्रदर्श-क के रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत किया, इसके साथ ही पुलिस थाना किशनगंज से संबंधित तारीख 7 जून, 1984 को तैयार किया गया आरोप पत्र सं. 26 (तारीख 16 मार्च, 1984 का मामला सं. 55) को प्रदर्श-ख के रूप में प्रस्तुत किया है और उत्तिम पासवान की क्षति रिपोर्ट (जो तारीख 16 मार्च, 1984 को तैयार की गई), अपीलार्थी सं. 2 अर्थात् भाटो पासवान पुत्र सुदीन पासवान और योगेन्द्र पासवान की क्षति रिपोर्ट क्रमशः ग, ग/1 और ग/2 प्रस्तुत की गई । अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से फाइल किए गए दस्तावेजों को दृष्टिगत करने पर प्रतिरक्षा मामला इस प्रकार है कि अभियोजन पक्ष द्वारा खेत की मेंड़ तोड़ देने के कारण जब विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया गया तब अभियोजन पक्षकार ने मार-पीट आरम्भ की ।

7. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य की संवीक्षा करने पर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों और योगेन्द्र पासवान को उपरोक्त रूप में आक्षेपित निर्णय और दंडादेश के अनुसार दोषसिद्ध किया ।

8. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् न्यायमित्र सुश्री सूर्य नीलम्बरी ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश को यह दलील देते हुए चुनौती दी है कि विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन सही परिप्रेक्ष्य में करने में असफल रहा है जिसके परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष गलत है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि जागो मंडल (अभि. सा. 4), विश्वनाथ मंडल (अभि. सा. 6) और रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि खेत जोतने और उसकी मेंड़ तोड़ने के संबंध में अभि. सा. 7 द्वारा की गई आपत्ति के आधार पर उत्तिम पासवान (मृतक) उसके घर गया और इसके पश्चात् सभी अपीलार्थी जिनमें वे अभियुक्त भी सम्मिलित थे जिन्हें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित किया गया है, विभिन्न प्रकार के आयुधों से लैस होकर राजदीप मंडल के खेत पर पहुंचे । इसके पश्चात्, अपीलार्थी सुदीन पासवान, तूलो पासवान और उत्तिम पासवान (मृतक) के उकसाने पर योगेन्द्र पासवान ने गंडासे से वार किया जिसके परिणामस्वरूप रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) के सिर में क्षति कारित हुई । तूलो, फूलो और गुल्लो ने भी उसे लाठी से क्षतियां पहुंचाई । जब मृतक बिशनदेव राय बचाने के लिए वहां पहुंचा, तब अपीलार्थी सुदीन पासवान के कहने पर भाटो पासवान पुत्र सुदीन पासवान ने बिशनदेव राव के सिर पर लगातार गंडासे से वार किए, उसके पश्चात् बिशनदेव राय पश्चिम दिशा की ओर भाग गया और बंगाली मंडल के गड्डे में गिर गया जहां पर सभी अपीलार्थियों ने उस पर लाठियों से हमला किया । किन्तु मृतक बिशनदेव राय के भाई चन्द्रदेव राय ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि घटना के बारे में जानकारी मिलने पर जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, तब उसने रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) और बिशनदेव (मृतक) को राजदेव मंडल के खेत में पड़े हुए देखा जिनके सिर से रक्त बह रहा था और इस मामले के इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) ने अपने फर्द बयान और पुनः दिए गए बयान में यह उल्लेख नहीं किया है कि मृतक बिशनदेव राय अपीलार्थी सं. 2 द्वारा सिर में क्षति कारित किए जाने पर भाग गया था बल्कि वह बंगाली मंडल के गड्डे में गिर गया था, इसके

पश्चात् सभी अपीलार्थी वहां पहुंचे और उन्होंने लाठी से उस पर हमला किया । इस मामले में अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा नहीं कराई गई है जिसके परिणामस्वरूप द्वितीय घटनास्थल अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है । सुश्री सूर्य नीलम्बरी ने यह भी दलील दी है कि यदि जागो मंडल (अभि. सा. 4), विश्वनाथ मंडल और रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) का साक्ष्य सत्य मान लिया जाए, तब भी यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित अन्य अभियुक्त, उत्तिम पासवान (मृतक) के खेत से सटे राजदीप मंडल के खेत पर पहुंचे थे जहां पर योगेन्द्र पासवान ने फरसे से वार किया था जिसके परिणामस्वरूप रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) के सिर से रक्त बहने लगा, और गुलाट पासवान, तूलो पासवान और फूलो पासवान (मृतक) ने उसे लाठी से क्षति कारित की । डा. भागीरथ झा (अभि. सा. 8) ने इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) के शरीर पर साधारण प्रकृति की क्षतियां पाईं । इस प्रकार, केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्तों का सामान्य उद्देश्य केवल इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) जिसने खेत जोतने पर आपत्ति की थी, को क्षति पहुंचाना था न कि मात्र मृतक बिशनदेव राय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर अपीलार्थी सं. 2 द्वारा उसके सिर पर गंडासे से वार करवा कर हत्या करवाना । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि प्रदर्श-क से यह प्रतीत होता है कि इसी समय और इसी घटनास्थल के संबंध में पुलिस थाना किशनगंज में मामला सं. 55/1984 उत्तिम पासवान (मृतक) द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर दर्ज कराया गया था जिसमें उत्तिम पासवान, भाटो पासवान पुत्र सुदीन पासवान और योगेन्द्र पासवान को अभियोजन पक्ष द्वारा क्षति कारित किए जाने का अभिकथन किया गया था और ये क्षतियां इत्तिलाकर्ता के भाई राजदीप मंडल द्वारा मेंड़ तोड़ने पर उत्तिम पासवान द्वारा की गई आपत्ति के कारण कारित की गई थी । अन्वेषण के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने इस मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया किन्तु अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया और यह भी इनकार किया कि मृतक उत्तिम पासवान, भाटो पासवान पुत्र सुदीन पासवान और योगेन्द्र पासवान को क्षतियां पहुंची थीं किन्तु रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7)

ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 17 में यह स्वीकार किया है कि इसी घटना के संबंध में अभियुक्तों ने ऐसा मामला दर्ज कराया था जो श्री मंडल किस्कू के न्यायालय में लम्बित है और इस मामले में वह जमानत पर है । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने ही मार-पीट आरम्भ की है किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा सच्चाई को छिपाया गया है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि यद्यपि अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 7 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि जब मृतक बिशनदेव राय, रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) को बचाने के लिए दौड़ा था, अपीलार्थी सं. 2 (भाटो पासवान) ने उसके सिर पर फरसे से तीन बार वार किया किन्तु प्रदर्श ग/1 से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी सं. 2 को भी उस समय क्षतियां पहुंचीं थीं, इस प्रकार बिशनदेव राय के सिर पर तीन क्षतियां कारित किए जाने के लिए अपीलार्थी सं. 2 को दंड संहिता की धारा 302, भाग-I के अधीन हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसमें अपीलार्थी सं. 2 ने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया है और उसे दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दायी नहीं ठहराया जा सकता ।

इसके प्रतिकूल राज्य की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि जागो मंडल (अभि. सा. 4), विश्वनाथ मंडल (अभि. सा. 6) और इस मामले का इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) ने अभियोजन पक्षकथन का पूर्ण समर्थन किया है, तद्नुसार विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थियों को ठीक ही दोषसिद्ध किया है । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह भी दलील दी है कि उत्तिम पासवान और योगेन्द्र पासवान तथा भाटो पासवान (अपीलार्थी सं. 2) को कारित हुई क्षतियों की प्रकृति, जैसा कि प्रदर्श-ग, ग/1 और ग/2 से पता चलता है, साधारण है और केवल ऊपरी क्षति कारित हुई है इस प्रकार अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह अभियुक्त उत्तिम पासवान, योगेन्द्र पासवान और भाटो पासवान (अपीलार्थी सं. 2) की क्षतियों को स्पष्ट करे ।

9. मैंने, अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् न्यायमित्र सुश्री सूर्य नीलम्बरी और राज्य की ओर से हाजिर होने वाले

विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री शिवेश चन्द्र मिश्रा की दलीलों पर विचार करने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य का परिशीलन किया है ।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से 9 साक्षियों में से उपेन्द्र मंडल (अभि. सा. 2) और भरोशी मंडल (अभि. सा. 3) रक्तरंजित मिट्टी घटनास्थल से अभिगृहीत किए जाने के साक्षी है । सिकन्दर यादव (अभि. सा. 9) औपचारिक साक्षी है जिसने मृतक बिशनदेव राय के शव की मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट पर इन्द्रदेव यादव के हस्ताक्षर साबित किए हैं । चन्द्रदेव राय (अभि. सा. 1) मृतक बिशनदेव राय का भाई है जो इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है बल्कि वह तो घटना घटित होने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा था और उसे इस घटना के बारे में विश्वनाथ मंडल (अभि. सा. 6) से पता चला था । जागो मंडल (अभि. सा. 4) और विश्वनाथ मंडल (अभि. सा. 6) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं जबकि रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) इस घटना में आहत हुआ है और इस मामले में इत्तिलाकर्ता है । डा. वी. एन. मिश्रा (अभि. सा. 5) ने मृतक बिशनदेव राय के शव का शवपरीक्षण किया है । डा. भागीरथ झा (अभि. सा. 8) ने मृतक बिशनदेव राय की क्षतियों का मुआयना किया है और रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) की भी चिकित्सा परीक्षा की है ।

11. चन्द्रदेव राय (अभि. सा. 1) ने अपने साक्ष्य में यह उल्लेख किया है कि तारीख 16 मार्च, 1984 को लगभग अपराह्न 1.00 बजे वह अपने घर पर मौजूद था और उसे इस घटना के बारे में पता चला था । इसके पश्चात्, वह घटनास्थल पर गया और उसने देखा कि बिशनदेव राय और रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7), राजदेव प्रसाद मंडल के खेत में क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़े हुए थे और उनके सिर से रक्त बह रहा था । राजदेव प्रसाद मंडल, रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) का भाई है जबकि बिशनदेव राय उनका चाचा है । जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, उसने विश्वनाथ मंडल (अभि. सा. 6), जागो मंडल (अभि. सा. 4) और अशर्फी मंडल को देखा । विश्वनाथ मंडल (अभि. सा. 6) ने उसे विस्तार से घटना के बारे में बताया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि घटना के

समय वह अपने घर पर मौजूद नहीं था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 12 में यह कथन किया है कि उसके भाई की मृत्यु घटना के दिन सहरसा अस्पताल में हुई थी ।

इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने घटना नहीं देखी है बल्कि वह तो घटना के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा था और उसने अपने मृतक भाई बिशनदेव राय और इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) को क्षतिग्रस्त अवस्था में राजदेव प्रसाद मंडल के खेत में पड़ा हुआ वहां देखा था जिनके सिर से रक्त बह रहा था ।

12. जागो मंडल (अभि. सा. 4) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि यह घटना 4 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वाह्न 1.00 बजे शुक्रवार को घटित हुई थी । उस समय वह अपने घर पर था । रामदेव प्रसाद मंडल के खेत में रामदेव प्रसाद मंडल और अपीलार्थी उपेन्द्र पासवान के बीच झगड़ा हो रहा था, इसके पश्चात् वह खेत पर पहुंचा और उसने देखा कि अपीलार्थी उपेन्द्र पासवान ने रामदेव प्रसाद मंडल के खेत की सीमा में घुसते हुए मेंड़ तोड़ दी । अपीलार्थी उपेन्द्र पासवान रामदेव प्रसाद मंडल को गाली देते हुए उसके खेत पर पहुंचा और इसके पश्चात् अपीलार्थी, उत्तिम पासवान (मृतक), योगेन्द्र पासवान और फूलो पासवान (मृतक) के साथ लाठी, भाला, गंडासा और तीर-कमान से लैस होकर रामदेव प्रसाद मंडल के खेत पर पहुंचे । अपीलार्थी सुदीन पासवान, तूलो पासवान और उत्तिम पासवान के कहने पर योगेन्द्र पासवान ने रामदेव प्रसाद मंडल पर गंडासे से हमला करके क्षति पहुंचाई । तूलो, फूलो और गुल्लो ने भी रामदेव प्रसाद मंडल को लाठियों से क्षतियां पहुंचाईं । जब बिशनदेव राय बचाने के लिए दौड़कर वहां पहुंचा, तब सुदीन पासवान, भाटो पासवान पुत्र सुदीन पासवान के कहने पर बिशनदेव राय के सिर पर गंडासे से कई वार किए गए और इसके पश्चात् बिशनदेव राय पश्चिम दिशा की ओर दौड़ा और बंगाली मंडल के गड्ढे में गिर गया । इसके पश्चात्, सभी अभियुक्त वहां पहुंचे और उन्होंने लाठियों से हमला किया । उस समय फूलो पासवान (मृतक) ने रामदेव प्रसाद मंडल की घड़ी छीन ली । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 12 में यह कथन किया है कि घटनास्थल के दक्षिण दिशा की ओर रस्सी बंधी हुई थी जहां पर

अभियुक्त का मकान स्थित है, इस साक्षी ने आगे यह दोहराया है कि अभियुक्त का मकान घटनास्थल के दक्षिण में स्थित है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 13 में यह भी कथन किया है कि रामदेव प्रसाद मंडल के खेत से सटा हुआ उत्तिम पासवान का खेत है किन्तु उसे यह मालूम नहीं है कि दोनों खेत एक ही खसरा के अन्दर आते हैं या नहीं ।

इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) को योगेन्द्र पासवान द्वारा गंडासे से सिर में क्षति पहुंची है, इसके पश्चात्, तूलो, फूलो और गुल्लो ने भी उसे लाठियों से क्षतियां पहुंचाईं । जब मृतक बिशनदेव राय इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) को बचाने के लिए दौड़ा था, तब भाटो पासवान पुत्र सुदीन पासवान ने उसके सिर पर गंडासे से कई वार किए और इसके पश्चात् वह पश्चिम दिशा की ओर भागा किन्तु वह बंगाली मंडल के गड्डे में गिर गया जहां पर अन्य अभियुक्तों ने उसे लाठियों से क्षतियां पहुंचाईं ।

13. विश्वनाथ मंडल (अभि. सा. 6) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि यह घटना लगभग ¾ वर्ष पूर्व पूर्वाह्न लगभग 1.00 बजे शुक्रवार की है । उस समय वह अपने घर के सहन में बैठा हुआ था जो घटनास्थल से 4-5 लाघी दूर था और तब उसने देखा कि रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) और उपेन्द्र पासवान, रामदेव प्रसाद मंडल के खेत में एक-दूसरे को गालियां दे रहे थे जिसका यह कारण था कि उपेन्द्र पासवान रामदेव प्रसाद मंडल के खेत की मेंड़ तोड़कर अपने खेत में मिला ली थी । इसके पश्चात्, उपेन्द्र पासवान उसके घर गया किन्तु वह तुरन्त ही उत्तिम पासवान (मृतक) और फूलो पासवान (मृतक) और अपीलार्थियों के साथ गंडासा, भाला, लाठी और तीर-कमान लेकर रामदेव प्रसाद मंडल के निकट पहुंचा । फूलो पासवान, सुदीन पासवान और उत्तिम पासवान के कहने पर योगेन्द्र पासवान ने रामदेव प्रसाद मंडल के सिर पर गंडासे से वार किया जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर से रक्त बहने लगा । फूलो पासवान, तूलो पासवान और गुल्लो पासवान ने भी लाठियों से रामदेव प्रसाद मंडल को क्षति पहुंचाई जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गया । जब बिशनदेव राय अर्थात् रामदेव प्रसाद मंडल का

चाचा, रामदेव प्रसाद मंडल को बचाने के लिए पहुंचा तब सुदीन पासवान के कहने पर भाटो पासवान पुत्र सुदीन पासवान ने बिशनदेव राय के सिर पर गंडासे से कई वार किए । इसके पश्चात्, बिशनदेव राय वहां से भागा किन्तु वह बंगाली मंडल के गड्डे में गिर गया, इसके पश्चात् सभी अभियुक्त लाठियों से बिशनदेव राय पर हमला करने लगे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 16 में यह भी कथन किया है कि घटना के समय किसी भी अभियुक्त को क्षति नहीं पहुंची थी और इस अभियुक्त ने उसके या रामदेव प्रसाद मंडल के विरुद्ध कोई भी मामला दर्ज नहीं कराया है ।

14. रामदेव प्रसाद मंडल जो इस मामले में इत्तिलाकर्ता है, ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 16 मार्च, 1984 को लगभग अपराह्न 1.00 बजे वह रघुनाथपुर पहाड़िया में स्थित खेत का मुआयना करने गया तब उसने देखा कि उपेन्द्र पासवान उसके खेत की सीमा को तोड़ते हुए जुताई कर रहा है और भाटो पासवान **उर्फ** नारायण पासवान मिट्टी को समतल कर रहा था उसने उपेन्द्र पासवान को खेत जोतने से मना किया, इसके पश्चात् उपेन्द्र पासवान ने कहा कि वह तो खेत जोतेगा ही । इसके पश्चात्, उसने यह कहते हुए आक्षेप किया कि जिस भूमि में वह खेत जोत रहा है वह मेरी है । इसके पश्चात्, उपेन्द्र पासवान ने खेत जोतना बन्द कर दिया और अपने घर चला गया । थोड़ी देर बाद, अपीलार्थी उपेन्द्र पासवान, दीप नारायण पासवान, नाथन पासवान, सत्तन पासवान, जगदीश पासवान, छाटू पासवान, बिशनदेव पासवान, महेन्द्र पासवान, तरानी पासवान, राजेन्द्र पासवान, तूलो पासवान, दिनेश पासवान, सुदीन पासवान, भाटो पासवान पुत्र सुदीन पासवान, उत्तिम पासवान, फूलो पासवान और योगेन्द्र पासवान लाठी, गंडासा, भाला, तीर-कमान से लैस होकर उसके खेत पर आए । उत्तिम, सुदीन और तूलो के उकसाने पर योगेन्द्र ने उसके सिर के बाईं ओर गंडासे से वार करके क्षति पहुंचाई और वह नीचे गिर गया । इसके पश्चात्, गुलाट, फूलो और तूलो ने लाठियों से क्षतियां पहुंचाईं । जब उसके चाचा बिशनदेव राय उसे बचाने के लिए दौड़ा, तब सुदीन पासवान के उकसाने पर उसके पुत्र भाटो पासवान ने उसके सिर में फरसे से क्षति पहुंचाई । बिशनदेव राय सिर में क्षति कारित होने के कारण नीचे गिर

गया और उसके सिर से रक्त बहने लगा और वह पुनः पश्चिम दिशा की ओर भागने लगा किन्तु वह बंगाली मंडल के गड्डे में गिर गया । इसके पश्चात्, सभी अभियुक्त वहां पहुंचे और वे आहत पर लाठियों से क्षति कारित करने लगे । इस घटना को विश्वनाथ मंडल (अभि. सा. 6), जागो मंडल (अभि. सा. 4), अशर्फी मंडल (जिसकी परीक्षा नहीं कराई गई है), भरोशी मंडल (अभि. सा. 3), उपेन्द्र मंडल (अभि. सा. 2) और अन्य साक्षियों ने देखी है । घटनास्थल से भागने के समय फूलो पासवान ने उसके हाथ से घड़ी छीन ली थी जिसकी कीमत 475/- रुपए थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वह अपने चाचा बिशनदेव राय के साथ किशनगंज अस्पताल के लिए शीघ्र ही रवाना हुआ था जहां पर अपराह्न 4.30 बजे दरोगा जी ने उसका फर्द बयान अभिलिखित किया था । बिशनदेव राय की गंभीर हालत देखकर सहरसा अस्पताल भेज दिया गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गई । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पुलिस थाना किशनगंज के उप-निरीक्षक भोला प्रसाद सिंह ने उसका फर्द बयान अभिलिखित किया था जो उसे पढ़कर सुनाया गया और उसके पश्चात् उसने अपने हस्ताक्षर किए । रघुनाथ पासवान और भूप नारायण पाठक ने भी साक्षियों के रूप में अपने हस्ताक्षर किए और उसका फर्द बयान प्रदर्श-4 के रूप में साबित किया । उसने अपने प्रतिपरीक्षा के पैरा 10 में यह कथन किया है कि उसके खेत की दक्षिण दिशा में 100 गज की दूरी पर घटना घटित हुई है और वहीं पर पासवान टोली स्थित है । उसकी भूमि और पासवान टोली के बीच चन्द्रकान्त झा की भूमि है जिसे उत्तिम पासवान ने क्रय किया था किन्तु इस साक्षी ने इस संबंध में अपनी अनभिज्ञता दर्शायी है कि उसकी और उत्तिम पासवान की भूमि से संबंधित भूखंड संख्या एक ही है या अलग किन्तु इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि यह भूमि चन्द्रभूषण झा से उसके भाई राजदीप मंडल के नाम में क्रय की गई थी और चन्द्रभूषण झा तथा चन्द्रकान्त झा सगे भाई हैं । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने अपने भाई राजदीप मंडल से घटनास्थल वाली भूमि में से कोई भी भूखंड क्रय नहीं किया है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वह अपने दोनों भाइयों से अलग है और उसके भाई राजदीप मंडल ने अपने नाम में पी. ओ. भूमि क्रय की है । इस मामले में उसके भाई राजदीप

मंडल की परीक्षा नहीं कराई गई है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 16 में यह भी कथन किया है कि उसका भाई इस मामले में साक्षी नहीं है क्योंकि वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 17 में यह कथन किया है कि उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि अभियुक्त ने भी उसके और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध इसी घटना को लेकर कोई मामला दर्ज कराया है और उसे यह भी जानकारी नहीं है कि अभियुक्तों को घटना के दिन कोई क्षति कारित हुई थी या नहीं किन्तु इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उस दिन की घटना के संबंध में एक मामला दर्ज कराया गया था जो श्री मदन किस्कू के न्यायालय में लम्बित है जिसमें वह जमानत पर चल रहा है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 23 में यह कथन किया है कि उसने अपने फर्द बयान या पुनः लिखे गए कथन में यह उल्लेख नहीं किया था कि उसका चाचा उसकी क्षतियां देखकर उसे बचाने के लिए दौड़कर गया था । इस साक्षी ने यह भी कथन नहीं किया है कि उसका चाचा वहां से जान बचाकर भागा था और बंगाली मंडल के गढ्डे में जाकर गिर गया था, इसके पश्चात् अभियुक्त वहां पहुंचे और उन्होंने उसे क्षतियां पहुंचाईं । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 26 में यह भी कथन किया है कि यह सत्य नहीं है कि ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई है जिसका उसने उल्लेख किया है बल्कि उसने और उसके साथियों ने उत्तिम पासवान के घर में आग लगाई थी और उत्तिम पासवान, भाटो पासवान और योगेन्द्र पासवान को क्षतियां पहुंचाईं थीं और यह मामला उस मामले से पीछा छुड़ाने के लिए दर्ज कराया गया है ।

15. डा. भागीरथ झा (अभि. सा. 8) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 14 मार्च, 1984 को वह ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी, किशनगंज के रूप में कार्यरत था । उस दिन लगभग अपराह्न 2.45 बजे उसने बिशनदेव राय (मृतक) पुत्र बनवारी, निवासी रघुनाथपुर पकारिया, पुलिस थाना किशनगंज की चिकित्सा परीक्षा की थी और उसने उसके शरीर पर निम्न क्षतियां पाईं :–

(i) दाएं पार्श्वकपालीय क्षेत्र के अग्रभाग में 3 इंच × ¼ इंच माप का छिन्न घाव है जो त्वचा तक गहरा है । घाव से रक्त बह

रहा है ।

यह क्षति गंभीर प्रकृति की है और फरसे जैसे धारदार आयुध से कारित की गई है ।

(ii) बाएं पार्श्वकपालीय क्षेत्र के अग्रभाग में 2-1/2 इंच × ¼ इंच माप का छिन्न घाव है जिसकी गहराई त्वचा तक है ।

यह क्षति गंभीर प्रकृति की है और किसी धारदार आयुध से कारित की गई है ।

(iii) अनुकपालीय भाग में 2 इंच × ¼ इंच माप का छिन्न घाव है । यह क्षति गंभीर प्रकृति की है और किसी धारदार आयुध से कारित की गई है ।

(iv) गर्दन में पीछे की ओर सूजन है ।

यह क्षति साधारण प्रकृति की है और किसी कठोर तथा कुन्द आयुध से कारित की गई है ।

(v) दाएं कन्धे के जोड़ पर 3 इंच का नीलांछन है जिस पर सूजन है । यह क्षति सामान्य प्रकृति की है और किसी कठोर तथा कुन्द आयुध से कारित की गई है ।

क्षतियां पांच घन्टे के भीतर कारित की गईं पाई गईं हैं ।

इस साक्षी ने मृतक बिशनदेव राय की क्षति रिपोर्ट प्रदर्श-5 के रूप में साबित की है ।

डा. भागीरथ झा (अभि. सा. 8) ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसी दिन उसने रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) की चिकित्सा परीक्षा की थी और उसने रामदेव प्रसाद मंडल के शरीर पर निम्न क्षतियां पाईं :-

(i) बाएं पार्श्वकपालीय क्षेत्र के ऊपरी और मध्य भाग में 2 इंच × ¼ इंच माप का छिन्न घाव है जो त्वचा तक गहरा है । यह क्षति सामान्य प्रकृति की है और किसी धारदार आयुध से कारित की गई है ।

(ii) बाएं हाथ की मध्यिका में सूजन है । यह क्षति सामान्य

प्रकृति की है और किसी कठोर तथा कुन्द वस्तु से कारित की गई है ।

(iii) दायीं कलाई के जोड़ पर सूजन है । यह क्षति सामान्य प्रकृति की है और किसी कठोर तथा कुन्द वस्तु से कारित की गई है ।

(iv) दाएं और बाएं कन्धे के जोड़ पर सूजन है । यह क्षति सामान्य प्रकृति की है और किसी कठोर तथा कुन्द वस्तु से कारित की गई है ।

उपरोक्त क्षतियां पांच घन्टों के भीतर कारित की गईं पाई गईं ।

इस साक्षी ने रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) की क्षति रिपोर्ट प्रदर्श-5/1 के रूप में साबित की है ।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में यह कथन किया है कि बिशनदेव राय को कारित क्षति सं. 1 से 3 में उसने क्षति के रंग का उल्लेख नहीं किया है । उसके अनुसार बिशनदेव राय की क्षतियों के संबंध में एक्स-रे परीक्षण आवश्यक नहीं था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि बिशनदेव राय की क्षति सं. 4 और 5 नीचे गिरने पर किसी कठोर वस्तु के टकराने से कारित हो सकती हैं । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने बिशनदेव राय की क्षति सं. 4 के आकार का उल्लेख नहीं किया है । आहत बिशनदेव राय का उपचार अस्पताल में कराया गया था और इसके पश्चात् उसे सहरसा अस्पताल भेज दिया गया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि उसने रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) के शरीर पर पाई गईं क्षतियों के रंग का उल्लेख नहीं किया है और उसकी क्षति सं. 2 से 4 के आकार का उल्लेख भी नहीं किया गया है ।

इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक बिशनदेव राय के सिर में तीन छिन्न घाव पाए गए हैं जो गंभीर प्रकृति के हैं और उसकी गर्दन के पीछे की ओर दो क्षतियां ऐसी हैं जिन पर सूजन और रगड़ पाई गई है और ये क्षतियां साधारण प्रकृति की हैं जो नीचे गिरने से किसी कठोर वस्तु से टकराने पर कारित हो सकती हैं । रामदेव प्रसाद

मंडल (अभि. सा. 7) के शरीर पर पाईं गईं चार क्षतियां साधारण प्रकृति की हैं जिनमें से एक क्षति सं. 1 किसी धारदार आयुध से कारित की गई है और अन्य क्षतियां कठोर तथा कुन्द वस्तु से कारित की गई प्रतीत होती हैं ।

16. डा. बी. एन. मिश्रा (अभि. सा. 5) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 17 मार्च, 1984 को अपराह्न 11.50 बजे उसने मृतक बिशनदेव राय पुत्र बनवारी लाल, निवासी रघुनाथपुर पकारिया, पुलिस थाना किशनगंज, जिला मधेपुरा के शव का शवपरीक्षण श्री सी. बी. रोहतगी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मधेपुरा की मौजूदगी में किया है और मृतक के शरीर पर मृत्युपूर्व की निम्न क्षतियां पाईं :-

(1) करोटि पर टांकेदार तीन घाव हैं -

(क) करोटि के पीछे दायीं ओर 3 इंच लम्बा घाव है,

(ख) करोटि के बाएं चतुर्थांश में 2-1/2 इंच लम्बा घाव है,

(ग) करोटि के दाएं अग्र चतुर्थांश में 2 इंच लम्बा घाव है ।

त्वचा हटाने पर, करोटि की सम्पूर्ण गोलाई (मेहराब) पर अधस्त्वचीय क्षेत्र में कई जगह रक्त जमा हुआ है तथा बायीं पार्श्वकपालास्थि के मध्य-समान्तर भाग में 3 इंच लम्बा रेखीय अस्थिभंग है ।

करोटि की मेहराब को हटाने पर लगभग 6 ऑन्स (170 ग्राम) रक्त पाया गया है जो मृत्यु-पूर्व का है ।

मस्तिष्कावरण को हटाने पर प्रमस्तिष्क गोलार्ध के दोनों ओर रक्त के थक्के बने हुए हैं ।

(2) बायीं स्कंधास्थि पर तिरछी दिशा में 10 इंच × 1 इंच माप की रगड़ पाई गई है जिस पर सूजन है ।

(3) दायीं स्कंधास्थि पर तीन रगड़ पाई गईं हैं जिनमें प्रत्येक की माप 5 इंच × 1 इंच है और उन पर सूजन है ।

(4) पीठ पर कटि-प्रदेश सहित शरीर के दायीं ओर अनेक रेखीय रगड़ पाई गईं हैं ।

(5) उदर के दायीं ओर तीन रगड़ पाई गईं हैं जिनमें प्रत्येक की माप 1 इंच × 1/8 इंच है ।

(6) दाएं कन्धे के किनारे पर 6 इंच × 1/8 इंच माप की रगड़ मौजूद है ।

(7) उदर के दायीं ओर और वक्ष के बायीं ओर कांख के मध्य भाग में अनेक रेखीय रगड़ पाई गईं हैं ।

(8) बायीं भुजा के सामने की ओर अनेक रगड़ मौजूद हैं ।

इस साक्षी के अनुसार पुलिस द्वारा तैयार की गई मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में कुछ विरोधाभास पाया गया कि सिर में कारित हुई क्षतियों में टांके लगे हुए थे और उन पर पट्टी बंधी हुई थी । यह सब श्री रोहतगी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दिखाया गया और इसकी संपुष्टि मृतक के दो भाइयों तथा कांस्टेबल द्वारा की गई है जिन्होंने शव की शनाख्त की थी । इस साक्षी के अनुसार, बिशनदेव राय की मृत्यु मस्तिष्क के संकुचित होने और सिकुड़ जाने तथा आघात पहुंचने से हुई है । ये क्षतियां प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त पाई गईं हैं । इस साक्षी ने मृतक बिशनदेव राय की शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-3) साबित की है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि मस्तिष्क के सिकुड़ जाने से तत्काल मृत्यु नहीं होती है । इस कारण मृत्यु होने में कुछ समय लगता है ।

17. जागो मंडल (अभि. सा. 4), विश्वनाथ मंडल (अभि. सा. 6), रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) अर्थात् इत्तिलाकर्ता के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि जब इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) उस खेत पर पहुंचा जिसे उसके भाई राजदीप प्रसाद मंडल के नाम से क्रय किया गया था तब उसने देखा कि अपीलार्थी सं. 14 अर्थात् उपेन्द्र पासवान खेत जोत रहा है और अपीलार्थी सं. 1 अर्थात् भाटो पासवान **उर्फ** नारायण पासवान मिट्टी को समतल कर रहा था और उसने यह देखा कि उसके भाई राजदीप प्रसाद मंडल और अपीलार्थी सं. 14 उपेन्द्र पासवान के खेतों के बीच बनी मेंड़ पर जुताई हो रही थी । इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) ने इस पर आपत्ति की और इसके पश्चात् अपीलार्थी सं. 14 गालियां देने लगा और अपने घर चला गया ।

इसके पश्चात् अपीलार्थी सं. 14 अन्य अपीलार्थियों तथा योगेन्द्र पासवान, फूलो पासवान (मृतक) और उत्तिम पासवान (मृतक), लाठी, भाला, फरसा और तीर-कमान से लैस होकर वहां पहुंचे और सुदीम पासवान (अपीलार्थी सं. 5), फूलो पासवान (अपीलार्थी सं. 7) और उत्तिम पासवान (मृतक) के उकसाने पर योगेन्द्र पासवान ने गंडासे से वार किया जिसके परिणामस्वरूप इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) के सिर से रक्त बहने लगा । गुलाट पासवान (अपीलार्थी सं. 6), तूलो पासवान और थूलो पासवान (मृतक) ने भी उसे लाठियों से क्षति पहुंचाई । जब रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) का चाचा बिशनदेव राय (मृतक) बचाने के लिए दौड़ा था, तब सुदीम पासवान (अपीलार्थी सं. 5), भाटो पासवान (अपीलार्थी सं. 2) जो कि सुदीम पासवान का पुत्र है ने उसके सिर पर फरसे से तीन वार किए । फरसे से क्षतिग्रस्त होकर मृतक बिशनदेव राय नीचे गिर गया किन्तु वह पुनः पश्चिम दिशा की ओर दौड़ा और आगे जाकर बंगाली मंडल के गड्डे में गिर गया जहां पर अपीलार्थियों सहित सभी अभियुक्तों ने उस पर लाठियों से हमला किया । किन्तु चन्द्रदेव राय (अभि. सा. 1) जो कि मृतक बिशनदेव राय का भाई है, ने अपने साक्ष्य में उपरोक्त रूप में यह कथन किया है कि घटना के बारे में सुनकर जब वह घटनास्थल पर पहुंचा था, उसने इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) और मृतक बिशनदेव राय को इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) के भाई राजदीप प्रसाद मंडल के खेत में पड़ा हुआ देखा और इन दोनों के सिर से रक्त बह रहा था जिनमें बिशनदेव राय अचेत अवस्था में था । चन्द्रदेव राय (अभि. सा. 1) ने अपने कथन में बंगाली मंडल के गड्ढे में बिशनदेव राय के गिरने का उल्लेख नहीं किया है और मृतक बिशनदेव राय को पहुंची शेष क्षतियों का भी वर्णन नहीं किया है । इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) ने अपने फर्द बयान में सिर में क्षति पहुंचने पर मृतक बिशनदेव राय के भाग जाने और बंगाली मंडल के गड्डे में गिरने का उल्लेख नहीं किया है जहां पर अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों ने उस पर लाठियों से हमला किया । रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) ने अत्यंत स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 23 में यह कथन किया है कि उसने पुनः दिए गए अपने कथन में यह वर्णन नहीं किया है कि

अभियुक्तों द्वारा हमला होते देखकर उसका चाचा बिशनदेव राय (मृतक) दौड़ता हुआ वहां आया था । इस साक्षी ने अपने पुनः दिए गए कथन में यह उल्लेख नहीं किया है कि क्षतिग्रस्त होकर उसका चाचा बिशनदेव राय (मृतक) वहां से भाग गया था और बंगाली मंडल के गड्ढे में जाकर गिरा था जहां पर सभी अभियुक्तों ने उस पर हमला किया था । इस मामले में, अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा नहीं कराई गई है, इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि मृतक को बंगाली मंडल के गड्ढे में लाठियों से उस समय क्षतियां कारित की गई थीं जब वह बचकर भागा था और उस गड्ढे में जाकर गिरा था । इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसकी प्रतिपरीक्षा के पैरा 17 में उसने इस संबंध में अपनी अनभिज्ञता दर्शायी है कि इस घटना से संबंधित कोई प्रति-मामला प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दर्ज कराया गया था और यह कि इस घटना में क्षतियां कारित हुई थीं जबकि इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसी दिन की घटना के संबंध में अभियुक्तों ने एक मामला दर्ज कराया था जो श्री मंडल किस्कू के न्यायालय में लंबित है और उस मामले में वह जमानत पर है ।

18. पुलिस थाना किशनगंज में दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की सत्यापित प्रति प्रदर्श क है । तारीख 16 मार्च, 1984 को दंड संहिता की धारा 147, 148, 323, 379, 426 और 324 के अधीन इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7), मृतक बिशनदेव राय और दीप नारायण मंडल सहित 10 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियुक्त उत्तिम पासवान (मृतक) के फर्द बयान जो पुलिस थाना किशनगंज में तारीख 16 मार्च, 1984 को पूर्वाह्न लगभग 4.30 बजे अभिलिखित किया गया था । अन्वेषण के पश्चात् दंड संहिता की धारा 147, 323 और 447 के अधीन अपराध के लिए तारीख 7 जून, 1984 को तैयार किए गए आरोप पत्र सं. 26 (प्रदर्श ख) की प्रमाणित प्रति पुलिस थाना किशनगंज में प्रस्तुत की गई । अभियुक्त उत्तिम पासवान (मृतक) के फर्द बयान में यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 16 मार्च, 1984 को लगभग 12 बजे वह खेत पर गया जो उसके ग्राम के उत्तर दिशा में स्थित है, उसने देखा कि राजदीप प्रसाद मंडल ने उसके खेत की मेंड़ काट दी है और उसे

अपने खेत में मिला ली है जिस पर उसने आपत्ति की और इसके पश्चात् राजदीप प्रसाद मंडल उसे गालियां देने लगा और वह अपने साथियों को बुला लाया । इसके पश्चात् रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7), केलू मंडल, उमेश मंडल, श्रीदेव मंडल, कुलदीप मंडल, मुरलीधर मंडल और बिशनदेव (मृतक) लाठी, भाला और तीर-कमान से लैस होकर वहां आए । राजदीप मंडल और लक्ष्मी मंडल ने गाली देते हुए बताया कि मेंड़ नहीं तोड़ी गई है । इसके पश्चात्, रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) ने उसके सिर पर लाठी से वार किया । जब भाटो पासवान (अपीलार्थी सं. 2) और योगेन्द्र पासवान उसे बचाने के लिए दौड़े तब बिशनदेव राय (मृतक) ने लाठी और गंडासे से उन्हें क्षतियां पहुंचाईं । योगेन्द्र पासवान पर भी केलू मंडल और उमेश मंडल द्वारा हमला किया गया । उस समय रामदेव प्रसाद मंडल ने उसके घर में आग लगाई थी ।

प्रदर्श ग, प्रदर्श ग/1 और प्रदर्श ग/2 अभियुक्त उत्तिम पासवान, भाटो पासवान और योगेन्द्र पासवान की क्षति रिपोर्टें हैं जिन्हें उदाकिशनगंज अस्पताल के चिकित्सक द्वारा पुलिस थाना किशनगंज के सहायक उप-निरीक्षक भोला पासवान द्वारा जारी अध्यपेक्षा के आधार पर तैयार किया गया है । प्रदर्श ग से यह दर्शित होता है कि सिर के ऊपरी भाग में 1/2 इंच × 1/6 इंच आकार का विदीर्ण घाव है जो त्वचा तक गहरा है, साधारण है, किसी कठोर और कुन्द वस्तु से कारित किया गया है, सिर के बाएं पाश्विक भाग में ऊपर की ओर ½ इंच माप की खरोंच है जो साधारण प्रकृति की है, किसी कठोर और कुन्द वस्तु से कारित की गई है, बायीं भुजा पर साधारण प्रकृति की सूजन है, जो किसी कठोर और कुन्द वस्तु से कारित की गई प्रतीत होती है और ये सभी क्षतियां उत्तिम पासवान (मृतक) के शरीर पर पाई गई हैं । प्रदर्श ग/1 से यह दर्शित होता है कि भाटो पासवान पुत्र सुदीम पासवान के शरीर पर तीन क्षतियां कारित हुई हैं जिनमें से एक 1/2 इंच × 1/6 इंच माप का दायीं हथेली के अनुप्रस्थ भाग में विदीर्ण घाव है जो त्वचा तक गहरा है, घाव की प्रकृति साधारण है, सिर के पार्श्विक भाग में ऊपर की ओर सूजन पाई गई है जो साधारण प्रकृति की है और किसी कठोर तथा कुन्द वस्तु से कारित की गई प्रतीत होती है, दाएं कन्धे के जोड़ पर 3 इंच के आकार में नीलांछन के साथ सूजन पाई गई है जिसकी प्रकृति साधारण

है और किसी कठोर तथा कुन्द वस्तु से कारित की गई प्रतीत होती है, साथ ही दायीं कोहनी पर भी साधारण प्रकृति की सूजन पायी गई है जो किसी कठोर और कुन्द वस्तु से कारित की गई प्रतीत होती है । प्रदर्श क प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि है जो तारीख 16 मार्च, 1984 को पुलिस थाना किशनगंज में मामला सं. 55 के रूप में दर्ज कराई गई है और प्रदर्श ख आरोप पत्र सं. 26 की प्रमाणित प्रति है जो पुलिस थाना किशनगंज में तारीख 7 जून, 1984 को प्रस्तुत की गई है जिससे यह पता चलता है कि कम से कम राजदीप प्रसाद मंडल अर्थात् इत्तिलाकर्ता रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) के भाई और अभियुक्त उत्तिम पासवान (मृतक) के खेत के निकट मारपीट की घटना तो घटित हुई है ।

19. जागो मंडल (अभि. सा. 4), विश्वनाथ मंडल (अभि. सा. 6) और रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि जब रामदेव प्रसाद मंडल अपने भाई राजदीप प्रसाद मंडल के खेत पर पहुंचा था तब उसने यह देखा कि उसके खेत की मेंड़ पर उपेन्द्र पासवान हल चला रहा है और भाटो पासवान **उर्फ** नारायण पासवान खेत की मिट्टी समतल कर रहा था । जब रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) ने आपत्ति की तब उपेन्द्र पासवान ने यह प्रकथन किया कि वह ऐसा ही करेगा और इसके पश्चात् रामदेव प्रसाद मंडल और उपेन्द्र पासवान के बीच कहा-सुनी हो गई । उपेन्द्र पासवान वहां से अपने घर की ओर चल दिया और फूलो पासवान (मृतक), उत्तिम पासवान (मृतक), योगेन्द्र पासवान और अपीलार्थियों के साथ पुनः खेत पर आया । इसके पश्चात् उत्तिम पासवान (मृतक) और तूलो पासवान (अपीलार्थी सं. 7) के उकसाने पर योगेन्द्र पासवान ने रामदेव प्रसाद मंडल के सिर पर गंडासे से वार किया जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर से रक्त बहने लगा और वह नीचे गिर गया, इसके पश्चात् गुलाट पासवान (अपीलार्थी सं. 6), तूलो पासवान (अपीलार्थी सं. 7) और फूलो पासवान (मृतक) ने उसके माथे और पीठ पर क्षति कारित की । रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) पर हमला होते और क्षतिग्रस्त होते देखकर उसका चाचा बिशनदेव राय दौड़कर उसे बचाने पहुंचा, इसके पश्चात् सुदीम पासवान (अपीलार्थी सं. 5) के उकसाने पर भाटो पासवान (अपीलार्थी सं. 2) ने

बिशनदेव राय के सिर पर गंडासे से तीन वार किए जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर से रक्त बहने लगा और वह नीचे गिर गया किन्तु वह पुनः उठा और पश्चिमी दिशा की ओर भागा और इसके पश्चात् वह बंगाली मंडल के गड्ढे में गिर गया, जहां पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित अपीलार्थियों सहित सभी अभियुक्त लाठियों से उस पर हमला करने लगे । डा. भागीरथ झा के अनुसार रामदेव प्रसाद मंडल के शरीर पर चार क्षतियां कारित हुईं जिनमें से एक क्षति छिन्न घाव के रूप में पाई गई है जिसका आकार 2 इंच × 1/4 इंच है और गहराई त्वचा तक है और इस क्षति की स्थिति सिर के बायीं ओर ऊपरी मध्य कपालीय भाग में है जिसकी प्रकृति साधारण है और इसके शरीर के अन्य भागों में तीन जगह पर सूजन पायी गई है जो साधारण प्रकृति की है । रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) पर हमला करने के समय कोई भी बीच-बचाव करने नहीं आया है । इस प्रकार, रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) की क्षति से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों का हत्या कारित करने का सामान्य उद्देश्य कोई नहीं था बल्कि रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) को क्षति पहुंचाने का ही उद्देश्य था । रामदेव प्रसाद मंडल (अभि. सा. 7) पर हमला होते और क्षतिग्रस्त होते देखकर मृतक बिशनदेव राय उसे बचाने के लिए दौड़ा था और उसने हस्तक्षेप किया था, इसके पश्चात् भाटो पासवान (अभि. सा. 2) ने उसके सिर पर गंडासे से तीन वार किए, अतः बिशनदेव राय को धारदार आयुध से भाटो पासवान (अपीलार्थी सं. 2) द्वारा पहुंची घोर क्षति के आधार पर ऐसा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि सभी अभियुक्तों का सामान्य उद्देश्य मृतक बिशनदेव राय की हत्या करने का था । भाटो पासवान (अपीलार्थी सं. 2) को भी उस दौरान क्षतियां पहुंची थी जैसा कि प्रदर्श ग/1 से स्पष्ट है, अतः उसे मृतक बिशनदेव राय के सिर पर तीन क्षतियां कारित करने के कारण दंड संहिता की धारा 304, भाग-I के अधीन हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के लिए अभिनिर्धारित किया जा सकता है ।

20. उपरोक्त चर्चा के आधार पर सभी अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 324 और 149 के साथ पठित धारा 323 के अधीन अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया जाता है । इसके

अतिरिक्त, भाटो पासवान पुत्र सुदीम पासवान को दंड संहिता की धारा 304, भाग-I के अधीन अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया जाता है । दंड संहिता की धारा 302 और 148 के अधीन भाटो पासवान (अपीलार्थी सं. 2) की दोषसिद्धि, दंड संहिता की धारा 147 के अधीन अन्य अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और दंड संहिता की धारा 447 के अधीन भाटो पासवान **उर्फ** नारायण पासवान (अपीलार्थी सं. 1) की दोषसिद्धि एतद्द्वारा अपास्त की जाती है ।

21. अभिलेख से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी सं. 2 अर्थात् भाटो पासवान पुत्र सुदीम पासवान लगभग पांच वर्ष और पांच मास से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है और शेष अपीलार्थी दोषसिद्ध किए जाने के पश्चात् लगभग दो मास से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं और दोषसिद्ध किए जाने के लगभग एक मास पहले से वे न्यायिक अभिरक्षा में थे । अतः, अपीलार्थी को पहले से भोगे गए कारावास जितनी अवधि के लिए दंडादिष्ट किया जाता है ।

22. दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश में उपरोक्त परिवर्तन के साथ यह अपील खारिज की जाती है ।

23. इस निर्णय के प्रथम पृष्ठ और अन्तिम पृष्ठ की एक प्रति न्यायमित्र सुश्री सूर्य निलंबरी को आवश्यक कार्यवाही के लिए सुपुर्द की जाए ।

न्यायमूर्ति हेमेन्त कुमार श्रीवास्तव – मैं सहमत हूं ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

देवेन्द्र सिंह

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

तारीख 28 फरवरी, 2019

न्यायमूर्ति विष्णु प्रताप सिंह चौहान

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 125 – भरणपोषण के लिए आदेश – पत्नी की उपेक्षा करना – पत्नी का अपने माता-पिता के साथ मायके में रहना – पति द्वारा यह अभिवाक् किया जाना कि पत्नी ने अपनी इच्छा से उसका घर छोड़ा है – पति का पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार न होना – पति ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है और पत्नी ने यह कथन किया है कि वह अपने पति के साथ रहने को तैयार है किन्तु इच्छुक नहीं है, इससे पति द्वारा पत्नी की उपेक्षा किया जाना साबित होता है और पत्नी के लिए पति से अलग रहने का एक पर्याप्त आधार है, अतः पति भरणपोषण का संदाय करने के लिए जिम्मेदार है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 125 – भरणपोषण की मात्रा – पत्नी द्वारा भरणपोषण के लिए 10,000/- रुपए प्रतिमाह की मांग किया जाना – पत्नी की ओर से कथन किया जाना कि उसके पिता द्वारा उस पर 5 से 6 हजार रुपए प्रतिमाह खर्च किया जाता था – पिता की परीक्षा न कराना – अनुमान के आधार पर पत्नी ने बताया कि उसके पिता उस पर प्रतिमाह 5 से 6 हजार रुपए खर्च किया करते थे और उसने इस गणना का कोई आधार नहीं बताया है और न ही उसके पिता की परीक्षा कराई गई है अतः निचले न्यायालय द्वारा नियत की गई भरणपोषण की रकम 3 हजार रुपए प्रतिमाह ही उचित है ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी-2 आवेदक की वैध रूप से विवाहित पत्नी है । विवाह के पश्चात् प्रत्यर्थी-2 अपीलार्थी के

साथ रहने लगी किन्तु कुछ दिनों बाद संबंध तनावपूर्ण हो गए । आवेदक और उसके नातेदार दहेज की मांग करने लगे, इसके पश्चात् प्रत्यर्थी-2 ने अपना वैवाहिक गृह छोड़ दिया और वह अपने माता-पिता के घर आ गई और तभी से वह पति से दूर रह रही है । आवेदक अपनी पत्नी की देख-रेख नहीं कर रहा है और न ही उसके भरणपोषण का ध्यान रखता है, पत्नी के पास स्वयं के रख-रखाव के लिए कोई साधन नहीं है । आवेदक के पास आय के पर्याप्त साधन हैं । प्रत्यर्थी-2 अर्थात् पत्नी ने कुटुंब न्यायालय, भोपाल के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल किया है । कुटुंब न्यायालय प्रधान न्यायाधीश ने दोनों पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् अन्तिम रूप से तारीख 11 नवंबर, 2014 को आदेश पारित किया जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन प्रत्यर्थी-2 की ओर से फाइल किया गया आवेदन मंजूर किया गया था और अपीलार्थी को अपनी पत्नी/प्रत्यर्थी सं. 2 को प्रतिमाह 3,000/- रुपए की रकम का संदाय भरणपोषण के रूप में करने का निदेश दिया गया था । इस आदेश से व्यथित होकर पति और पत्नी दोनों ने ही एक-एक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । आवेदनों को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह मुद्दा भी उठाया है कि प्रत्यर्थी-2 अपनी इच्छा से बिना किसी पर्याप्त और उचित कारण के अलग रह रही थी और दाम्पत्य अधिकारों का निर्वहन नहीं कर रही थी । इस मामले में प्रत्यर्थी-2 का पति होने के नाते सबूत का भार आवेदक पर ही है । इसके लिए दोनों पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करना होगा । प्रत्यर्थी-2 के कथन का परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि उसने अपने कथन के पैरा 5 में यह उल्लेख किया है कि उसे दहेज के लिए तंग किया जाता था और कहा जाता था कि उसका खर्चा कौन वहन करेगा । आवेदक अपनी पत्नी पर यह कटाक्ष भी करता था कि वह सुंदर नहीं है, प्रत्यर्थी-2 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि आवेदक ने पत्नी की सहेलियों को लेकर उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया है । आवेदक ने पैरा 2 में यह कथन किया है कि पत्नी ने आवेदक पर भोपाल में नौकरी करने के लिए दबाव डाला था

और उसने अपनी ससुराल में अपने पति के माता-पिता को गालियां भी दी थीं, पत्नी ने मोबाइल फोन पर एस.एम.एस. भी भेजे थे । आवेदक पति ने साक्ष्य के रूप में सभी एस.एम.एस. की हार्ड-कापी भी प्रस्तुत की है । प्रत्यर्थी-2 ने पैरा 5 में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अधीन आवेदन फाइल किया था । वह मामला भोपाल में दर्ज किया गया है और आवेदक ने कोरबा, छत्तीसगढ़ के न्यायालय में विवाह-विच्छेद अर्जी प्रस्तुत की है । पैरा 11 में आवेदक ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि वह प्रत्यर्थी-2 को अपने साथ पत्नी के रूप में रखने को तैयार नहीं है किन्तु प्रत्यर्थी-2 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि वह आवेदक के साथ रहने को तैयार है किन्तु वह (पति) उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं है । इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य है कि दोनों पक्षकारों ने दांडिक और सिविल कार्यवाहियां एक दूसरे के विरुद्ध संस्थित की हैं जबकि प्रत्यर्थी-2 आवेदक के साथ रहने को तैयार है । आवेदक ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है । यदि आवेदक अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं है, पत्नी की उपेक्षा करने के लिए यह पर्याप्त कारण है और यदि पत्नी पति से अलग रह रही है और पति के साथ रहने के लिए इच्छुक है और पति उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं है, पत्नी के लिए अलग रहने हेतु एक पर्याप्त कारण है । इस मामले में सबूत का भार आवेदक पर आया है कि वह यह साबित करे कि उसकी पत्नी किसी पर्याप्त कारण के अलग रहती है । दोनों पक्षकारों के सभी कथनों पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि उसकी पत्नी बिना किसी उचित कारण के अलग रहती है । (पैरा 16 और 17)

दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 2686/2014 में की आवेदक श्रीमती कंचन सिंह ने, जो देवेन्द्र सिंह की पत्नी है, भरणपोषण भत्ते की रकम 3,000/- से 10,000/- रुपए प्रतिमाह अपने पक्ष में बढ़ाने की ईप्सा की है । श्रीमती कंचन सिंह के कथन का परिशीलन किया गया है । उसने अपने कथन के पैरा 3 में यह उल्लेख किया है कि उसे यह मालूम नहीं

है कि उसके पिता उस पर प्रतिमाह कितना पैसा खर्च करते थे, अनुमान के आधार पर श्रीमती कंचन ने बताया कि 5,000/- से 6,000/- रूपए प्रतिमाह खर्च किया जाता होगा, तथापि, इस अर्जी में उसने 10,000/- रुपए प्रतिमाह दिए जाने का दावा किया है । उसका कथन उसके दावे से मेल नहीं खाता है । भरणपोषण के लिए मासिक रकम मूल आवश्यकताओं पर आधारित होती है । प्रत्यर्थी-2 ने अपने कथन में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि उसने 5,000/- से 6,000/- रुपए, जो उसके पिता द्वारा उस पर खर्च किए जाते थे, किस प्रकार प्रगणित किए गए । इस संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष उसके पिता की परीक्षा नहीं कराई गई है । इस न्यायालय को भरणपोषण के रूप में प्रतिमाह 3,000/- रुपए नियत किए जाने के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित आदेश में कोई भी त्रुटि दिखाई नहीं देती है । निःसंदेह, विद्वान् प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय ने अपने अनुभव के आधार पर कतिपय तथ्यों की उपधारणा की है किन्तु इसके बावजूद न्यायालय के निष्कर्ष में कोई भी अवैधता या अनुचितता नहीं है । परिणामतः, इस न्यायालय को प्रत्यर्थी-2 अर्थात् पत्नी को भरणपोषण के रूप में प्रतिमाह 3,000/- रुपए का संदाय किए जाने के संबंध में आवेदक को निदेश दिए जाने वाले आदेश में कोई भी अवैधता या अनुचितता दिखाई नहीं देती है । (पैरा 18 और 19)

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2015 का पुनरीक्षण आवेदन सं. 113 और 2014 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 2686.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री अभिनव श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री देवेन्द्र शुक्ला और अंकित सक्सेना

आदेश

इन दोनों पुनरीक्षण आवेदनों का निपटारा एक ही आदेश द्वारा

किया जा रहा है क्योंकि दोनों आवेदनों में एक ही मुद्दा उठाया गया है । संक्षिप्तता के लिए मामले के तथ्य दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 113/2015 (देवेन्द्र सिंह **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य) वाले मामले से ले रहे हैं जो निम्न प्रकार हैं -

2. आवेदक ने प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल द्वारा तारीख 11 नवंबर, 2014 को प्रकीर्ण दांडिक मामला सं. 321/2012 में पारित किए गए उस आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन फाइल किया है जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन प्रत्यर्थी-2 की ओर से फाइल किया गया आवेदन मंजूर किया गया था और अपीलार्थी को अपनी पत्नी/प्रत्यर्थी सं. 2 को प्रतिमाह 3,000/- रुपए की रकम का संदाय भरणपोषण के रूप में करने का निदेश दिया गया था ।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी-2 आवेदक की वैध रूप से विवाहित पत्नी है । विवाह के पश्चात् प्रत्यर्थी-2 अपीलार्थी के साथ रहने लगी किन्तु कुछ दिनों बाद संबंध तनावपूर्ण हो गए । आवेदक और उसके नातेदार दहेज की मांग करने लगे, इसके पश्चात् प्रत्यर्थी-2 ने अपना वैवाहिक गृह छोड़ दिया और वह अपने माता-पिता के घर आ गई और तभी से वह पति से दूर रह रही है । आवेदक अपनी पत्नी की देख-रेख नहीं कर रहा है और न ही उसके भरणपोषण का ध्यान रखता है, पत्नी के पास स्वयं के रख-रखाव के लिए कोई साधन नहीं है । आवेदक के पास आय के पर्याप्त साधन हैं । प्रत्यर्थी-2 अर्थात् पत्नी ने कुटुंब न्यायालय, भोपाल के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल किया है । कुटुंब न्यायालय प्रधान न्यायाधीश ने दोनों पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् अन्तिम रूप से तारीख 11 नवंबर, 2014 को आदेश पारित किया जिसे इस पुनरीक्षण आवेदन में चुनौती दी गई है, और प्रधान न्यायाधीश ने आवेदन को मंजूर करते हुए अपीलार्थी को निदेश दिया कि वह ऊपर उल्लिखित रूप में अपनी पत्नी को भरणपोषण के लिए रकम का संदाय करेगा ।

4. उक्त आदेश से व्यथित होकर आवेदक ने इस आधार पर यह

पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया है कि कुटुंब न्यायालय का आदेश गलत धारणा पर आधारित है, अनुचित है और त्रुटिपूर्ण है । प्रत्यर्थी-2 बिना किसी पर्याप्त और उचित कारण के अपनी इच्छा से अलग रहती है । अतः, आवेदक ने आक्षेपित आदेश को अभिखंडित किए जाने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन प्रत्यर्थी-2 द्वारा फाइल किए गए आवेदन को खारिज किए जाने का निवेदन किया है ।

5. प्रत्यर्थी-1 अर्थात् राज्य को पति-पत्नी के बीच इस विवाद से कोई लेना-देना नहीं है और यह निवेदन किया है कि यह विवाद आवेदक और प्रत्यर्थी-2 के बीच है, राज्य को अनावश्यक ही पक्षकार बनाया गया है । प्रत्यर्थी-2 के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य समुचित रूप से मूल्यांकन किया है, प्रत्यर्थी-2 वैध रूप से विवाहित की पत्नी है, उसे अपीलार्थी द्वारा भरणपोषण दिए जाने से इनकार किया गया है । आवेदक और उसके नातेदारों ने दहेज की मांग पूरी न किए जाने पर पत्नी को तंग किया है जो कि पत्नी के अलग रहने के लिए एक पर्याप्त कारण है और पत्नी ने आवेदक के अभिवाक् को खारिज किए जाने की प्रार्थना की है ।

6. हमने दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना है और प्रकीर्ण मामला सं. 321/2012 के अभिलेख का परिशीलन किया है । यह अविवादित है कि प्रत्यर्थी-2 आवेदक की वैध रूप से विवाहित पत्नी है । प्रत्यर्थी-2 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन कुटुंब न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल किया है और उसने यह अभिकथन किया है कि उसका आवेदक के साथ विवाह तारीख 5 मई, 2011 को हुआ था । इसके पश्चात् वह अपने वैवाहिक गृह गई जहां पर वह एक मास तक रही, इसके पश्चात् उसके ससुराल वाले टेलीविजन और रेफ्रीजरेटर की मांग करने लगे । प्रत्यर्थी-2 के पिता ने टेलीविजन क्रय और रेफ्रीजरेटर क्रय किया और प्रत्यर्थी-2 की ससुराल भेज दिया । इसके बावजूद प्रत्यर्थी-2 के ससुराल वाले उसे तंग करते रहे और उसके साथ मारपीट करते रहे । आवेदक रात में शराब पीकर आया करता था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था और उसे अश्लील फिल्में

दिखाया करता था, परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी-2 ने अपने पति का घर छोड़ दिया और अपने मायके आ गई । आवेदक पनेशिया बायोटेक कंपनी में एम. आर. के रूप में कार्यरत है और उसकी मासिक आय 25 से 30 हजार के बीच है । प्रत्यर्थी-2 ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि वाद हेतु तारीख तारीख 5 दिसंबर, 2011 को सृजित हुआ था जब आवेदक तथा उसके माता-पिता ने प्रत्यर्थी-2 के साथ मारपीट की थी और उसे उसकी ससुराल से निकाल दिया गया था ।

7. आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन का उत्तर फाइल किया । उसने अपने उत्तर में उसके और उसके नातेदारों के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया और यह प्रकथन किया कि उसकी पत्नी प्रत्यर्थी-2 स्वयं लड़ाई-झगड़ा करती थी और स्वयं ही पति का घर छोड़कर भोपाल चली गई । प्रत्यर्थी-2 गाली-गलौच किया करती थी और घरेलू सामान तोड़ने का प्रयास भी करती थी । वह अपनी ससुराल में रहना नहीं चाहती थी, वह अपने मायके में रहने के लिए अधिक इच्छुक थी और इसी कारण वह जानबूझकर अपनी ससुराल से चली गई और बिना किसी कारण के अपने माता-पिता के साथ रहने लगी । दिसंबर, 2012 से आवेदक की मासिक आय केवल 4,000/- रुपए है । वह अपने माता-पिता का एकमात्र पुत्र है और उसे उनकी भी देखरेख करनी पड़ती है । उसने अपनी पत्नी को अपने घर से कभी भी नहीं निकाला है । प्रत्यर्थी-2 बिना किसी कारण अपनी इच्छा से अपने माता-पिता के साथ रहती है, इसके पश्चात् प्रत्यर्थी-2, वेदक के मोबाइल फोन पर एस.एम.एस. भेजने लगी ।

8. दोनों पक्षकारों ने कुटुंब न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए । दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात् विद्वान् कुटुंब न्यायालय ने तारीख 11 सितंबर, 2014 को आदेश पारित किया । हमने उस आदेश का परिशीलन किया है । विद्वान् कुटुंब न्यायालय अपने अनुभव और उपधारणा के आधार पर कुछ तथ्यों पर विचार किया है और परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी-2 द्वारा फाइल किया गया आवेदन मंजूर किया है और आवेदक को निदेश दिया है कि वह प्रत्यर्थी-2 को 3,000/- रुपए प्रतिमाह का संदाय भरणपोषण के रूप में करे ।

9. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 निम्न प्रकार है :-

"**125. पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश** - (1) यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति -

(क) अपनी पत्नी का, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(ख) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का चाहे विवाहित हो या न हो, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(ग) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है), जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है, या

(घ) अपने पिता या माता का, जो अपना भरणपोषण करने में असमर्थ है,

भरणपोषण करने में उपेक्षा करता है या भरणपोषण करने से इनकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, पिता या माता के भरणपोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करे जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निदेश दे :

परन्तु मजिस्ट्रेट खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को निदेश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती है यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं :

स्पष्टीकरण - इस अध्याय के प्रयोजन के लिए -

(क) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय व्यस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है;

(ख) "पत्नी" के अन्तर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है ।

(2) भरणपोषण या अन्तरिम भरणपोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता और कार्यवाही के लिए व्यय, आदेश की तारीख से, या, यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो, यथास्थिति, भरणपोषण या अन्तरिम भरणपोषण और कार्यवाही के तथ्यों के लिए आवेदन की तारीख से संदेय होंगे ।

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो, उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से उद्‌गृहीत किए जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है जैसी रीति जुर्माने उद्‌गृहीत करने के लिए उपबंधित है, और उस वारंट के निष्पादन के पश्चात् प्रत्येक मास के न चुकाए गए यथास्थिति, भरणपोषण या अन्तरिम भरणपोषण के लिए पूरे भत्ते और कार्यवाही के व्यय या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यक्ति को एक मास तक की अवधि के लिए, अथवा यदि वह उससे पूर्व चुका दिया जाता है तो चुका देने के समय तक के लिए, कारावास का दंडादेश दे सकता है :

परन्तु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी न किया जाएगा जब तक उस रकम को उद्‌गृहीत करने के लिए उसके तारीख से जिसको वह देय हुई एक वर्ष की अवधि के अन्दर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है :

परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरणपोषण

करने की प्रस्थापना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्थापना के किए जाने पर भी वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्यायसंगत आधार है ।

स्पष्टीकरण – यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह रखैल रखता है तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार का न्यायसंगत आधार माना जाएगा ।

(4) कोई पत्नी अपने पति से इस आधार के अधीन यथा-स्थिति, भरणपोषण या अन्तरिम भरणपोषण के लिए भत्ता और कार्यवाही के व्यय प्राप्त करने की हकदार न होगी, यदि वह जारता की दशा में रह रही है अथवा यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा यदि वे पारस्परिक सम्मति से पृथक् रह रहे हैं ।

(5) मजिस्ट्रेट यह साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी, जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन आदेश किया गया है, जारता की दशा में रह रही है अथवा पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है अथवा वे पारस्परिक सम्मति से पृथक् रह रहे हैं ।

10. आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि यह साबित करने का भार प्रत्यर्थी-2 पर है कि उसके पति के पास भरणपोषण के लिए पर्याप्त साधन हैं और आवेदक ने **चतुर्भुज** बनाम **सीता बाई**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए विनिश्चय के पैरा 7 का अवलंब लिया है जो निम्न प्रकार है :–

"विधि के अधीन सबूत का भार पहले पत्नी पर आता है कि वह यह साबित करे कि उसके पति के पास भरणपोषण के लिए

---

[1] (2008) 2 एस. सी. सी. 316 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 530.

पर्याप्त साधन हैं । वर्तमान मामले में, इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी के पास आवश्यक साधन हैं । किन्तु एक ऐसी शर्त है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और उसका समाधान किया जाना आवश्यक है कि पत्नी अपना भरणपोषण स्वयं नहीं कर सकती । ये दोनों शर्तें इस अपेक्षा के अतिरिक्त हैं कि पति ने पत्नी को अनदेखा किया हो या उसका भरणपोषण करने से इनकार किया हो । यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि पत्नी स्वयं अपना भरणपोषण करने के लिए अक्षम है । अपीलार्थी ने अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए सामग्री प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी-पत्नी आय अर्जित करती है । यह आधार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं है । यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि पत्नी की जितनी आय है, वह उस आय से अपना भरणपोषण करने के योग्य नहीं है ।"

11. निचले न्यायालय के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का परिशीलन किया गया है । प्रत्यर्थी-2 के कथन के पैरा 2 से यह प्रतीत होता है कि पत्नी कुछ नहीं करती थी बल्कि आवेदक देवेन्द्र सिंह विवाह के समय पेनेशिया बायोटेक कंपनी में एम. आर. के रूप में काम करता था और उसकी मासिक आय 25 से 30 हजार रुपए थी । सबूत के भार का निर्वहन करने के लिए इतना साक्ष्य पर्याप्त है । अब सबूत का भार आवेदक पर है कि वह इस तथ्य का खण्डन करे । आवेदक ने इसके जवाब में कुटुंब न्यायालय के समक्ष इस तथ्य से इनकार किया है कि वह पेनेशिया बायोटेक कंपनी में एम. आर. के रूप में कार्य करता है और 25 से 30 हजार रुपए प्रतिमाह कमाता है । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के पैरा 7 में यह स्वीकार किया है कि वह गायत्री मेडिकल स्टोर पर काम करता है और उसकी मासिक आय अगस्त 2012 से 4,000/- रुपए प्रतिमाह है । उसने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि अगस्त, 2012 तक उसने एम. आर. के रूप में काम किया था किन्तु अगस्त, 2012 के पश्चात् उसने वह नौकरी छोड़ दी और उसने यह भी स्वीकार किया है कि उस समय उसकी मासिक आय 22 हजार थी । आवेदक का प्रत्यर्थी-2 के साथ विवाह तारीख 5 मई, 2011

को हुआ है ।

12. दोनों पक्षकारों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह सामने आता है कि आवेदक अपने विवाह के समय पेनेशिया बायोटेक कंपनी में एम. आर. के रूप में कार्यरत था और उसकी मासिक आय 22 हजार रुपए थी जिसका यह अर्थ हुआ कि उस समय उसके पास पर्याप्त साधन थे । प्रत्यर्थी-2 ने तारीख 10 जुलाई, 2012 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदन फाइल किया और उस दिन आवेदक पेनेशिया बायोटेक कंपनी में एम. आर. के पद पर था और उसकी मासिक आय 22 हजार रुपए थी ।

13. अब इस पर विचार किया जाना है कि प्रत्यर्थी-2 के पास स्वयं के भरणपोषण के लिए पर्याप्त साधन थे या नहीं । आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि प्रत्यर्थी-2 पटवारी की परीक्षा में बैठी थी और उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था किन्तु उसने वह पद ग्रहण नहीं किया । अतः, वह धनार्जन योग्य है किन्तु वह नौकरी करने के लिए इच्छुक नहीं है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि प्रत्यर्थी-2 के पास आय के पर्याप्त साधन हैं । यह न्यायालय विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई इस दलील से सहमत नहीं हैं । चूंकि प्रत्यर्थी-2 ने कुटुंब न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने कथन के पैरा 3 में यह उल्लेख किया है कि वह अपने पिता के साथ रहती है । उसके पिता उसका भरणपोषण करते हैं और पैरा 2(ग) में प्रतिपरीक्षा के दौरान आवेदक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने कोई नौकरी नहीं की । कथन के पैरा 6 में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर है और विवाह के पूर्व उसने रैड-क्रास सोसायटी में कम्प्यूटर आपरेटर के रूप में तीन महीने काम किया था और विवाह के समय उसने वह नौकरी छोड़ दी थी ।

14. इस साक्षी ने पैरा 9 में पुनः यह स्वीकार किया है कि वह कोई नौकरी नहीं करती है और यह भी स्वीकार किया है कि वह पटवारी की परीक्षा में बैठी थी और उसका चयन भी हो गया था । आवेदक ने अपने

कथन के पैरा 1 में यह उल्लेख किया है कि प्रत्यर्थी-2 भोपाल में नौकरी करती है किन्तु इस संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है । जब पत्नी ने यह कहा कि वह कोई भी नौकरी नहीं करती है तब इसका यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अनियोजित है, तब सबूत का भार पति पर आता है । पति को साबित करना होगा और मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य इस संबंध में प्रस्तुत करना होगा कि उसकी पत्नी स्वयं की भरणपोषण के लिए पर्याप्त रूप से धनार्जन करती है । **चतुर्भुज** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पैरा 8 में निम्न अभिनिर्धारित किया है :-

> "एक दृष्टांत मामले में पत्नी भीख मांगकर अपना जीवन-निर्वाह कर रही थी, ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अपना भरणपोषण करने के लिए सक्षम थी । यह भी नहीं कहा जा सकता है कि पत्नी धन अर्जित करने योग्य है किन्तु धन अर्जित करने के लिए प्रयास नहीं कर रही है । अभित्यक्त पत्नी अपना भरणपोषण करने के लिए सक्षम है या नहीं, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विनिश्चित किया जाना चाहिए । जहां पत्नी की निजी आय अपर्याप्त है, वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरणपोषण पाने का दावा कर सकती है । इसके लिए कसौटी यह है कि क्या पत्नी अपनी भरणपोषण करने के लिए ऐसी स्थिति में है जैसी स्थिति में उसका पति है । भगवान **बनाम** कमला देवी (ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 83) वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया कि पत्नी की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह अपना भरणपोषण इस स्तर का कर सके जो न तो अत्यंत उच्च कोटि का हो और न ही अत्यंत निम्न कोटि का हो अपितु ऐसा होना चाहिए कि वह उसके परिवार के स्तर से मेल खा सके । 'अपना भरणपोषण करने में असमर्थ' अभिव्यक्ति का अर्थ यह नहीं है कि पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरणपोषण के लिए दावा करने से पहले अत्यंत कंगाल स्थिति में हो ।"

15. उपरोक्त चर्चा के आधार पर इस न्यायालय का यह दृढ़ मत है कि विद्वान् कुटुंब न्यायालय ने यह ठीक ही निष्कर्ष निकाला है कि आवेदन फाइल किए जाने के समय आवेदक की पत्नी अर्थात् प्रत्यर्थी-2 अपना भरणपोषण करने के लिए कोई धनार्जन नहीं कर रही थी ।

16. आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह मुद्दा भी उठाया है कि प्रत्यर्थी-2 अपनी इच्छा से बिना किसी पर्याप्त और उचित कारण के अलग रह रही थी और दाम्पत्य अधिकारों का निर्वहन नहीं कर रही थी । इस मामले में प्रत्यर्थी-2 का पति होने के नाते सबूत का भार आवेदक पर ही है । इसके लिए दोनों पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करना होगा । प्रत्यर्थी-2 के कथन का परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि उसने अपने कथन के पैरा 5 में यह उल्लेख किया है कि उसे दहेज के लिए तंग किया जाता था और कहा जाता था कि उसका खर्चा कौन वहन करेगा । आवेदक अपनी पत्नी पर यह कटाक्ष भी करता था कि वह सुंदर नहीं है, प्रत्यर्थी-2 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि आवेदक ने पत्नी की सहेलियों को लेकर उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया है । आवेदक ने पैरा 2 में यह कथन किया है कि पत्नी ने आवेदक पर भोपाल में नौकरी करने के लिए दबाव डाला था और उसने अपनी ससुराल में अपने पति के माता-पिता को गालियां भी दी थीं, पत्नी ने मोबाइल फोन पर एस.एम.एस. भी भेजे थे । आवेदक पति ने साक्ष्य के रूप में सभी एस.एम.एस. की हार्ड-कापी भी प्रस्तुत की है । प्रत्यर्थी-2 ने पैरा 5 में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अधीन आवेदन फाइल किया था । वह मामला भोपाल में दर्ज किया गया है और आवेदक ने कोरबा, छत्तीसगढ़ के न्यायालय में विवाह-विच्छेद अर्जी प्रस्तुत की है । पैरा 11 में आवेदक ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि वह प्रत्यर्थी-2 को अपने साथ पत्नी के रूप में रखने को तैयार नहीं है किन्तु प्रत्यर्थी-2 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि वह आवेदक के साथ रहने को तैयार है किन्तु वह (पति) उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं है ।

17. इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य है कि दोनों पक्षकारों ने दांडिक और सिविल कार्यवाहियां एक दूसरे के विरुद्ध संस्थित की हैं जबकि प्रत्यर्थी-2 आवेदक के साथ रहने को तैयार है । आवेदक ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है । यदि आवेदक अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं है, पत्नी की उपेक्षा करने के लिए यह पर्याप्त कारण है और यदि पत्नी पति से अलग रह रही है और पति के साथ रहने के लिए इच्छुक है और पति उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं है, पत्नी के लिए अलग रहने हेतु एक पर्याप्त कारण है । इस मामले में सबूत का भार आवेदक पर आया है कि वह यह साबित करे कि उसकी पत्नी किसी पर्याप्त कारण के अलग रहती है । दोनों पक्षकारों के सभी कथनों पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि उसकी पत्नी बिना किसी उचित कारण के अलग रहती है ।

18. दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 2686/2014 में की आवेदक श्रीमती कंचन सिंह ने, जो देवेन्द्र सिंह की पत्नी है, भरणपोषण भत्ते की रकम 3,000/- से 10,000/- रुपए प्रतिमाह अपने पक्ष में बढ़ाने की ईप्सा की है । श्रीमती कंचन सिंह के कथन का परिशीलन किया गया है । उसने अपने कथन के पैरा 3 में यह उल्लेख किया है कि उसे यह मालूम नहीं है कि उसके पिता उस पर प्रतिमाह कितना पैसा खर्च करते थे, अनुमान के आधार पर श्रीमती कंचन ने बताया कि 5,000/- से 6,000/- रुपए प्रतिमाह खर्च किया जाता होगा, तथापि, इस अर्जी में उसने 10,000/- रुपए प्रतिमाह दिए जाने का दावा किया है । उसका कथन उसके दावे से मेल नहीं खाता है । भरणपोषण के लिए मासिक रकम मूल आवश्यकताओं पर आधारित होती है । प्रत्यर्थी-2 ने अपने कथन में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि उसने 5,000/- से 6,000/- रुपए, जो उसके पिता द्वारा उस पर खर्च किए जाते थे, किस प्रकार प्रगणित किए गए । इस संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष उसके पिता की परीक्षा नहीं कराई गई है । इस न्यायालय को भरणपोषण के रूप में

प्रतिमाह 3,000/- रुपए नियत किए जाने के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित आदेश में कोई भी त्रुटि दिखाई नहीं देती है ।

19. निःसंदेह, विद्वान् प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय ने अपने अनुभव के आधार पर कतिपय तथ्यों की उपधारणा की है किन्तु इसके बावजूद न्यायालय के निष्कर्ष में कोई भी अवैधता या अनुचितता नहीं है । परिणामतः, इस न्यायालय को प्रत्यर्थी-2 अर्थात् पत्नी को भरणपोषण के रूप में प्रतिमाह 3,000/- रुपए का संदाय किए जाने के संबंध में आवेदक को निदेश दिए जाने वाले आदेश में कोई भी अवैधता या अनुचितता दिखाई नहीं देती है ।

20. उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए दोनों पुनरीक्षण आवेदन एतद्द्वारा खारिज किए जाते हैं । खर्चों के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाता है ।

आवेदन खारिज किए गए ।

अस.

संसद् के अधिनियम

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

(1994 का अधिनियम संख्यांक 10)

[8 जनवरी, 1994]

मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है :

परन्तु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को केवल वहां तक लागू होगा जहां तक इसका संबंध उस राज्य को यथा लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 या सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों से है ।

(3) यह 28 सितंबर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. परिभाषाएं - (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "सशस्त्र बल" से नौसेना, सेना और वायु सेना अभिप्रेत और इसके अन्तर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल है ;

(ख) "अध्यक्ष" से, यथास्थिति, आयोग का या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "मानव अधिकार" से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है ;

(ङ) "मानव अधिकार न्यायालय" से धारा 30 के अधीन विनिर्दिष्ट मानव अधिकार न्यायालय अभिप्रेत है ;

[1][(च) "अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा" से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर, 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रसंविदा या अभिसमय, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है ;]

[1][(छ) "सदस्य" से, यथास्थिति, आयोग का या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है,]

(ज) "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग" से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अभिप्रेत है ;

[1][(झ) "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 338 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है ;

(झक) "राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 338क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अभिप्रेत है ।]

(ञ) "राष्ट्रीय महिला आयोग" से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है ;

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "लोक सेवक" का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 में है ;

(ढ) "राज्य आयोग" से धारा 21 के अधीन गठित राज्य मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है ।

(2) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं हैं, प्रति किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है ।

अध्याय 2
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन - (1) केन्द्रीय सरकार, एक निकाय का, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए, गठन करेगी ।

(2) आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

(क) एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है ;

(ख) एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है ;

(ग) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है ;

(घ) दो सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है ।

(3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, [1][राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग] और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष धारा 12 के खंड (ख) से खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे ।

(4) एक महासचिव होगा, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, [1][(न्यायिक कृत्यों और धारा 40ख के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय) जो, यथास्थिति, आयोग या अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करे]।

(5) आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

4. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति – (1) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और [2][सदस्यों] को नियुक्त करेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(क) प्रधान मंत्री — अध्यक्ष ;

(ख) लोक सभा का अध्यक्ष — सदस्य ;

(ग) भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भारसाधक मंत्री — सदस्य ;

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) लोक सभा में विपक्ष का नेता सदस्य ;

(ङ) राज्य सभा में विपक्ष का नेता सदस्य ;

(च) राज्य सभा का उप सभापति सदस्य :

परन्तु यह और कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि [1][उपधारा (1) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट समिति में किसी सदस्य की कोई रिक्ति है]।

[2][5. **अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना** – (1) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(2) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है, कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य,-

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है ; या

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ; या

(ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है जिसमें, राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है,

तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा ।]

[1][6.(1) **अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि** – अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा ।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा ।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा ।]

7. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन – (1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती ।

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है ।

[1][**8. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें** – अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं :

परन्तु अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।]

9. रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना – आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके पठन में कोई त्रुटि है ।

10. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना – (1) आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा, जो अध्यक्ष ठीक समझे ।

[2][(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग को अपनी प्रक्रिया के लिए विनियम अधिकथित करने की शक्ति होगी ।]

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

11. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द – (1) केन्द्रीय सरकार, आयोग को, –

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी, जो आयोग का महासचिव होगा ; और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारिवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, जो आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो,

उपलब्ध कराएगी ।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, आयोग ऐसे, अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

अध्याय 3

आयोग के कृत्य और शक्तियां

12. आयोग के कृत्य - आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

(क) स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा [1][या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निदेश पर] उसको प्रस्तुत की गई अर्जी पर, -

(i) मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की; या

(ii) ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की,

शिकायत के बारे में जांच करना ;

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना ;

[1][(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना ;]

(घ) संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना ;

(ङ) ऐसी बातों का, जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना ;

(च) मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना ;

(छ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना ;

(ज) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार, माध्यमों गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना ;

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(झ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना ;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

13. जांच से संबंधित शक्तियां - (1) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जांच करते समय और विशिष्ट तथा निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है, अर्थात् :-

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, ऐसे किसी विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर इत्तिला देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी हो, या उससे सुसंगत हों और जिस व्यक्ति से, ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 176 और धारा 177 के अर्थ में ऐसी इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा ।

(3) आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंधों के, जहां तक वे लागू हों, अधीन रहते हुए किसी ऐसे भवन या स्थान में, जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषयवस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज वहां पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे दस्तावेज को अभिगृहीत कर सकेगा अथवा उससे उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा ।

(4) आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जब कोई ऐसा अपराध, जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित है, आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता है तब आयोग, अपराध गठित करने वाले तथ्यों तथा अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात्, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में उपबंधित है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया हो ।

(5) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

[1][(6) जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझता है, वहां वह आदेश द्वारा, उसके समक्ष फाइल की गई या लंबित किसी शिकायत को उस राज्य के राज्य आयोग को, जिससे इस अधिनियम के

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।

उपबंधों के अनुसार निपटारे के लिए शिकायत उद्भूत होती है, अन्तरित कर सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई शिकायत तब तक अन्तरित नहीं की जाएगी जब तक कि वह शिकायत ऐसी न हो जिसके संबंध में राज्य आयोग को उसे ग्रहण करने की अधिकारिता न हो ।

(7) उपधारा (6) के अधीन अन्तरित की गई प्रत्येक शिकायत पर राज्य आयोग द्वारा ऐसे कार्रवाई की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा मानो वह शिकायत आरंभ में उसके समक्ष फाइल की गई हो ।]

14. अन्वेषण – (1) आयोग, जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा ।

(2) जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है, आयोग के निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, –

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा ; और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) धारा 15 के उपबंध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में लागू होते हैं ।

(4) जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाता है वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर आयोग को ऐसी अवधि के भीतर, जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, रिपोर्ट देगा ।

(5) आयोग, उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों के और निकाले गए निष्कर्षों के, यदि कोई हों, सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा है, जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो, कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

15. आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन – आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय, उसे किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के अधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह तब जब कि ऐसा कथन –

(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए ; या

(ख) जांच की विषयवस्तु से सुसंगत है ।

16. उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है – यदि जांच के किसी अनुक्रम में, –

(क) आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है ; या

(ख) आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है,

तो वह उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है ।

अध्याय 4

प्रक्रिया

17. शिकायतों की जांच – आयोग, मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय, -

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा :

परन्तु, –

(क) यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा ;

(ख) यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई और जांच अपेक्षित नहीं है अथवा अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आरंभ कर दी गई है या की जा चुकी है तो वह शिकायत के बारे में कार्यवाही नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्ता को तद्नुसार सूचित कर सकेगा ;

(ii) खंड (i) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि आयोग, शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरंभ कर सकेगा ।

[1][**18. जांच के दौरान और जांच के पश्चात् कार्रवाई** – आयोग, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के दौरान और उसके पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात् :-

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या मानव अधिकारों के अतिक्रमण का उत्प्रेरण प्रकट होता है, तो वहां वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को –

(i) शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसा प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करने की सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग आवश्यक समझे ;

(ii) संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाहियां आरंभ करने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिए, सिफारिश कर सकेगा, जो आयोग ठीक समझे ;

(iii) ऐसी अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे ;

(ख) उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निदेश, आदेश या रिट के लिए जो, वह न्यायालय आवश्यक समझे, अनुरोध करना ;

(ग) जांच के किसी प्रक्रम पर संबद्ध सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अन्तरिम सहायता मंजूर करने की, जो आयोग आवश्यक समझे, सिफारिश करना ;

(घ) खंड (ङ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जांच रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना ;

(ङ) आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित, संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी, एक मास की अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जो आयोग अनुज्ञात करे, रिपोर्ट पर अपनी टीका-टिप्पणी आयोग को भेजेगा जिसके अन्तर्गत उस पर की गई या की

जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है;

(च) आयोग, संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, अपनी जांच रिपोर्ट या आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा ।]

19. सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया - (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, आयोग, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात् :-

(क) आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा ;

(ख) रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, आयोग, यथास्थिति, शिकायत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को तीन मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे, सूचित करेगी ।

(3) आयोग, केन्द्रीय सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर, उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा ।

(4) आयोग, उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति, अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा ।

20. आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें - (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 5

राज्य मानव अधिकार आयोग

21. राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन – (1) कोई राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन कर सकेगी जिसका नाम ..... (राज्य का नाम) मानव अधिकार आयोग होगा ।

[1][(2) राज्य आयोग ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है ;

(ख) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव है ;

(ग) एक सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है ।]

(3) एक सचिव होगा, जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो राज्य आयोग उसे प्रत्यायोजित करे ।

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।

(4) राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

(5) कोई राज्य आयोग केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जांच कर सकेगा :

परन्तु यदि किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से ही जांच की जा रही है तो राज्य आयोग उक्त विषय के बारे में जांच नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि जम्मू-कश्मीर मानव अधिकार आयोग के संबंध में, यह उपधारा ऐसे प्रभावी होगी मानो "केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत" शब्द और अंकों के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत और उन विषयों की बाबत जिनके संबंध में उस राज्य के विधान-मंडल को विधियां बनाने की शक्ति है" शब्द और अंक रख दिए गए हों ।

[1][(6) दो या दो से अधिक राज्य सरकारें, राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को साथ-साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेंगी यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता है :

परन्तु उस राज्य की बाबत जिसके लिए, यथास्थिति, सामान्य अध्यक्ष या सदस्य या दोनों नियुक्त किए जाने हैं इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति धारा 22 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी] :

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।

22. राज्य आयोग के अध्यक्ष और [1][सदस्यों] की नियुक्ति – (1) राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और [1][सदस्यों] को नियुक्त करेगा ;

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(क) मुख्य मंत्री अध्यक्ष ;

(ख) विधान सभा का अध्यक्ष सदस्य ;

(ग) उस राज्य के गृह विभाग का भारसाधक मंत्री सदस्य ;

(घ) विधान सभा में विपक्ष का नेता सदस्य ;

परन्तु यह और कि जहां किसी राज्य में विधान परिषद् है वहां उस परिषद् का सभापति और उस परिषद् में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे :

परन्तु यह और भी कि उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा, नहीं ।

(2) राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि [1][उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में कोई रिक्ति है]।

23. [2][राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना – (1) राज्य आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित, सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(1क) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर वह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए ।]

(2) [1][उपधारा (1क) में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई [1][सदस्य], –

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है; या

(ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; या

(ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है जिसमें, राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है,

तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या किसी [2][सदस्य] को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा ।

[2][**24. राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि** – (1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा ।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा ।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर, किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा ।]

25. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उसके कृत्यों का निर्वहन – (1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती ।

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है ।

[1][**26. राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें** – अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु अध्यक्ष या किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।]

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।

27. राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द – (1) राज्य सरकार, आयोग को, –

(क) राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी, जो राज्य आयोग का सचिव होगा ; और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारिवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, जो राज्य आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों ;

उपलब्ध कराएगी ।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, राज्य आयोग, ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

28. राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें – (1) राज्य आयोग, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) राज्य सरकार, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, जहां राज्य विधान-मंडल दो सदनों से मिलकर बनता है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां ऐसा विधान-मंडल एक सदन से मिलकर बनता है वहां उस सदन के समक्ष, रखवाएगी ।

29. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू होना – धारा 9, धारा 10, धारा 12, धारा

13, धारा 14, धारा 15, धारा 16, धारा 17 और धारा 18 के उपबंध राज्य आयोग को लागू होंगे और वे निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात् :-

(क) "आयोग" के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "राज्य आयोग" के प्रति निर्देश हैं ;

(ख) धारा 10 की उपधारा (3) में, "महासचिव" शब्द के स्थान पर "सचिव" शब्द रखा जाएगा;

(ग) धारा 12 के खंड (च) का लोप किया जाएगा;

(घ) धारा 17 के खंड (i) में से "केन्द्रीय सरकार या किसी" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 6
मानव अधिकार न्यायालय

30. मानव अधिकार न्यायालय - मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा, उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए, प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी:

परन्तु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी, जब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए -

(क) कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट है ; या

(ख) कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है ।

31. विशेष लोक अभियोजक - राज्य सरकार, प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय

में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी ।

अध्याय 7
वित्त, लेखा और संपरीक्षा

32. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान – (1) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझे ।

(2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी ।

33. राज्य सरकार द्वारा अनुदान – (1) राज्य सरकार, विधान-मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझे ।

(2) राज्य आयोग, अध्याय 5 के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी ।

34. लेखा और संपरीक्षा – (1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे ।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित, आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, आयोग द्वारा, केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और केन्द्रीय सरकार, ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

35. **राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा** – (1) राज्य आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे ।

(2) राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, राज्य आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और राज्य आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, राज्य आयोग द्वारा, राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और राज्य सरकार, ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 8
प्रकीर्ण

36. आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय – (1) आयोग, किसी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है ।

(2) आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको मानव अधिकारों का अतिक्रमण गठित करने वाले कार्य का किया जाना अभिकथित है एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी विषय की जांच नहीं करेगा ।

37. विशेष अन्वेषण दलों का गठन – तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक है वहां वह एक या अधिक विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकेगी, जिनमें उतने पुलिस अधिकारी होंगे जितने वह मानव अधिकारों के अतिक्रमणों से उद्भूत होने वाले अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझती है ।

38. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण – इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में अथवा किसी रिपोर्ट, कागज-पत्र, या कार्यवाही के केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रकाशन के बारे में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के निदेशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

39. सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना – आयोग या राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा ।

40. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 8 के अधीन [1][अध्यक्ष और सदस्यों] के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ख) वे शर्तें, जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते ;

(ग) सिविल न्यायलय की कोई अन्य शक्ति, जो धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन विहित की जानी अपेक्षित है ;

(घ) वह प्ररूप, जिसमें आयोग द्वारा धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं ; और

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निप्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[1][**40क. भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति** – धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत ऐसे नियमों या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी रूप से किसी ऐसी तारीख से बनाने की शक्ति होगी, जो उस तारीख से पूर्वतर न हो जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किन्तु किसी ऐसे नियम को ऐसा कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा नियम लागू हो सकता हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।]

[2][**40ख. आयोग की विनियम बनाने की शक्ति** – (1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ख) राज्य आयोगों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां और आंकड़े ;

---

[1] 2000 के अधिनियम संख्यांक 49 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 18 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ग) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निप्रभाव हो जाएगा । किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निप्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

41. नियम बनाने की राज्य सकार की शक्ति – (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए, उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 26 के अधीन [1][अध्यक्ष और सदस्यों] के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ख) वे शर्तें, जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द राज्य आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते ;

---

[1] 2006 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ग) वह प्ररूप, जिसमें धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं ।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति - (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

43. निरसन और व्यावृत्ति - (1) मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश संख्यांक 30) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

Cover III

कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में)	7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)
1.	भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989	30	–	–	8
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. बी. परांजपे - 1990	40	–	–	10
3.	वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993	108	–	–	27
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993	40	–	–	10
5.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	115	–	–	29
6.	श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996	452	–	–	113
7.	संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998	275	–	–	69
8.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख -1999	293	–	–	74
9.	आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000	429	–	–	108
10.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	225	–	–	57
11.	हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ -2001	425	–	–	106
12.	भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ - 2001	165	–	–	41
13.	प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001	200	–	–	50
14.	भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002	741	–	–	185
15.	विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002	311	–	–	78
16.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005	580	–	290	–
17.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	120	–	60	–

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Cover iv

पी एल डी (पी. डी)-4-2019
भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in